

भाग	विषय	पृष्ठ सं.
भाग-I	विप्रेषण सुविधाएँ	
1)	मुद्रा परिवर्तन गतिविधि	04-22
2)	धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)	23-28
3)	रुपया आहरण व्यवस्थाएँ (आरडीए)	29-41
भाग-II	उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस)	42-43
भाग-III	संपर्क कार्यालय (एलओ) /शाखा कार्यालय (बीओ) /परियोजना कार्यालय (पीओ)	44-49
भाग-IV	विदेशी निवेश	50-60
भाग-V	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)	61-76
भाग-VI	अनिवासी विदेशी खाते	77-81
भाग-VII	अचल संपत्ति	82-84
भाग-VIII	पारदेशीय निवेश	85-113
भाग-IX	व्यापार	
1)	निर्यात	114-125
2)	आयात	126-131
भाग-X	गारंटियाँ	132-136
भाग-XI	कम्पाउंडिंग	137-143
भाग-XII	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II का लाइसेन्स जारी करना	144-146
भाग-XIII	रिपोर्टिंग में हुई देरी, जहाँ भी लागू हो, के लिए विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) मैट्रिक्स	147-149

भाग-I: विप्रेषण सुविधाएँ

1) मुद्रा परिवर्तन गतिविधि

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक (एएमसी), विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, की धारा 10 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत संस्थाएँ हैं। एएमसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफ़एफ़एमसी) होते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक (एडी श्रेणी-I बैंक) तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II (एडी श्रेणी-II) के अलावा रिज़र्व बैंक ने संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को भी विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत किया है, ताकि निवासियों तथा पर्यटकों की विदेशी मुद्रा सुविधाओं तक पहुँच में विस्तार हो और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कारगर ग्राहक सेवा सुनिश्चित हो। एफ़एफ़एमसी को (क) भारत का दौरा करने वाले अनिवासियों तथा आवासियों से विदेशी मुद्रा खरीदने; तथा (ख) कतिपय अनुमोदित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा बेचने, के लिए प्राधिकृत किया गया है। एडी श्रेणी-I बैंक/ एडी श्रेणी-II/ एफ़एफ़एमसी विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए फ्रैन्चाइज़ी नियुक्त कर सकते हैं।

निर्धारित फॉर्म/ विवरणियाँ :

- (क) फेमा, 1999 की धारा 10(1) के अंतर्गत एफ़एफ़एमसी लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म (अनुबंध-I)
- (ख) एडी श्रेणी-I बैंक, एडी श्रेणी-II तथा एफ़एफ़एमसी को रिज़र्व बैंक प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तन (आरएमसी) व्यवसाय अर्थात्, विदेशी मुद्रा नोटों, सिक्कों अथवा यात्री चेक का भारतीय रुपये में परिवर्तन करने के लिए अपने विकल्प पर फ़्रांचाईज़ी (जिन्हें एजेंसी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है) करार कर सकते हैं। उन्हें फ्रैन्चाइज़ी से फॉर्म RMC-F (अनुबंध II) में जानकारी प्राप्त करनी है, बाद में उसकी संवीक्षा करनी है और अपने रिकार्ड पर रखना है।
- (ग) मुद्रा-परिवर्तन लेन-देन के संबंध में प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसी) द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर:
 - (i) **फॉर्म FLM 1 (अनुबंध III)** में दैनिक सार तथा शेष बही (विदेशी मुद्रा नोट/ सिक्के)
 - (ii) **फॉर्म FLM 2 (अनुबंध IV)** में दैनिक सार तथा शेष बही (यात्री चेक) ।
 - (iii) **फॉर्म FLM 3 (अनुबंध V)** में जनता से खरीदी गई विदेशी मुद्राओं का रजिस्टर।
 - (iv) **फॉर्म FLM 4 (अनुबंध VI)** में प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से खरीदी गई विदेशी मुद्रा नोटों/ सिक्कों का रजिस्टर
 - (v) **फॉर्म FLM 5 (अनुबंध VII)** में जनता को बेचे गए विदेशी मुद्रा नोटों/ सिक्कों तथा विदेशी मुद्रा यात्री चेकों का रजिस्टर

- (vi) **फॉर्म FLM 6 (अनुबंध VIII)** में प्राधिकृत व्यापारियों/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों/ पारदेशीय बैंकों को बेचे गए विदेशी मुद्रा नोटों/ सिक्कों का रजिस्टर
- (vii) **फॉर्म FLM 7 (अनुबंध IX)** में प्राधिकृत व्यापारियों/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को अभ्यर्पित/ निर्यात किए गए यात्री चेकों की का रजिस्टर
- (viii) **फॉर्म FLM 8 (अनुबंध X)**
- (ix) ¹
- (x) विदेशी मुद्रा नोटों/ नकदीकृत यात्री चेकों के आयात से प्राप्त आय से भारत में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते का संकलन दशनिवाला तिमाही विवरण **(अनुबंध XII)**
- (xi) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़े खाते डाली गई विदेशी मुद्रा की राशि का वार्षिक विवरण **(अनुबंध XIII)**
- (xii) एफ़एफ़एमसी/ बैंक से इतर एडी श्रेणी-II के नए निदेशकों/ निदेशों में किए गए परिवर्तन संबंधी सूचना देने वाला प्रोफॉर्मा **(अनुबंध XIV)**

¹ दिनांक 13 नवंबर 2020 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 05 के अनुसार इसे हटा दिया गया है। हटाने से पूर्व इसे "10,000 अमेरिकी डॉलर तथा उससे अधिक राशि के खरीदी लेन-देन का मासिक विवरण (अनुबंध XI)" के रूप में पढ़ा जाता था।

फेमा, 1999 की धारा 10(1) के अंतर्गत एफ़एफ़एमसी लाइसेन्स के लिए आवेदन फॉर्म

1.	आवेदक का पूरा नाम	
2.	संपूर्ण पता	
3.	उस स्थान/ स्थानों का नाम जहां आवेदक का मुद्रा परिवर्तन का कारोबार प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है (कृपया शॉप्स एण्ड एस्टब्लिशमेंट अधिनियम के अंतर्गत लाइसेन्स की प्रतियाँ संलग्न करें)	
4.	(ए) कंपनी की स्थापना की तारीख (बी) कंपनी के निदेशक का/ के नाम तथा पता/ पते	
5.	कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (कारोबार का निगमन प्रमाणपत्र तथा प्रारंभ प्रमाणपत्र) की प्रतिलिपि	
6.	संस्था के बहिर्नियम की प्रतिलिपि जिसके साथ मुद्रा परिवर्तक का कारोबार शुरू करने के लिए प्रावधान करने संबंधी खंड को दर्शाने वाला पत्र भी जोड़ा गया हो।	
7.	सीआईआर फ़ारमेट में आवेदक के बैंक/ बैंकों से गोपनीय रिपोर्ट	
8.	निवल स्वाधिकृत निधि आवेदक कंपनी का लेखापरीक्षित अद्यतन तुलन-पत्र तथा आवेदन की तारीख को कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधियों तथा उनके अभिकलन को प्रमाणित करने वाला कंपनी के सांविधिक लेखाकारों का प्रमाणपत्र	
9.	इस आशय की घोषणा कि कंपनी अथवा उसके कोई भी निदेशक DoE/ DRI जैसी विधि प्रवर्तन एजेंसीयों की जांच-पड़ताल/ न्याय निर्णयन के अंतर्गत नहीं हैं तथा यह भी कि कंपनी अथवा उसके किसी भी निदेशक के विरुद्ध अपराध अन्वेषण एजेंसीयों द्वारा कोई भी आपराधिक कार्यवाही दायर नहीं की गई है।	
10.	यह घोषणा कि मुद्रा परिवर्तक का कारोबार करने के लिए सक्षम स्टाफ को तैनात किया जाएगा।	
11.	विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों का नाम तथा पदनाम	
12.	आवेदक के कार्यों/ कारोबार के स्वरूप पर एक संक्षिप्त लेख	
13.	क्या आवेदक ने पूर्व में कभी एफ़एफ़एमसी/ आरएमसी के लाइसेन्स के लिए आवेदन किया था। यदि हाँ तो उसका विवरण	
14.	कोई अन्य विवरण / विशेष कारण जिसे आवेदक अपने	

	आवेदन के समर्थन में जोड़ना चाहता हो।	
--	--------------------------------------	--

हम यह वचन देते हैं कि मुद्रा परिवर्तन कारोबार को चलाने में हम इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय जारी किए जाने वाले नियमों/ विनियमों/ आदेशों/ निदेशों/ अधिसूचनाओं का हर समय पालन करेंगे।

स्थान :

तारीख :

मुहर सहित आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक :

1. बैंकर की गोपनीय रिपोर्ट
2. पिछले 3 वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों की अनुप्रमाणित प्रतियाँ।

नोट: एकल शाखा वाले एफ़एफ़एमसी के पास निवल स्वाधिकृत निधि 25 लाख रुपए से कम नहीं होगी तथा जो एफ़एफ़एमसी एक से अधिक शाखा के माध्यम से परिचालन करना चाहते हैं उनकी निवल स्वाधिकृत निधि 50 लाख रुपए से कम नहीं होगी।

फॉर्म आरएमसी- एफ़

1.	ए.डी. / एफ़एफ़एमसी का नाम	
2.	फ्रैंचाइज़ी का नाम तथा पता	स्थानों के ब्योरे
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
	आदि	
3.	फ्रैंचाइज़ी की मौजूदा कारोबारी गतिविधियां	
4.	निवल स्वाधिकृत निधियां	
5.	फ्रैंचाइज़ी के पक्ष में शॉप्स एण्ड एस्टब्लिशमेंट/ अन्य यथालागू नगरपालिका प्रमाणन	
6.	स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से फ्रैंचाइज़ी का आचरण प्रमाणपत्र (संस्था के बहिर्नियम तथा अंतर्नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा निगमित इकाइयों के संबंध में निगमन प्रमाणपत्र)	
7.	पूर्व आपराधिक मामले,यदि कोई हो, फ्रैंचाइज़ी अथवा उसके किसी निदेशक/ भागीदारों के विरुद्ध किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा प्रारंभ किए गए/ लंबित मामले यदि कोई हों, संबंधी घोषणा	
8.	फ्रैंचाइज़ी तथा उसके निदेशकों/ भागीदारों के पैन नंबर	
9.	विदेशी मुद्रा के अभ्यर्पण के लिए की गई व्यवस्थाएं	
10.	धन शोधन निवारण, रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण व्यवस्थाएं	

हम घोषित करते हैं कि फ्रैंचाइज़ी का चयन करते समय पर्याप्त उचित सावधानी बरती गई है और यह कि ऐसी कंपनियों ने फ्रैंचाइज़ी करार के सभी प्रावधानों / मुद्रा परिवर्तन से संबंधित प्रचलित भारिबैं विनियमों का अनुपालन करने का वचन दिया है।

स्थान :-

तारीख :-

नाम:-----

पदनाम:-----

भाग-I: अनुबंध-III

एफ़.एल.एम. 1

दैनिक सार एवं शेष बही
(विदेशी मुद्रा नोट/ सिक्के)

तारीख: -----

	पाउंड स्टर्लिंग	अमेरिकी डॉलर	यूरो	येन	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
I. प्रारंभिक शेष					
II. जोड़ें : खरीद					
(i) जनता से खरीद					
(ii) प्राधिकृत व्यापारियों, मुद्रा परिवर्तकों तथा फ्रैंचाइज़ी से खरीद					
(iii) स्टॉक को पुनः भरने के लिए विदेश से आयात					
कुल खरीद					
कुल (I+II)					
III. बिक्री को घटा कर:					
(i) जनता को बिक्री					
(ii) प्राधिकृत व्यापारियों/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को बिक्री					
(iii) उगाही के लिए विदेश भेजा गया					
कुल बिक्री					
IV. अंतिम शेष (I+II+III)					

विशेष टिप्पणी: उन मामलों में जहां जाली नोट आदि मिले हैं, वहाँ अंतिम शेष को, राशि तथा उसे बढ़े खाते डालने के कारणों वाली टिप्पणी सहित समायोजित किया जाए।

तारीख:

नाम :-----

पदनाम :-----

एफ़.एल.एम. 2

दैनिक सार एवं शेष बही
(यात्री चेक)

तारीख: -----

	पाउंड स्टर्लिंग	अमेरिकी डॉलर	यूरो	येन	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
I. प्रारम्भिक शेष					
II. जोड़ें : (i) जनता से खरीद (ii) अन्यो (प्राप्त नए स्टॉक सहित) से खरीद					
कुल (I+II)					
III. निम्नलिखित को घटाकर: (i) जनता को बिक्री (ii) प्राधिकृत व्यापारियों/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को अभ्यर्पित (iii) निर्यात					
IV. अंतिम शेष (I+II+III)					

बेचे गए प्री-पेड कार्ड्स

सं.

राशि

तारीख:

नाम : -----

पदनाम : -----

टिप्पणी:- बेसिक यात्री कोटा के अंतर्गत अथवा कारोबारी यात्रा के लिए यात्रियों को बेचने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों /टीसी जारीकर्ताओं/ अन्य एजेंसीयों से प्राप्त विभिन्न मूल्यवर्गों के कोरे(ब्लैक) यात्री चेक/ स्मार्टकार्ड्स के स्टॉक रजिस्टर को दैनिक आधार पर बनाए रखना तथा संतुलित/ मिलान किया जाना चाहिए।

भाग-I: अनुबंध-V

एफ़.एल.एम. 3

जनता से खरीदी गई विदेशी मुद्राओं का रजिस्टर

तारीख	क्रम सं.	प्रस्तुत करने वाले का नाम	राष्ट्रीयता तथा पूर्ण पता	पहचान संबंधी दस्तावेजों के ब्योरे	पाउंड स्टर्लिंग	अमेरिकी डॉलर	यूरो
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

जापानी येन	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	दर	रुपया समकक्ष	नकादिकरण प्रमाणपत्र सं. तथा तारीख	टिप्पणियाँ
9.	10.	11.	12.	13.	14.

टिप्पणियाँ : 1) यदि मुद्रा परिवर्तक बहू संख्य मुद्राओं का व्यापार कर रहा है तो सुविधानुसार दो अथवा अधिक मुद्रावार अथवा अन्यतः रजिस्टर बनाए रखे जाएँ।

2) यात्री चेक खरीदने पर 'राशि' स्तंभ में प्रेफिक्स "टीसी" दर्शाया जाए।

3) एक ही प्रस्तुतकर्ता से एक से अधिक मुद्राएँ खरीदने पर अलग- अलग प्रविष्टियाँ की जाएँ।

तारीख:

नाम :-----

पदनाम : -----

भाग-I: अनुबंध-VI

एफ़.एल.एम. 4

प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों से खरीदे गये
विदेशी मुद्रा नोटों/ सिक्कों का रजिस्टर

तारीख	क्रम सं.	उन प्राधिकृत व्यापारियों तथा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के नाम तथा पते जिनसे विदेशी मुद्रा खरीदी गई है	मुद्रा	राशि	दर	रुपया समकक्ष	टिप्पणियाँ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

तारीख:

नाम:-----

पदनाम: -----

भाग-I: अनुबंध-VII

एफ़.एल.एम. 5

जनता को बेची गई विदेशी मुद्राओं का रजिस्टर

तारीख	क्रम सं.	प्रस्तुत करने वाले का नाम	राष्ट्रीयता तथा पूर्ण पता	पहचान संबंधी दस्तावेजों के ब्योरे	प्रायोजक संगठन का नाम	जहां यात्रा कर रहे हैं उस देश/ उन देशों के नाम	यात्रा का उद्देश्य	विदेश में रहने की अवधि (दिन की संख्या)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

विदेशी मुद्रा नोटों/ सिक्कों/ टीसी/ प्री-पेड कार्ड्स का विवरण			दर	रुपया समकक्ष	प्रभारित कमीशन यदि कोई हो	प्राप्त कुल राशि		कैश मेमो सं. तथा तारीख	टिप्पणियाँ
मुद्रा का नाम	नोटों/ सिक्कों में राशि	टीसी/ कार्डों में राशि				नकद	चेक से		
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

टिप्पणियाँ : 1) यदि मुद्रा परिवर्तक बहू संख्य मुद्राओं का व्यापार कर रहा है तो सुविधानुसार दो अथवा अधिक मुद्रावार अथवा अन्यतः रजिस्टर बनाए रखे जाएँ।

2) एक से अधिक मुद्राएँ बेचने पर अलग- अलग प्रविष्टियाँ की जाएँ।

3) कारोबार के प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा देने की स्थिति में स्थं. सं. 6 तथा 9 को भरें।

तारीख:

नाम:-----

पदनाम: -----

एफ़.एल.एम. 6

प्राधिकृत व्यापारियों/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों/ पारदेशीय बैंकों को बेचे गए
विदेशी मुद्रा नोटों/ सिक्कों का रजिस्टर

तारीख	क्रम सं.	जिसे मुद्रा बेची गई है उस प्राधिकृत व्यापारी/ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ पारदेशीय बैंक का नाम तथा पता	मुद्रा	राशि	दर	प्राप्त रुपया समकक्ष राशि	टिप्पणियाँ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

टिप्पणी: रजिस्टर में की जाने वाली अपेक्षित प्रविष्टियाँ निधियों को परिसर के बाहर ले जाने से पूर्व की जानी चाहिए, निधियों की सुपुर्दगी के पश्चात नहीं।

तारीख:

नाम:-----

पदनाम: -----

एफ़.एल.एम. 7प्राधिकृत व्यापारियों/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को अभ्यर्पित/ निर्यात किए गए यात्री चेकों का रजिस्टर

तारीख	क्रम सं.	जिसे टीसी बेचे गए हैं उस प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक/ टीसी जारीकर्ता/ प्राधिकृत एजेंट का नाम तथा पता	यात्री चेक की सं.	राशि	दर	रुपये में समतुल्य प्राप्ति	टिप्पणियाँ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

तारीख:

नाम:-----

पदनाम: -----

एफ़.एल.एम. 8
(एफ़एफ़एमसी के लिए)

----- माह के दौरान विदेशी मुद्रा नोटों की खरीद तथा बिक्री का संक्षिप्त विवरण

मुद्रा परिवर्तक का नाम और पता :

आरबीआई लाइसेन्स सं. -----

	अमेरिकी डॉलर	ग्रेट ब्रिटन पाउंड	यूरो	जापानी येन	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
ए. प्रारम्भिक शेष निम्नलिखित से विदेशी मुद्रा नोटों की खरीद क) जनता ख) आयात सहित आरएमसी/ एफ़एफ़एमसी/ एडी ग) एजेंट/ फ्रैंचाइज़ी					
बी. कुल खरीद (क)+(ख)+(ग) निम्नलिखित के अंतर्गत विदेशी मुद्रा नोटों की बिक्री क) मूल यात्रा कोटा (बीटीक्यू) ख) कारोबारी दौरे ग) निर्यात सहित अन्य एफ़एफ़एमसी/ एडी को बिक्री					
सी. कुल बिक्री [(क)+(ख)+(ग)] अंतिम शेष (ए+बी-सी)					

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि यह विवरण माह के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमावली के अनुसार किए गए सभी लेन-देन का वास्तविक तथा सही विवरण है।

स्थान:

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख:

मुहर

नाम:-----
पदनाम:-----

एफ़.एल.एम. 8
(प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लिए)

----- माह के दौरान विदेशी मुद्रा नोटों की खरीद तथा बिक्री का संक्षिप्त विवरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- -----

आरबीआई -----

II

लाइसेन्स सं.

का नाम तथा पता

	अमेरिकी डॉलर	ग्रेट ब्रिटन पाउंड	यूरो	जापानी येन	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
ए. प्रारम्भिक शेष निम्नलिखित से विदेशी मुद्रा नोटों की खरीद क) जनता ख) आयात सहित आरएमसी/ एफ़एफ़एमसी/ एडी ग) एजेंट/ फ्रैंचाइज़ी					
बी. कुल खरीद (क)+(ख)+(ग) निम्नलिखित के अंतर्गत विदेशी मुद्रा नोटों की बिक्री (प्रयोजन कोड नं. सहित) क) मूल यात्रा कोटा (बीटीक्यू)/ निजी दौरे (एस0302) ख) कारोबारी दौरे/(ii) कारोबारी यात्रा (एस0301) ग) यात्रा परिचालकों/ यात्रा एजेंट द्वारा विदेशी एजेंट/ प्रिन्सिपल्स/ होटलों को विप्रेषण(एस0306) (घ) फिल्म की शूटिंग (एस1101) (ङ) विदेश में चिकित्सा उपचार (एस0304) च) कर्मचारियों के वेतन का विवरण (एस1401) छ) विदेश में शिक्षा (एस0305) ज) (i) वैश्विक सम्मेलनों में सहभागी होने का					

<p>शुल्क/ (ii) अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए विप्रेषण(प्रशिक्षण, प्रयोजन तथा पुरस्कार राशि हेतु)/ (iii) विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत विप्रेषण/ (iv) भारत तथा विदेश में आयोजित परीक्षाओं के शुल्क तथा GRE, TOEFL आदि के लिए अतिरिक्त स्कोर शीट्स हेतु विप्रेषण / (v) नौकरी तथा विदेश में नौकरी हेतु आवेदनों की प्रोसेसिंग, मूल्यांकन शुल्क / (vi) अभिप्रेत प्रवासियों के लिए कुशलता/परिचय पत्र का मूल्यांकन शुल्क/ (vii) वीसा शुल्क/ (viii) दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु पुर्तगाली/ अन्य सरकारों द्वारा अपेक्षित प्रोसेसिंग शुल्क/ (ix) अंतरराष्ट्रीय संगठनों में पंजीकरण/अंशदान/ सदस्यता शुल्क (एस1202)</p> <p>झ) उत्प्रवास (एमिग्रेशन) शुल्क (एस1202)</p> <p>ज) उत्प्रवास परामर्श शुल्क (एस1006)</p> <p>त) निर्यात सहित अन्य एफ़.एफ़.एम.सी./ एडी को बिक्री</p> <p>सी. कुल बिक्री [(क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)+(च)+(छ)+(ज)+(झ)+(ञ)+(त)]</p> <p>अंतिम शेष (ए+बी-सी)</p>					
---	--	--	--	--	--

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि यह विवरण माह के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमावली के अनुसार किए गए सभी लेन-देन का वास्तविक तथा सही विवरण है।

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

नाम:-----

पदनाम:-----

²भाग-I: अनुबंध-XI

² दिनांक 13 नवंबर 2020 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 05 के अनुसार इसे हटा दिया गया है। हटाए जाने से पहले इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था-

----- माह के लिए 10,000 तथा उससे अधिक अमेरिकी डॉलर के खरीदी लेन-देन का विवरण

लेन-देन की तारीख	विदेशी मुद्रा अभ्यर्पित करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता	राशि
		विदेशी मुद्रा/ यात्री चेक

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

भाग-I: अनुबंध-XII

----- माह को समाप्त तिमाही के लिए विदेशी मुद्रा नोटों/ नकदीकृत यात्रा चेकों के निर्यात से प्राप्त राशियों से भारत में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते का संकलन दर्शाने वाला विवरण
(मूल्य अमेरिकी डॉलर में)

खाते में प्रारम्भिक शेष	निर्यात किए गए विदेशी मुद्रा नोटों/ नकदीकृत यात्रा चेकों का मूल्य	विदेशी मुद्रा में प्राप्त राशि	स्तंभ 3 में से विदेशी मुद्रा खाते में जमा की गई राशि	बेचे गए यात्रा चेकों में से टीसी जारीकर्ता संगठन को विप्रेषित/ एडी से खरीदे गए विदेशी मुद्रा नोटों के लिए डेबिट की गई राशि	तिमाही के दौरान विदेशी मुद्रा खाते में किसी एक दिन को बनाए रखी गई अधिकतम शेष	विदेशी मुद्रा खाते में अंतिम शेष	टिप्पणियाँ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण हमारे अभिलेख के अनुसार सही है।

एडी श्रेणी-I का नाम तथा पता :

एडी श्रेणी-I के प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर मुहर सहित

भाग-I: अनुबंध-XIII

----- को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई विदेशी मुद्रा राशि का विवरण

एफ़एफ़एमसी/ एडी श्रेणी-II का नाम :

ए. बट्टे खाते डाली गई कुल राशि (समतुल्य अमेरिकी डॉलर में):-

बी. बट्टे खाते डाली गई राशि का ब्योरा:-

क्रम सं.	बट्टे खाते डालने की तारीख	विदेशी मुद्रा की राशि (मुद्रा-वार आंकड़ों सहित)	के कारण *	एफ़एफ़एमसी/एडी श्रेणी-II/रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित
1.	2.	3.	4.	5.
		कुल:		

* कृपया निर्दिष्ट करें कि नकली अथवा जाली / चोरी/ प्रेषण के दौरान खो जाने आदि में से किस कारण बट्टे खाते डाला गया।

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

प्रोफॉर्म

एफ़एफ़एमसी/ बैंक से इतर एडी श्रेणी- II के नए निदेशकों/ बदले गए निदेशकों संबंधी जानकारी

1. नाम :
2. पदनाम :
3. राष्ट्रीयता :
4. आयु :
5. कारोबारी पता :
6. आवासीय पता :
7. शैक्षणिक/ व्यावसायिक अर्हता :
8. कारोबार अथवा व्यवसाय :
9. अन्य कंपनियों के नाम जिनमें उक्त व्यक्ति ने अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद धारण किया है :
10. (i) क्या किसी अन्य एफ़एफ़एमसी/ एडी श्रेणी- II में प्रवर्तक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष अथवा निदेशक के रूप में संबद्ध हैं? :
- (ii) यदि हां तो कंपनी/कंपनियों का/के नाम :
11. (i) क्या कभी व्यक्तिगत क्षमता में अथवा किसी फ़र्म/ कंपनी के भागीदार/ निदेशक के रूप में किसी आर्थिक अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है/ अभिशंसित किया गया है? :
- (ii) यदि हां तो उसके ब्योरे दें :
12. मुद्रा परिवर्तन कारोबार में अनुभव (कितने वर्ष) :
13. कंपनी में इक्विटी शेयर धारिता :

शेयरों की संख्या :

अंकित मूल्य :

कंपनी के कुल इक्विटी शेयर पूंजी के प्रति प्रतिशत :

हस्ताक्षर :

नाम :

तारीख :

पदनाम :

स्थान :

(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

2) धन अंतरण सेवा योजना

धन अंतरण सेवा योजना (MTSS) भारत में निवास करने वाले हिताधिकारियों को विदेश से व्यक्तिगत प्रेषणों के अंतरण का एक तेज एवं आसान तरीका है। भारत में केवल परिवार के भरण-पोषण के लिए भेजे गए विप्रेषण तथा भारत का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में भेजे गए विप्रेषणों जैसे व्यक्तिगत आवक विप्रेषण अनुमत हैं। एमटीएसएस के अंतर्गत कोई बाह्य विप्रेषण अनुमत नहीं है। इस प्रणाली के अंतर्गत विदेशों में स्थित प्रख्यात धन अंतरण कंपनियाँ जिन्हें पारदेशीय प्रिंसिपल्स कहा जाता है तथा भारत में स्थित एजेंट जिन्हें भारतीय एजेंट कहा जाता है के बीच एक गठबंधन की परिकल्पना की गई है, जो भारत में स्थित हिताधिकारियों को चालू विनिमय दरों पर निधियों का वितरण करेंगे। भारतीय एजेंट अपने नेटवर्क को विस्तारित करने के लिए अपनी ओर से उप-एजेंट भी नियुक्त कर सकते हैं। भारतीय एजेंट को पारदेशीय प्रिंसिपल को कोई राशि प्रेषित करने की अनुमति नहीं है। एमटीएसएस के अंतर्गत विप्रेषक तथा हिताधिकारी केवल व्यक्ति ही हैं।

रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं नीचे दी गई हैं:

- क. उप-एजेंट, पारदेशीय प्रिंसिपल की सूची- भारतीय एजेंट-वार (अनुबंध-XV): भारतीय एजेंट जब कभी किसी उप-एजेंट को नियुक्त करते हैं /निष्कासित करते हैं तो उन्हें विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ई-मेल द्वारा एक्सेल फ़ारमैट में सॉफ्ट फॉर्म में अपने उप-एजेंट की पूर्णतः अद्यतन सूची (नाम तथा पते तथा उनके स्थान सहित) प्रेषित करनी चाहिए।³ भारतीय एजेंट जो गैर-बैंक प्राधिकृत श्रेणी- II/ एफएफएमसी हैं, उन्हें इसे एपीकनेक्ट एप्लिकेशन (<https://apconnect.rbi.org.in/entity>) में प्रस्तुत करना होगा। भारतीय एजेंट को नियमित अंतराल पर आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर उप-एजेंट की सूची का सत्यापन करना चाहिए तथा सूची में कुछ गलत नजर आने पर उसे तत्काल विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए। साथ ही भारतीय एजेंट को आरबीआई की वेबसाइट पर रखी गई सूची की सत्यता की विमूवि के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को तिमाही आधार पर तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर पत्र अथवा ई-मेल द्वारा पुष्टि करनी चाहिए।
- ख. अतिरिक्त स्थानों की सूची: भारतीय एजेंट द्वारा रिज़र्व बैंक के विमूवि के उस संबंधित आरओ को प्रस्तुत की जानी है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके पंजीकृत कार्यालय आते हैं। यह सूची तिमाही आधार पर संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- ग. विप्रेषणों की प्राप्त राशि की मात्रा संबंधी तिमाही विवरण (अनुबंध-XVI): भारतीय एजेंटों द्वारा⁴केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) (URL: <https://sankalan.rbi.org.in>) के माध्यम से संबंधित तिमाही के

³ दिनांक 06 अप्रैल 2023 के ए.पी. (डीआईआर) परिपत्र सं. 01 द्वारा जोड़ा गया।

⁴ दिनांक 05 मार्च 2024 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 15 द्वारा जोड़ा गया। संशोधन से पहले इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “एक्सटेंसिबल रिपोर्टिंग लैंग्वेज (XBRL) (<https://secweb.rbi.org.in/orfsxbml/>) का उपयोग करके”.

समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाए। यदि किसी तिमाही में कोई विप्रेषण प्राप्त नहीं हुआ, तो 'शून्य' सूचना प्रस्तुत की जाए।

- घ. प्रति वर्ष जून तथा दिसंबर माह के अंत की स्थिति के अनुसार धारित संपार्श्विक का छमाही विवरण (अनुबंध-XVII): भारतीय एजेंट द्वारा रिज़र्व बैंक के विमुवि के उस संबंधित आरओ को प्रस्तुत की जानी है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके पंजीकृत कार्यालय आते हैं। यह सूची तिमाही आधार पर संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।⁵ भारतीय एजेंट जो गैर-बैंक प्राधिकृत श्रेणी- II/ एफएफएमसी हैं, उन्हें इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर एपीकनेक्ट एप्लिकेशन में प्रस्तुत करना होगा

सभी प्राधिकृत व्यक्ति जो एमटीएसएस के अंतर्गत भारतीय एजेंट हैं, को निर्धारित विवरणों की प्रस्तुति सहित रिज़र्व बैंक के साथ अपना सभी पत्राचार रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी) के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके पंजीकृत कार्यालय कार्य करते हैं।

⁵ इसे 06 अप्रैल 2023 के ए.पी. (डीआईआर) परिपत्र सं. 01 द्वारा जोड़ा गया।

एमटीएसएस के भारतीय एजेंट के उप-एजेंट के लिए फ़ार्मेट

1.	उप एजेंट का नाम	
2.	उप एजेंट की श्रेणी (AD श्रेणी बैंक I, AD श्रेणी II, अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक/ डाक विभाग/ पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी /अन्य	
3.	पंजीकृत/ कॉर्पोरेट/ प्रशासनिक कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर, फ़ैक्स नं. तथा ई-मेल आईडी	
4.	किस के साथ पंजीकृत हैं	
5.	पंजीकरण सं.	
6.	पंजीकरण के ब्योरे (अनुबंध XV क के अनुसार दस्तावेज़ जोड़े जायें)	
7.	पैन नंबर (अनुबंध XV क के अनुसार प्रतिलिपि)	
8.	बैंकर/ बैंकरों के नाम तथा बैंक खाता/ खातों के नंबर (अनुबंध XV (क) के अनुसार अनुलग्नक)	
9.	10% से अधिक इक्विटी धारिता वाले प्रत्येक प्रवर्तक के ब्योरे (नाम, राष्ट्रीयता, आवासीय पता, किसी अन्य कंपनी में नियंत्रण अधिकार, पैन नंबर)	
10.	प्रदत्त पूंजी तथा शेयरों की संख्या	
11.	किस सनदी लेखाकार ने लेखों को प्रमाणित किया है? ब्योरे दें (अनुबंध XV क के अनुसार अनुलग्नक)	
12.	क्या आपराधिक/ आर्थिक अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया है/ अभिशंसित किया गया है? यदि हां तो उसके ब्योरे (अनुबंध XV क के अनुसार अनुलग्नक)	
13.	क्या आज की तारीख तक उप एजेंट शोधक्षम है ?	
14.	अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी के ब्योरे (नाम, पदनाम, राष्ट्रीयता, आवासीय पता, अन्य कंपनी/ कंपनियों के नाम जिसमें/ जिनमें उक्त व्यक्ति ने कोई पद धरण किया है, कंपनी में इक्विटी शेयर धारिता, यदि कोई है, के ब्योरे) (अनुबंध XV क के अनुसार अनुलग्नक)	

नोट: मद सं. 9 के संदर्भ में उप एजेंट के स्वामित्व से संबंधित ब्योरे इक्विटी धारिता के आखरी परत (last layer) तक विस्तृत रूप से प्रकट किए जाएँ। अंत में कंपनी में लाभकारी हित का स्वामित्व रखनेवाले व्यक्ति/ एंटीटी के नाम का उल्लेख भी होना चाहिए।

तारीख :

स्थान:

सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर

भाग I: अनुबंध XV क

उन दस्तावेजों की सूची जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्रस्तुत किया जाना है

1. निगमन प्रमाणपत्र
2. संस्था के बहिर्नियम तथा अंतर्नियम (अद्यतन)
3. धन अंतरण गतिविधियां संचालित करने, आवेदन करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने सहित आवेदन की प्रस्तुति तथा उसकी विषयवस्तु संबंधी बोर्ड का संकल्प
4. सहयोगी संस्थाओं, समूह कंपनियों आदि के ब्यौरे
5. निदेशक/ निदेशकों के पैन कार्ड्स
6. बैंक खाते संबंधी विवरण तथा बैंकों से मुहरबंद गोपनीय रिपोर्ट
7. निवल स्वाधिकृत निधियों को प्रमाणित करने वाला सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) का प्रमाणपत्र
8. पिछले तीन वर्ष के लिए तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा विवरण
9. अगले तीन वर्ष के लिए कारोबार आयोजना
10. स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से आचरण प्रमाणपत्र
11. कंपनी अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध किसी भी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा चलाए गए पुराने आपराधिक मामलों, प्रारंभ किए गए/लंबित मालों संबंधी घोषणा
12. निदेशकों तथा मुख्य व्यक्तियों के फोटोग्राफ
13. प्रबंध तंत्र संबंधी सूचना
14. शॉप एण्ड एस्टब्लिशमेंट प्रमाणपत्र/ अन्य नगरपालिका प्रमाणपत्र।

भाग I: अनुबंध XVI

दिनांक ----- को समाप्त तिमाही के दौरान धन अंतरण सेवा योजना के माध्यम से प्राप्त विप्रेषणों की राशि/ मात्रा का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

भारतीय एजेंट का नाम : -----

पारदेशीय प्रिन्सिपल का नाम	अमेरिकी डॉलर में प्राप्त विप्रेषणों की कुल राशि	भारतीय रुपये में समतुल्य राशि

टिप्पणी: यह विवरण ⁶भारतीय एजेंटों द्वारा केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) (URL: <https://sankalan.rbi.org.in>) के माध्यम से संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

⁶ दिनांक 05 मार्च 2024 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 15 द्वारा जोड़ा गया। संशोधन से पहले इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “एक्सटेनसीबल रिपोर्टिंग लैंग्वेज (XBRL) (<https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/>) का उपयोग करके”.

भारतीय एजेंट द्वारा रखे गए संपार्श्विक का विवरण

भारतीय एजेंट का नाम : -----

पारदेशीय प्रिन्सिपल का नाम	पिछले 6 महीने के दौरान अमेरिकी डॉलर में प्राप्त विप्रेषणों की कुल राशि	धारित संपार्श्विक की राशि अमेरिकी डॉलर में	विभिन्न स्वरूप में रखा गया संपार्श्विक (विदेशी मुद्रा जमाराशि/ बैंक गारंटी)	टिप्पणियों सहित संपार्श्विक की पर्याप्तता की अंतिम समीक्षा

टिप्पणी: यह विवरण प्रति वर्ष जून तथा दिसंबर माह के अंत में रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित छमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करना है। ⁷ भारतीय एजेंट जो गैर-बैंक प्राधिकृत श्रेणी- II/ एफएफएमसी हैं, उन्हें इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर एपीकनेक्ट एप्लिकेशन में प्रस्तुत करना होगा।

⁷ इसे 06 अप्रैल 2023 के ए.पी. (डीआईआर) परिपत्र सं. 01 द्वारा जोड़ा गया।

3) रुपया आहरण व्यवस्थाएँ:

रुपया आहरण व्यवस्था (RDA) के अंतर्गत, खाड़ी देशों, हाँग काँग, सिंगपुर, मलेशिया (मलेशिया के लिए केवल स्पीड रेमिटन्स प्रोसीजर के अंतर्गत) तथा ऐसे सभी अन्य देश जो एफ़एटीएफ़ का अनुपालन करते हैं, में स्थित एक्स्चेंज हाउसों से भारत में सीमा-पर आवक विप्रेषण प्राप्त होते हैं (एफ़एटीएफ़ का अनुपालन करने वाले सभी अन्य देशों के लिए केवल स्पीड रेमिटन्स प्रोसीजर के अंतर्गत)।

इस संबंध में रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षा निम्नानुसार है:-

क. आवेदन (अनुबंध XVIII): एडी-श्रेणी-1 बैंकों को खाड़ी देशों, हाँग काँग, सिंगपुर, मलेशिया (मलेशिया के लिए केवल स्पीड रेमिटन्स प्रोसीजर के अंतर्गत) तथा एफ़एटीएफ़ का अनुपालन करने वाले सभी अन्य देशों के अनिवासी विनिमय गृहों के साथ पहली बार इन अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने तथा बनाए रखने के लिए प्रारंभ करते समय अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अनुबंध-VIII में दिए गए फॉर्म में रिज़र्व बैंक को आवेदन करना चाहिए।

ख. विवरण ए (अनुबंध XIX): इस मासिक विनिमय गृह-वार विवरण का उद्देश्य है विनिमय गृहों के रुपया/ विदेशी मुद्रा वोस्ट्रो खातों में परिचालनों के ब्यौरे प्राप्त करना। इस विवरण की आलोचनात्मक जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि खाते में धारित निधियां अनुमानित प्रक्रियाधीन डेबिट (डेबिट्स) को कवर करने के लिए पर्याप्त है। एड श्रेणी-1 का शीर्ष प्रबंध तंत्र प्रक्रियाधीन आंकड़ों का अध्ययन करके अपनी खुद की सीमाएं निर्धारित कर सकता है तथा शीर्ष प्रबंध तंत्र को निर्धारित सीमाओं के अनुपालन संबंधी जानकारी तिमाही आधार पर दी जाए।

ग. विवरण बी (अनुबंध XX): यह समेकित अर्ध वार्षिक विवरण है जिसमें बंद किए जानेवाले/ बंद होने की प्रक्रियाधीन विनिमय गृहों के रुपया/ विदेशी मुद्रा वोस्ट्रो खातों की स्थिति दर्शाई गई है।

घ. विवरण सी (अनुबंध XXI): यह एक मासिक विवरण है जिसमें वसूली से प्राप्त आय तथा अतिरिक्त संपार्श्विकों को धारित करने के लिए ड्राफ्ट आहरण व्यवस्था (डीडीए)/ गैर-डीडीए क्रियाविधियों के अंतर्गत भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं में धारित विनिमय गृहों के खाते संबंधी जानकारी दी गई है।

ङ. विवरण डी (अनुबंध XXII): इस मासिक विवरण में विनिमय गृहों के विदेशी मुद्रा वोस्ट्रो खातों में परिचालनों संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है।

टिप्पणी: जहां ए से डी (अनुबंध XIX से XXII) तक के विवरण रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, फिर भी एडी श्रेणी-1 को यह विवरण तैयार करें तथा निर्धारित आवधियों पर निरीक्षण करें। संबंधित विवरण/ रिपोर्ट जहां आवश्यक हो वहाँ की गई/ प्रारंभ की गई सुधारात्मक कार्यवाई को दर्शाते हुए उनके प्रबंध तंत्र को अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

च. विवरण (अनुबंध XXIII): प्रत्येक तिमाही में प्राप्त कुल विप्रेषणों पर आधारित यह तिमाही विवरण संबंधित तिमाही के अगले महीने की 15 तारीख से पूर्व⁸ केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) (URL: <https://sankalan.rbi.org.in>) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। यदि प्रस्तुत करने हेतु कोई डाटा उपलब्ध न हो तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक CIMS में 'शून्य' रिपोर्ट अपलोड करें।

छ. वार्षिक समीक्षा: एडी श्रेणी। बैंकों को प्रति वर्ष 30 जून तक रुपया/ विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्थाओं (आरआरडीए/ एफसीवाईडीए) के अंतर्गत बनाए रखे गए विनिमय गृहों के वोस्ट्रो खातों पर पिछले 1 जनवरी से 31 दिसंबर की अवधि को कवर करने वाली अपने बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित वार्षिक समीक्षा नोट रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी) के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवेदक का पंजीकृत कार्यालय कार्य करता है। समीक्षा नोट में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाए: (क) विनिमय गृहों की ऋण पात्रता (वित्तीय विवरण तथा बाजार रिपोर्टों के आधार पर), (ख) विनिमय गृहों के लाइसेन्स की वैधता तथा विनिमय गृहों द्वारा निवासी देश के केवाईसी/ एएमएल/ सीएफ़टी दिशानिर्देशों का अनुपालन, (ग) लेन-देन, घटनाओं, विवादों आदि के कारण एडी श्रेणी –1 बैंक को पहुंची हुई वित्तीय हानि यदि हो, (घ) प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार की मात्रा, अलग से (ङ) वोस्ट्रो खातों के संबंध में निधीयन संबंधी व्यवस्थाएँ, (च) विनिमय गृहों का अर्ध-वार्षिक निरीक्षण (छ) पर्यवेक्षण (खाते के परिचालनों की निगरानी करने के लिए स्थापित प्रणाली), (ज) आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली, (झ) ओवरड्राफ्ट तथा संग्रहीत ब्याज। वार्षिक समीक्षा नोट के साथ बोर्ड द्वारा जारी निदेशों का उद्धरण, यदि कोई हो, भी रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाए। वार्षिक समीक्षा नोट को प्रस्तुत करते समय, (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन तथा वोस्ट्रो खाते खोलने की तारीख के साथ एडी श्रेणी-1 बैंकों की विनिमय गृहों के साथ स्थापित आहरण व्यवस्थाओं (डीडीए/ नॉन-डीडीए/ स्पीड रेमिटेन्स) का संपूर्ण ब्योरा (ख) आहरण व्यवस्थाओं की समाप्ति, यदि कोई हो, की तारीख (उन आहरण व्यवस्थाओं सहित जो पूर्ण नहीं हो पायीं), तथा (ग) प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत अदाकर्ता शाखाओं की संख्या भी शामिल की जाए।

⁸ दिनांक 22 दिसंबर 2023 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.09 द्वारा जोड़ा गया। संशोधन से पहले इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था: "एक्सटेंसिबल रिपोर्टिंग लैंग्वेज (XBRL) (<https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/>) का उपयोग करके"

टिप्पणी: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को निर्धारित विवरणों की प्रस्तुति सहित रिज़र्व बैंक के साथ अपना सभी पत्राचार रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी) के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके पंजीकृत कार्यालय कार्य करते हैं।

भाग I: अनुबंध XVIII

विनिमय गृहों के साथ रुपया/ विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन

(क) विनिमय गृहों के साथ रुपया/ विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित फ़ारमेट (नीचे दिया गया है) में पूर्ण करके भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी) के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवेदक पंजीकृत कार्यालय कार्य करते हैं। आवेदन पर आवेदक एडी श्रेणी-। बैंक के महाप्रबंधक (अथवा समतुल्य पद (रैंक) के कोई अधिकारी), अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग/ विदेश विभाग के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(ख) प्रलेखीकरण

एडी श्रेणी-। बैंकों को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने हैं :

(i) विनिमय गृह जहां स्थित है उस देश के केंद्रीय बैंक/ किसी अन्य पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लाइसेन्स (अंग्रेजी पाठ) की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ii) विनिमय गृह के देश की नगरपालिका प्राधिकारियों तथा/ अथवा किसी अन्य सरकारी विनियामक/ नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेन्स (लाइसेंसों) की प्रमाणित प्रतिलिपियां। (यूआई में स्थित विनिमय गृहों पर लागू)

(iii) चार्टर्ड अकाउंटेंट का विनिमय गृह द्वारा निवासी देश में आपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी मानदंडों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र।

⁹(iv) संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास /विनिमय गृह / प्रतिनिधि बैंक के दो बैंकेरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए गोपनीय अभिमत/ रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियां, बशर्ते कि संबंधित बैंक का निदेशक मण्डल उससे संतुष्ट हो।

(v) विनिमय गृह से संबंधित पिछले तीन वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ- हानी लेखा विवरण।

(vi) उक्त व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए एडी श्रेणी-। बैंक के बोर्ड के संकल्प की प्रतिलिपि।

⁹ दिनांक 12 अप्रैल 2018 से जोड़ा गया।

(vii) जहां आवश्यक है वहां संपार्श्विक के प्रावधान सहित रुपया/ विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव से संबंधित विनिमय गृह के पत्र की प्रतिलिपि।

भाग I- आवेदक बैंक तथा उसकी मौजूदा व्यवस्थाओं, यदि कोई हो, के विवरण

1.	आवेदक बैंक का नाम	
2.	मौजूदा व्यवस्था (एं) (i) विनिमय गृह (ईएच) का नाम (ii) कब से कार्यरत है (iii) अदाकर्ता शाखाओं की संख्या (iv) पिछले तीन कलेंडर वर्ष के लिए कारोबार की मात्रा	
3(क)	बहुसंख्य ईएच आहरण व्यवस्थाओं वाली शाखाओं के ब्यौरे	
3(ख)	उन शाखाओं में स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता से संबंधित टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें	
4.	पिछले पाँच वर्ष (अप्रैल- मार्च) के दौरान यदि वित्तीय हानि हुई है तो: (i) वर्ष (ii) ईएच का नाम (iii) हानि की राशि (iv) हानि के ब्यौरे (v) भारिबैं में दर्ज करने तथा बट्टे खाते डालने के लिए भारिबैं की अनुमति की तारीख तथा संदर्भ सं.	
5.	ईएच के साथ वित्तीय विवाद, यदि कोई हो जिनका निपटान लंबित है। (i) ईएच का नाम (ii) हानि की अपेक्षित राशि (iii) हानि के ब्यौरे (iv) भारिबैं में रिपोर्ट दर्ज करने की तारीख तथा संदर्भ सं.	
6.	आंतरिक लेखापरीक्षकों, भारिबैं के निरीक्षकों तथा विदेशी लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान मौजूदा आहरण व्यवस्थाओं में पाई गई मुख्य अनियमितताओं का ईएच-वार सारांश प्रस्तुत करें जिसमें बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारात्मक उपायों को दर्शाया गया है।	

भाग II- प्रस्तावित आहरण व्यवस्था के लिए विनिमय गृह के विवरण

1(क)	बैंक द्वारा जिस विनिमय गृह के साथ आरडीए प्रारंभ करना प्रस्तावित है उसका नाम तथा पता	
(ख)	ईएच की स्थापना की तारीख	
(ग)	ईएच की अन्य समूह कंपनियों के ब्यौरे जैसे नाम, प्रबंध नियंत्रण, वित्तीय साधन तथा साख आदि प्रस्तुत करें	
2 (क)	क्या उक्त ईएच का भारत में किसी अन्य बैंक में सक्रिय आरडीए है	
(ख)	यदि हां तो बैंक/ बैंकों के नाम बताएं	

3.	ईएच के प्रबंधन ढांचे के ब्यौरे प्रस्तुत करें (क) ईएच की स्थिति (कंपनी, फ़र्म, संयुक्त उद्यम आदि) (ख) प्रबंधन किसके पास निहित है; (ग) ईएच के परावर्तकों का नाम, राष्ट्रीयता, तथा व्यवसाय (घ) पूंजी धारिता का स्वरूप (ङ) क्या आवेदक बैंक का ईएच में कोई निवेश होगा? पूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत करें (च) क्या ईएच के प्रबंधन में आवेदक बैंक की कोई भूमिका होगी? ब्यौरे प्रस्तुत करें	
4.	पिछले तीन कैलेंडर वर्ष के दौरान ईएच द्वारा अर्जित लाभ/ को हुई हानि	
5.	संबंधित देश के केंद्रीय बैंक/ पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लाइसेन्स के ब्यौरे (क) लाइसेन्स नं. (ख) जारी करने की तारीख (ग) वैधता अवधि (घ) विशेष शर्तें, यदि कोई हों	
6.	नगरपालिका प्राधिकरण तथा/ अथवा कोई अन्य सरकारी विनियामक/ नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंसों के ब्यौरे (यूआई में ईएच पर लागू) (क) लाइसेन्स नं. (ख) जारी करने की तारीख (ग) वैधता अवधि (घ) विशेष शर्तें, यदि कोई हों	
7.	निम्नलिखित द्वारा रिकार्ड किया गया गोपनीय अभिमत संक्षिप्त में: (क) देश में भारतीय दूतावास (ख) ईएच के बैंकर (i) ----- (ग) बैंकर का नाम (ii) ----- बैंकर का नाम	
8.	क्या आवेदक बैंक निम्नलिखित से पूर्णतः संतुष्ट है क) ईएच का प्रबंधन करने वाली कंपनी/ फ़र्म/ व्यक्तियों की सक्षमता ख) ईएच के शेयर धारकों की वित्तीय सुदृढ़ता ग) ईएच की वित्तीय सुदृढ़ता घ) ड्राफ्ट जारी करने के संबंध में ईएच में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां	
9.	ईएच के साथ तय की गई सांपाश्विक व्यवस्थाओं (अर्थात् जमा की रकम, बैंक गारंटी, आदि) तथा उनका औचित्य	

भाग- III – प्रस्तावित व्यवस्था के ब्यौरे

1.	प्रस्तावित व्यवस्था के ब्यौरे/ वर्णन	
2(क)	आरडीए प्रारंभ करने के कारण	
(ख)	कारोबार संबंधी अनुमान (मासिक अनुमानों को परिमाणित करें)	
3.	वह क्रियाविधि जिसके अंतर्गत प्रस्तावित आरडीए का संचालन किया जाएगा(आरडीए/ नॉन-आरडीए, स्पीड)	
4.	खाता रखने वाली शाखा का नाम तथा पता	
5.	प्रस्तावित आरडीए में शामिल की जानेवाली अदाकर्ता शाखाओं की संख्या	
6.	क्या ईएच 7 दिन के अनुमानित आहरणों के समतुल्य अतिरिक्त सांपाश्विक कवर प्रदान करने के लिए तैयार है? (उन ईएच पर लागू जिन्होंने अपने परिचलनों के तीन वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं।)	
7.	इस आवेदन के समर्थन में बैंक यदि कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करना चाहे ;	

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि

- i) ----- के साथ प्रस्तावित व्यवस्था पर हमने उक्त ईएच के साधन/ आर्थिक स्थिति तथा साख को ध्यान में लेते हुए सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा हम ईएच से सम्बद्ध व्यक्तियों/ फ़र्म्स/ कंपनियों के प्रत्यायक (क्रेडेंशियल्स) तथा क्षमता से पूर्णतः संतुष्ट हैं।
- ii) हमारी शाखाएँ जिनके पास पहले से ही अन्य ईएच (ईएचएस) के साथ डीडी आहरण व्यवस्थाएं हैं और जिन्हें अब उपर्युक्त ईएच अर्थात् ----- के साथ प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है के पास एक और ईएच से उत्पन्न होनेवाले कारोबार को संचालित करने के लिए पर्याप्त कुशलता है।
- iii) हमने पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन व्यवस्था स्थापित की है जो संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।
- iv) ऊपर दिए गए ब्यौरे हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्या एवं सही हैं।

()
महाप्रबंधक
पता

स्थान:
तारीख:

विवरण – ए

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I का नाम

पूरा पता :

विनिमय गृह का नाम :

खाते में किए गए परिचालनों का विवरण : माह

1. माह के आरंभ में खातेगत प्रारंभिक शेष (जमा/डेबिट):

2. माह के दौरान कुल जमा :

3. माह के दौरान कुल डेबिट :

4. दिनांक को अंतिम शेष (जमा/डेबिट) :

5. प्रक्रियाधीन डेबिट का अनुमानित मूल्य :

(प्रोग्रेसिव एनुअल डेट सम्पेशन्स अथवा उपर्युक्त मद सं. 3 द्वारा निर्धारित औसत 15 दिनों के आहरण, जो भी अनुमान अधिक हो)

5ए. पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रधान भुनाने वाली शाखा/ कार्यालय द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान की राशि (अनुमानित प्रक्रियाधीन में जोड़ने के लिए) :

6. बैंक द्वारा अथवा डीडीए प्रक्रिया के तहत कोलेटेरल के रूप में विदेश में रखी गई निधियां :

7. मद सं. 5 को कवर करने के लिए खातेगत शेष/ कोलेटेरल में अधिशेष/घाटा/कमी :

8. विनिमय गृह को बैंक द्वारा किए गए रुपयों की बिक्री के राशि : तारीख

वसूली गई विदेशी मुद्रा

सदृश माह के दौरान खाते में दिए गए प्रत्येक विशिष्ट

विदेशी जमा पर विनिमय गृह से वसूली गई विदेशी मुद्रा प्रति-मूल्य की राशि बताएं:

ए) हमारी अदाकर्ता शाखाओं से माह के दौरान प्राप्त सभी पेमेंट भुगतान सूचनाओं को विनिमय गृह के रुपया खातों में ऋण उगाहने के लिए हिसाब में लिया गया है।

बी) विदेश में हमारे नास्ट्रो खाता रखने वाले बैंक से हमें यह पुष्टि सूचना प्राप्त हुई है कि विनिमय गृह के खाते में रुपया निधियां जमा करने से पहले हमारे नास्ट्रो खाते में प्रति मूल्य (विदेशी मुद्रा) जमा करा दी गई है।

सी) हम पुष्टि करते हैं कि विनिमय गृहों के रुपया खातों का परिचालन भारिबैं द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और संबंधित विनिमय गृहों के साथ संबंधित करार के अनुसार किया जाता है।

डी) विवरण की प्रति हमारे बैंक के प्रभारी महाप्रबंधक, फॉरेन कारेसपोंडेंट रिलेशनशिप और विभाग/ प्रभारी अधिकारी (नास्ट्रो खाते) को भेजी गई है।

ई) हम पुष्टि करते हैं कि विवरण प्रस्तुत करने के समय हमारे द्वारा रखे जा रहे हमारे खाते के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विभाग के महाप्रबंधक से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट/सावधानी के संकेत हमें नहीं मिले हैं।

यह प्रमाणित करते हुए विवरण पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं कि बैंक में आंतरिक रूप से इसकी समीक्षा की गई है और खातों का परिचालन संतोषजनक पाया गया है।

खाता रखने वाली शाखा के मुख्य प्रबंधक

बैंक में अंतरराष्ट्रीय प्रभाग/अंतरराष्ट्रीय परिचालन के
प्रभारी महाप्रबंधक के हस्ताक्षर

विवरण – बी

विनिमय गृहों के बंद किए जाने वाले/ बंद होने हेतु प्रक्रियाधीन खातों की स्थिति का समेकित विवरण
(खाता रखने वाले कार्यालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रभाग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए)

क्रम सं.	विनिमय गृह का नाम	केंद्र/देश	खाते में प्रारम्भिक शेष	माह के दौरान जमा, यदि कोई हो	माह के दौरान डेबिट, यदि कोई हो	अंतिम शेष	कोई कोलेटरेल	पायी गयी कोई अन्य देयता	खाते के बंद होने की कब संभावना है	टिप्पणी (अर्थात् खाते को बंद करने के आशय के पत्राचार का सार और मद सं.8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

(ए) खाता बंद करने के संबंध में सभी विनिमय गृहों को नोटिस जारी किया गया है।

(बी) स्तंभ 9 में बताए गए के सिवाय उपर्युक्त खातों के संबंध में कोई भी प्रक्रियाधीन डेबिट अथवा वसूली की मद नहीं है।

(सी) खातों में लेनदेनों को, जो अब भी परिचालन में हैं, प्रत्येक विनिमय गृह के टाइटल नाम के तहत संलग्नक में अलग से स्पष्ट किया गया है (इस प्रयोजन के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी शीट अलग से संलग्न करें)।

(डी) समीक्षाधीन माह के दौरान उपर्युक्त दर्शाए गए निम्नलिखित खातों को बंद किया गया है।

.....
खाता रखने वाली शाखा के मुख्य प्रबंधक

यह प्रमाणित करते हुए विवरण प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है कि ऊपर रिपोर्ट किए गए सभी खाते संबंधित विनिमय गृहों के अधीन हैं और विधिवत कार्य से वंचित(suspend) किए गए हैं और उन्हें

.....
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 में अंतरराष्ट्रीय प्रभाग/
अंतरराष्ट्रीय परिचालन के प्रभारी महाप्रबंधक

भाग-1: अनुबंध XXI

विवरण – सी

भारतीय बैंकों की पारदेशीय शाखाओं (प्रा.व्या.श्रेणी- 1) में रखे गए विनिमय गृह खातों के ब्योरो के संबंध में मासिक विवरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 का नाम :

क्रम सं.	खाता खोलने की तारीख	विनिमय गृह का नाम	पारदेशीय शाखा का नाम	खाते का प्रकार	खाता खोलने का कारण (एच.ओ.प्राधि करण को कोट करें)	पिछले माह के अंत में शेष	विवरण जिस माह के संबंध में है उस माह के अंत में शेष	शेष देयताएं, यदि कोई हों
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

भाग-I: अनुबंध XXII

विवरण - डी

ए.डी. श्रेणी-I का नाम:.....

अदाकर्ता शाखाओं की संख्या:.....

पूरा पता:.....

खाते का प्रकार:.....

विनिमयगृह का नाम:.....

भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन सं. ---- तारीख ----

.....माह के दौरान खाते में परिचालन के ब्योरे

क्रम सं.	ब्योरे	(अमेरिकी डालर में राशि)	(जीबीपी में राशि)
1.	विवरण जिस महीने से संबंधित है उस माह के आरंभ में खाते में प्रारम्भिक शेष (जमा/डेबिट)		
2.	माह के दौरान कुल जमा		
3.	माह के दौरान कुल डेबिट		
4.को अंतिम शेष (जमा/डेबिट)		
5.	प्रक्रियाधीन डेबिट का अनुमानित मूल्य (औसत 15 दिनों का आहरण, वार्षिक ऋण संकलन में वृद्धि करके या उपर्युक्त मद सं. 3 द्वारा, जो भी अधिक हो द्वारा निर्धारित)		
5(ए)	पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रधान (principal) भुनाने वाली शाखाओं/ कार्यालयों द्वारा किए गए वास्तविक भुगतानों की राशि (अनुमानित प्रक्रियाधीन में जोड़ने के लिए)		
6.	बैंक द्वारा अथवा प्रक्रिया के अधीन कोलेटेरल के रूप में विदेश में रखी गई निधियां		
7.	मद सं. 5 को कवर करने के लिए खाते में कोलेटेरल में अधिशेष/शेष में घाटा		

8 (ए) हमारी भुगतानकर्ता शाखाओं से माह के दौरान प्राप्त सभी भुगतान सूचनाओं (पेमेंट एडवाइसेस) को विनिमय गृह के यूएसडी/जीबीपी खातों में डेबिट डालने के लिए हिसाब में लिया गया है।

(बी) हम पुष्टि करते हैं कि विनिमय गृहों के यूएसडी/जीबीपी खातों का परिचालन भारिबैं द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और संबंधित विनिमय गृहों के साथ संबंधित करार के अनुसार ही किया जाता है।

(सी) विवरण की प्रति हमारे प्रभारी महाप्रबंधक, फॉरेन कारेसपोंडेंट रिलेशिप एंड डिपार्टमेंट/ प्रभारी अधिकारी - नास्ट्रो खाता को भेज दी गई है।

(डी) हम पुष्टि करते हैं कि हमें विनिमय गृह के बारे में, जिसका खाता भारिबैं को विवरण दाखिल करते समय हमारे पास रहा है, हमारे अंतरराष्ट्रीय विभाग के महाप्रबंधक से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट / सावधानी के संकेत नहीं प्राप्त हुए हैं।

खाता रखने वाली शाखा के मुख्य प्रबंधक यह प्रमाणित करते हुए विवरण पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं कि बैंक में आंतरिक रूप से समीक्षा की गई है और कि संचालन संतोषजनक समझा गया है।

.....
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I में अंतरराष्ट्रीय प्रभाग/
अंतरराष्ट्रीय परिचालन के प्रभारी महाप्रबंधक

भाग-I: अनुबंध XXIII

विवरण – ई

दिनांकको समाप्त तिमाही के दौरान विनिमय गृहों के माध्यम से विदेशी मुद्रा के आगम को दर्शाने वाला
विवरण

(राशि अमेरिकी डालर में)

क्र म सं.	विनिमय गृह और देश का नाम	कवर की गयी शाखाओं की संख्या	दिसंबर को समाप्त पिछले वर्ष में प्राप्त विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का आगम				वृद्धि(+)/ गिरावट(-) पिछली तिमाही और संबंधित तिमाही के बीच (%)	बर्हिवाह विदेशी मुद्रा (राशि)
				जनवरी- मार्च	अप्रैल- जून	जुलाई- सितं	अक्तू- दिसं.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10

टिप्पणी:

(ए) संबंधित तिमाही के दौरान इन्फ्लो को स्तंभ (5) से (8) में, प्रत्येक वर्ष जनवरी माह से शुरू अवधि के लिए, दर्शाया जाए। इन आंकड़ों के ठीक नीचे, पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के लिए आंकड़े कोष्ठकों में दर्शाए जाएं। आहरण व्यवस्था से संबंधित आंकड़े आरडीए और विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था दोनों के माध्यम से निधियों के आगम को कवर करें।

(बी) विदेशी मुद्रा केवल अमेरिकी डालर में दर्शाया जाए।

(सी) स्तंभ (9) में प्रतिशत के रूप में राशि (+) अथवा (-) अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत करें।

(डी) यह विवरण बैंक के प्रधान कार्यालय के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विभाग/प्रभाग के प्रमुख द्वारा, जो कम से उप महाप्रबंधक की श्रेणी का हो, हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(ई) खंड-III पैरा सं.1 के क्रम सं. (सी), (एफ), (जी), (एच), (आई) और (जे) में की गई घोषणा के अनुसार अपेक्षाओं से अंतर के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए यथावश्यक अलग से शीट जोड़ें।

कृपया की गई सुधारात्मक कार्रवाई और वर्तमान स्थिति भी बताएं।

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि -

i) उपर्युक्त सूचना वास्तविक आंकड़ों के संदर्भ से संकलित की गई है और प्रक्रियाधीन लेनदेनों को शामिल नहीं किया गया है।

- ii) निम्नलिखित कारणों की दृष्टि से कवर की गई शाखाओं की संख्या पिछले विवरण की प्रस्तुति सेसे बढ़करहो गई है:
- iii) विदेशी मुद्रा आवकों में वृद्धि/ गिरावट निम्नलिखित कारणों से है:
- iv) उपर्युक्त सूचित आंकड़ेके परिणामस्वरूप हैं और भारिबैंक ने दिनांक.....के अपने पत्र सं.....द्वारा अनुमोदन दिया है।
- v) उपर्युक्त खातों में रिपोर्ट के अधीन तिमाही के दौरान सभी जमा शेष थे।
- vi) खाते की निधियां अनुमानित प्रक्रियाधीन लेनदेनों को कवर करने के लिए पर्याप्त थीं।
- vii) हमारी पारदेशीय शाखाओं ने उपर्युक्त / उपर्युक्त किसी भी विनिमय गृह को कोई ऋण सहायता / अग्रिम नहीं दिया है।
- viii) हम अपने शीर्ष प्रबंधन को संलग्नक -II, संलग्नक- III, संलग्नक- IV और संलग्नक - V के अनुसार क्रमशः विवरण "ए", "बी", "सी" और "डी" नियमित रूप से प्रस्तुत करते हैं।
- ix) हमें उपर्युक्त विनिमय गृहों / उपर्युक्त किसी भी विनिमय गृह के खाते में परिचालन और / अथवा विनिमय गृहों के साथ रुपया और/ अथवा विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था के संबंध में कोई प्रतिकूल लक्षण नहीं मिले हैं।
- x) हम उपर्युक्त विनिमय गृह (विनिमय-गृहों) के स्रोतों और वित्तीय हैसियत पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखते हैं और इस रिपोर्ट की तारीख तक हमारे पास रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने के लिए कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

बैंक का नाम :

हस्ताक्षर:

पता:

नाम:

तारीख:

पदनाम:

भाग-II – उदारीकृत विप्रेषण योजना

निवासी व्यक्तियों को अनुमति है कि वे समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अनुमत चालू या पूंजी खाता लेनदेनों या इन दोनों के मिश्रण हेतु प्रति वित्तीय वर्ष 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक विप्रेषित कर सकते हैं।¹⁰

1. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लेनदेन-वार विवरण प्रतिदिन (टी+1 आधार पर) अर्थात: अगले कार्य दिवस के कारोबार की समाप्ति तक, सूचना केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) में एलआरएस दैनिक विवरणी¹¹ अवश्य प्रस्तुत कर दें। एलआरएस दैनिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सीआईएमएस में एडी श्रेणी-II के साथ-साथ संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) को भी एक्सेस प्रदान किया गया है।¹² जब प्रस्तुत करने हेतु कोई आंकड़े न हों, तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, एडी श्रेणी-II के साथ-साथ एफएफएमसी को¹³ “शून्य” आंकड़े प्रस्तुत करें।

LRS संबंधी रिपोर्टिंग करते समय प्राधिकृत व्यक्ति¹⁴ निम्नलिखित प्रयोजन कोड का प्रयोग करें¹⁵:-

क्र.	उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के तहत विभिन्न मदें	यदि LRS के तहत लेनदेन की पहचान की गई है तो उससे संबंधित FETERS प्रयोजन कोड
1	विदेश में किसी बैंक में विदेशी करेंसी खाता खोलना	एस0023
2	अचल संपत्ति की खरीद	एस0005
3	इकिटी, डेट, संयुक्त उद्यम, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ESOP, IDR आदि में निवेश	एस0001 एस0002 एस0003 एस0004 एस0021 एस0022
4	उपहार	एस1302

¹⁰ दिनांक 06 सितंबर 2024 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 द्वारा हटाया गया। आशोधन से पूर्व इसे निम्न प्रकार पढ़ा जाता था: “एडी श्रेणी-I बैंकों को उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत किए गए विप्रेषणों से संबंधित सूचना मासिक आधार पर संबंधित महीने के अगले महीने की पांच तारीख को अथवा उससे पूर्व केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) (URL: <https://sankalan.rbi.org.in>) के माध्यम से प्रस्तुत करनी चाहिए जिसके लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें यूज़र आईडी तथा पासवर्ड प्रदान किया गया है। जब प्रस्तुत करने हेतु कोई आंकड़े न हों, तो एडी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे CIMS में “शून्य” आंकड़े अपलोड करें।”

¹¹ दिनांक 06 सितंबर 2024 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 16 द्वारा जोड़ा गया

¹² दिनांक 03 दिसंबर 2025 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17 द्वारा जोड़ा गया

¹³ दिनांक 03 दिसंबर 2025 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17 द्वारा जोड़ा गया

¹⁴ दिनांक 03 दिसंबर 2025 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17 द्वारा जोड़ा गया (प्रविष्टि से पहले, इसे व्यापारी बैंकों के रूप में पढ़ा जाता था)

¹⁵ दिनांक 11 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.50 द्वारा जोड़ा गया

5	दान	एस1303
6	यात्रा (कारोबारी यात्रा, तीर्थ यात्रा, चिकित्सा उपचार हेतु यात्रा, शिक्षा, रोजगार, व्यक्तिगत)	एस0301 एस0303 एस0304 एस0305 एस0306
7	नजदीकी रिश्तेदारों की देखभाल	एस1301
8	चिकित्सा उपचार	एस1108
9	विदेश में शिक्षा	एस1107
10	उत्प्रवास	एस1307
11	"अन्य" जैसे कि नजदीकी अनिवासी भारतीय रिश्तेदारों को ऋण और चिकित्सा बीमा	एस0011 एस0603

2. ¹⁶इसके अलावा उदारीकृत विप्रेषण योजना से संबन्धित लेनदेनों की विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम (FETERS) में सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को रिपोर्टिंग सामूहिक सूच से प्रयोजन कोड एस0023 के अंतर्गत करने के बजाय संबन्धित FETERS प्रयोजन कोड (अर्थात् पर्यटन/ यात्रा, चिकित्सा, अचल संपत्ति की खरीद, विदेश में अध्ययन, निकट संबंधियों की देखभाल, आदि को रिपोर्ट किया जाएगा।) के अंतर्गत की जाए। इससे एकसमान गतिविधि को एकल प्रयोजन कोड के अंतर्गत वर्गीकृत करने में एडी बैंकों को सहायता होगी। इसलिए प्रयोजन कोड S0023 को 'विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलना' कहा जाएगा।

3. ¹⁷एडी बैंक यह सुनिश्चित करें कि FETERS प्लैटफ़ॉर्म पर उनके द्वारा प्रस्तुत LRS लेन-देन संबंधी आंकड़े CIMS पर उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से मेल खाते हों।

¹⁶ दिनांक 11 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.50 द्वारा जोड़ा गया

¹⁷ दिनांक 11 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.50 द्वारा जोड़ा गया

¹⁸भाग-III : विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ)/ संपर्क कार्यालय (एलओ)/ प्रोजेक्ट कार्यालय (पीओ) या अन्य कोई कारोबारी स्थान स्थापित करना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक, भारत में बीओ/ एलओ/ पीओ स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों (फर्म या व्यक्तियों के अन्य समूह सहित भारत से बाहर निगमित कॉरपोरेट निकाय) से प्राप्त आवेदनों पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार विचार करते हैं।

रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ नीचे दी गई हैं:

1. वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र

- i. शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय से यह अपेक्षित है कि वह 31 मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और प्राप्ति और भुगतान लेखा सहित उक्त वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र (AAC) प्रति वर्ष 30 सितंबर को या उससे पूर्व नामित एडी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत करे और उसकी एक प्रति आयकर महानिदेशालय (अंतरराष्ट्रीय कराधान), ड्रम शेप बिल्डिंग, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली-110002 को भेजी जाए। यदि संबंधित कार्यालय के वार्षिक लेखा 31 मार्च से भिन्न किसी अन्य तारीख के अनुसार तैयार किए जाते हों तो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र तुलनपत्र की नियत तारीख से 6 माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक और आयकर महानिदेशालय को उपर्युक्त पते पर प्रस्तुत किए जाए।

वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र (एसीसी) निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया जाना है:

क. एकल बीओ/ एलओ के मामले में संबंधित बीओ/ एलओ द्वारा

¹⁸ दिनांक 31 मार्च 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 22(R)/ 2016-RB के अनुसार उक्त AAC में संशोधन किया गया

ख. एकाधिक बीओ/ एलओ के मामले में, भारत में बीओ/ एलओ के नोडल कार्यालय द्वारा सभी कार्यालयों के लिए संयुक्त एएसी।

(ii) नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक को परियोजना कार्यालय द्वारा सनदी लेखापरीक्षक द्वारा प्रदत्त वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है जिसमें परियोजना की स्थिति का उल्लेख हो और यह प्रमाणित किया गया हो कि परियोजना कार्यालय के लेखों की लेखापरीक्षा की गई है और उसकी गतिविधियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त सामान्य /विशिष्ट अनुमति के अनुरूप हैं।

2. एडी श्रेणी-। बैंक उनके द्वारा माह के दौरान (अनुबंध II के अनुसार) खोले गए तथा बंद किए गए सभी बीओ/ एलओ/ पीओ की समेकित सूची अगले माह की पांच तारीख तक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, विदेशी मुद्रा विभाग, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 को प्रेषित करेगा।

3. ¹⁹

4. ²⁰

5. भारत में बीओ/ एलओ/ पीओ खोलने के इच्छुक बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, हांगकांग, मकाउ या पाकिस्तान की संस्थाओं को राज्य पुलिस प्राधिकारियों के पास पंजीकरण कराना होगा और बीओ/ एलओ/ पीओ कार्यरत हो जाने के पांच दिन के भीतर, बीओ/ एलओ/ पीओ ने अपना कार्यालय जिस राज्य में स्थापित किया है उस राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक वार्षिक रिपोर्ट (अनुबंध III के अनुसार) प्रस्तुत करनी चाहिए; यदि ऐसी विदेशी एंटीटी का एक से अधिक कार्यालय है तो जिस राज्य में कार्यालय स्थापित किया गया है उसके प्रत्येक संबंधित डीजीपी को अलग से वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

¹⁹ दिनांक 13 नवंबर 2020 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.05 द्वारा इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे निम्न प्रकार पढ़ा जाता था: “एडी श्रेणी-। बैंक द्वारा एलओ को प्रदान किए विस्तार की सूचना महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, नई दिल्ली को दी जाए जिसमें मूल अनुमोदन पत्र की संदर्भ संख्या एवं यूआईएन का उल्लेख हो।”

²⁰ दिनांक 13 नवंबर 2020 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.05 द्वारा इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे निम्न प्रकार पढ़ा जाता था: “एडी श्रेणी-। बैंक द्वारा पीओ को प्रदान किए गए विस्तार की सूचना केंद्रीय कार्यालय कक्ष, विदेशी मुद्रा विभाग, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 को रिपोर्ट करेगा।”

वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र

यह जिस किसी से भी संबंधित है

यह प्रमाणित किया जाता है तथा इस बात की पुष्टि की जाती है कि -----से -----तक की अवधि के दौरान मेसर्स-----[यूआइएन (जहां कहीं लागू हो) -] के शाखा/संपर्क कार्यालय/परियोजना कार्यालय पैन सं. (जहां कहीं लागू हो)----- ने रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा----दिनांक -----के अनुमोदन पत्र/पत्रों सं.----- के जरिये विशिष्ट रूप से अनुमत की गई गतिविधियां ही की हैं और उपर्युक्त पत्र/पत्रों में उल्लिखित/ विनिर्दिष्ट शर्त/शर्तों का पालन किया है।

केवल परियोजना कार्यालय के लिए

2. परियोजना कार्यालय की स्थिति (स्टेटस):-----

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि -----से -----अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना इंटर प्रोजेक्ट फंड ट्रांसफर नहीं किया गया है।

²¹ दिनांक 31 मार्च 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 22(R)/ 2016-RB के अनुसार संशोधित किया गया

(सांविधिक लेखापरीक्षक/कों के हस्ताक्षर)

सनदी लेखाकार का नाम :

आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं.:

पता :

स्थान :

दिनांक :

²²अनुबंध II

प्राधिकृत व्यापारी बैंक का नाम :-----

(ए) -----महीने के दौरान खोले गए शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय का ब्योरा

क्र.सं.	विदेशी संस्था का नाम	किस देश में निगमित	शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय में से कौन सा कार्यालय खोला गया	यूआईएन	अनुमोदन की तारीख	भारत में कार्यालय का पता

(बी) -----महीने के दौरान बंद किए गए शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय का ब्योरा

क्र.सं.	विदेशी संस्था का नाम	किस देश में निगमित	शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय में से कौन सा कार्यालय खोला गया	यूआईएन	बंद करने की तारीख	भारत में कार्यालय का पता

²² दिनांक 12 मई 2016 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 69 द्वारा जोड़ा गया

--	--	--	--	--	--	--

भाग-III : अनुबंध III

पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट का फार्मेट

क्रम सं.	विवरण	ब्योरे						
1.	विदेशी संस्था (एंटिटी) का ब्योरा ए. नाम बी. पता सी. निगमन की तारीख और स्थान डी. ई-मेल पता अथवा वेबसाइट पता							
2.	भारत स्थित कार्यालय का ब्योरा ए. कार्यालय का प्रकार - संपर्क कार्यालय/ शाखा कार्यालय/ परियोजना कार्यालय अथवा अन्य प्रकार का कार्यालय होने पर उसके स्वरूप का उल्लेख करें बी. पता सी. संपर्क नंबर डी. कार्यालय खोलने की तारीख							
3.	भारत स्थित कार्यालय के प्रधान अधिकारी का ब्योरा ए. नाम बी. राष्ट्रीयता सी. पदनाम डी. पता ई. पासपोर्ट का ब्योरा i. पासपोर्ट नंबर ii. जारी करने का स्थान iii. जारी करने का दिनांक iv. समाप्ति का दिनांक v. कोई अन्य संगत जानकारी एफ. ई-मेल पता जी. लैण्डलाइन नंबर एच. मोबाइल नंबर							
4.	क्या संपर्क/ शाखा/ परियोजना कार्यालयों में कार्यरत सभी विदेशी राष्ट्रिक ई-वीज़ा पर आए हैं							
5.	क्या ई-वीज़ा पर रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों ने आदेश-प्राप्त प्राधिकारी अर्थात् पुलिस स्टेशन, आदि को रिपोर्ट किया है? यदि नहीं, तो अपेक्षा का पालन न कर पाने से संबंधित कारणों सहित राष्ट्रिक/राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति का नाम संबंधित ब्योरों सहित दें।							
6.	भारतीय कार्यालय में विदेशियों सहित कार्यरत कार्मिकों की सूची दें।							
	विदेशी							
क्रम सं.	नाम	प्रतिशत	राष्ट्रीयता	आयु	ईमेल और मोबाइल का ब्योरा	पासपोर्ट और वीज़ा का ब्योरा	पदनाम / व्यवसाय	भारत में प्रवेश की तारीख और ठहरने का स्थान

	भारतीय						
क्रम सं.	नाम	प्रतिशत	राष्ट्रीयता	आयु	ईमेल और मोबाइल का ब्योरा	पदनाम / व्यवसाय	
7.	कंपनी की गतिविधियों के सिलसिले में भारतीय कार्यालय का दौरा करने वाले ऐसे विदेशियों की सूची जो कंपनी के कर्मचारी न हों, ब्योरा भी दिया जाए						
	नाम	प्रतिशत	राष्ट्रीयता	आयु	दौरे का उद्देश्य	पदनाम / व्यवसाय	भारत में प्रवेश की तारीख और ठहरने का स्थान
8.	परियोजनाओं/संविदाओं/कोलैबोरेशन के ब्योरे जिन पर वर्ष के दौरान कार्य किया गया अथवा प्रारंभ हुआ						
	परियोजनाएं/ संविदाएं/ कोलबोरेशन का नाम	भारतीय साझेदार का नाम	व्यवसाय गतिविधि का स्वरूप	परियोजना/ कार्य का अनुमानित मूल्य	परियोजना/ कार्य का स्थान/क्षेत्र	परियोजना/ कार्य की अवधि	भारत में अपेक्षित विदेशी कार्य बल की अनुमानित संख्या

9.	कारोबारी गतिविधियों के लिए भारत में आयात किए गए उपकरण		
क्रम सं.	नाम/ तकनीकी ब्योरा	प्रयोजन	भारत लाने की तारीख/भारत में स्थान जहाँ उपकरण स्थापित किया गया
10.	सरकारी क्षेत्र को की गयी आपूर्ति अथवा दी गयी सेवाओं का ब्योरा		
सं.	आपूर्तिकर्ता / सेवा का नाम	सरकारी संगठन/ एजेंसी का नाम	आपूर्ति/ सेवाओं का अनुमानित मूल्य
11.	जिन स्थानों/राज्यों का दौरा/मुलाकात की गयी उसकी तारीख, निवास का ब्योरा		
12.	सरकारी विभागों/सरकारी उपक्रमों के संपर्क अधिकारियों के नाम सहित ब्योरे		
13.	सिविल सोसाइटी निकाय/ट्रस्ट/गैर-सरकारी संगठन, जिनसे मुलाकात की गयी, का ब्योरा		

भाग-IV: विदेशी निवेश

ए. रिपोर्टें

²³भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ²⁴दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 (जिसे इसके पश्चात एनडीआई नियमावली, 2019 कहा गया है) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी [दिनांक 17 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना सं. फेमा 395/2019-आरबी](#) के मार्फत (जिसे इसके पश्चात फेमा 395 कहा गया है) जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 के प्रावधानों के अनुसरण में संचालित किया जाता है। एनडीआई नियमावली, 2019 अन्य बातों के साथ-साथ, निवेश के तौर-तरीके अर्थात् इक्विटी लिखतों को जारी करना या अधिग्रहण करना, जैसाकि इसके तहत परिभाषित किया गया है और इससे संबंधित शर्तों, जैसे- प्रवेश मार्ग, क्षेत्रीय सीमा, मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश आदि को निर्धारित करता है जिनका अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। एनडीआई नियमावली, 2019 के तहत भुगतानों की प्राप्ति और किए गए निवेश की रिपोर्टिंग के तौर-तरीकों को फेमा-395 निर्धारित करती है।

²⁵ इस निर्देश के तहत निर्धारित सभी प्रकार की रिपोर्टिंग, जब तक कि विशेष रूप से बताया न गया हो, <https://firms.rbi.org.in> पर FIRMS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सिंगल मास्टर फॉर्म (SMF) के माध्यम से करना आवश्यक है। इस संबंध में जारी उपयोगकर्ता मैनुअल फ़र्म्स (FIRMS) वेबसाइट के होमपेज के साथ-साथ आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है। उक्त उपयोगकर्ता मैनुअल में एसएमएफ और केवाईसी रिपोर्ट का प्रारूप उपलब्ध है।

²³ जी.एस.आर सं.1374 (E) द्वारा अधिसूचित [दिनांक 7.11.2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\)/2017- आरबी](#) द्वारा अशोधित एवं दिनांक 07.11.17 से लागू।

²⁴ एसओ 3732 के तहत 17 अक्टूबर 2019 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 तथा जीएसआर सं. 795(ई) के मार्फत जारी 17 अक्टूबर 2019 की [अधिसूचना सं. फेमा 395/2019-आरबी](#) के माध्यम से आशोधित। इसे इसके पूर्व से निम्न प्रकार पढ़ा जाता था: “[दिनांक 7 नवंबर 2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\)/2017-आरबी](#) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण तथा निर्गम) विनियमावली, 2017 (इसे इसके पश्चात फेमा 20(आर) कहा गया है)”

²⁵ [दिनांक 07 जून 2018 के ए.पी. डीआईआर \(सिरीज़\) परिपत्र सं.30](#) द्वारा जोड़ा गया जो 01.09.2018 से प्रभावी है।

²⁶एसएमएफ में रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए, किसी भारतीय संस्था जिसे विदेशी निवेश या अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है या इसे प्राप्त करने की उम्मीद है, को FIRMS प्लेटफॉर्म पर एक एंटीटी मास्टर प्रस्तुत करना आवश्यक है। एंटीटी मास्टर को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया FIRMS वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता मैनुअल में प्रदान की गई है और साथ ही, आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है। विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग से जुड़ी औपचारिकताएँ नीचे दी जा रही हैं।

1. पूंजीगत लिखतों के निर्गम की रिपोर्टिंग

क) आवक प्रेषणों की रिपोर्टिंग :

- (i) पूंजीगत लिखतों के निर्गम के कारण वास्तविक आवक प्रेषण प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा द्वारा सामान्य रूप में आर-रिटर्न में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ii) ²⁷ ²⁸ इसे हटा दिया गया है।
- (iii) ²⁹ इसे हटा दिया गया है।
- (v) ³⁰ इसे हटा दिया गया है।
- (vi) ³¹ ³² इसे हटा दिया गया है।

²⁶ दिनांक 07 जून 2018 के ए.पी. डीआईआर (सिरीज़) परिपत्र सं.30 द्वारा जोड़ा गया, जो 28.06.2018 से प्रभावी है।

²⁷ जी.एस.आर सं. 1374 (E) द्वारा अधिसूचित दिनांक 7. 11. 2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20(R) /2017-आरबी द्वारा 07.11.17 द्वारा जोड़ा गया। इसे जोड़ा गया करने से पूर्व इसे “प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत पात्र प्रतिभूतियों के लिए भारत के बाहर से निवेश प्राप्त करनेवाली भारतीय कंपनी, प्रतिफल के रूप में प्राप्त आवक प्रेषणों (जिसमें प्रत्येक प्रारंभिक/ कॉल भुगतान शामिल है) के ब्योरे एआरएफ़ में प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक के जरिए रिपोर्ट करें। उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन न किये जाने पर फेमा, 1999 के तहत उल्लंघन माना जाएगा और इस संबंध में दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।” पढ़ा जाता था।

²⁸ इसे जीएसआर सं. 823(ई) के मार्फत जारी दिनांक 30 अगस्त 2018 की संशोधित फेमा अधिसूचना सं. 20(R)(3)/2018-आरबी के अनुसार हटा दिया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “अग्रिम विप्रेषण फॉर्म(एआरएफ़): कोई भारतीय कंपनी जिसने पूंजीगत लिखतों के निर्गम के लिए प्रतिफल की राशि प्राप्त की है तथा जहां इन विनियमों के प्रयोजन से ऐसे निर्गम को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मान लिया गया है, ऐसी प्राप्ति (प्रत्येक प्रारम्भिक / कॉल भुगतान सहित) का प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को एआरएफ़ में रिपोर्ट करेगी” पढ़ा जाता था।

²⁹ इसे जीएसआर सं. 823(ई) के मार्फत जारी दिनांक 30 अगस्त 2018 की संशोधित फेमा अधिसूचना सं. 20(R)(3)/2018-आरबी के अनुसार हटा दिया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) फॉर्म (अनुबंध II): एआरएफ़ के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएँ: (क) एफआईआरसी/एस की प्रति/ प्रतियाँ (विदेशी आवक प्रेषण प्राप्ति के सबूत के तौर पर विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र) (ख) उल्लिखित फॉर्म में अनिवासी निवेशक के संबंध में धन प्रेषण करने वाले पारदेशीय बैंक से प्राप्त अपने ग्राहक को जानिये संबंधी रिपोर्ट” पढ़ा जाता था।

³⁰ इसे जीएसआर सं. 823(ई) के मार्फत जारी दिनांक 30 अगस्त 2018 की संशोधित फेमा अधिसूचना सं. 20(R)(3)/2018-आरबी के अनुसार हटा दिया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “यदि धन-प्रेषण प्राप्त करने वाला एडी श्रेणी-1 बैंक (एडी बैंक) उस एडी बैंक से भिन्न है जिसके माध्यम से एफ़सीजीपीआर दर्ज किया गया है, तो धन प्रेषण प्राप्त करनेवाले बैंक को केवाईसी जांच करनी चाहिए तथा निवेश प्राप्त कर्ता द्वारा फॉर्म एफ़सी-जीपीआर सहित लेन-देन करने वाले एडी बैंक को केवाईसी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा।” पढ़ा जाता था।

³¹ दिनांक 1 फरवरी 2016 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 40 द्वारा जोड़ा गया। इस निविष्टि के पूर्व यह “यह फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Forms/PDFs/KYC020411.pdf> से डाउनलोड किया जा सकता है” पढ़ा जाता था।

²⁹ इसे जीएसआर सं. 823(ई) के मार्फत जारी दिनांक 30 अगस्त 2018 की संशोधित फेमा अधिसूचना सं. 20(R)(3)/2018-आरबी के अनुसार हटा दिया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “फाइलिंग/ रिपोर्टिंग e-Biz प्लैटफ़ॉर्म पर <http://www.ebiz.gov.in> ((Home page → click on Services tab → Click on the appropriate RBI service hyperlink [RBI service page displayed] → Download eform) की जानी है।”

ख) पूंजीगत निवेशों के निर्गम इक्विटी लिखत जारी करने पर की रिपोर्टिंग

(i) ³³ विदेशी मुद्रा – सकल अनंतिम रिटर्न (एफ़सी-जीपीआर) ³⁴ भारत के बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति को पूंजीगत लिखत जारी करने वाली भारतीय कंपनी तथा जहां ऐसे निर्गम को एनडीआई नियमावली, 2019 के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना गया है, वहाँ कंपनी निर्गम की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे निर्गमों को ³⁵ एकल मास्टर प्रपत्र में फॉर्म एफ़सी-जीपीआर प्रारूप में प्रस्तुत करेगी। तेल क्षेत्र में 'भागीदारी हित/अधिकार' की रिपोर्टिंग फॉर्म एफ़सी-जीपीआर में की जाएगी।

(ii) ³⁶ भारतीय कंपनियों द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को पूंजी/ इक्विटी लिखतें जारी करने संबंधी निम्नलिखित मामलों में एफसी-जीपीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है: (क) सीधे अथवा वर्तमान भारतीय कंपनी के साथ समामेलन/ विलय/ विलगाव ³⁷ पर बोनस/ अधिकार शेयर के निर्गम (ख) दिनांक 20 मार्च 2018 की अधिसूचना संख्या 389/2018 के अनुसरण में सीमापारीय विलय के परिणामस्वरूप जारी इक्विटी लिखतें; (ग) भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को भारतीय कंपनी द्वारा देय भुगतान निधियों की एवज में जारी शेयर (घ) एनडीआई नियमावली, 2019 के अनुसरण में जारी स्वेट इक्विटी शेयर तथा कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP); परिवर्तनीय नोटों के परिवर्तन पर जारी शेयर।

³⁸ इसे हटा दिया गया है।

(iii) ³⁹ यथा लागू सेबी विनियमों के अंतर्गत सार्वजनिक निर्गम ⁴⁰ अथवा अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अंतर्गत शेयरों के आबंटन की फॉर्म एफ़सी-जीपीआर में रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।

(iv) ⁴¹ यदि भारतीय कंपनी भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति जिससे आवक विप्रेषण प्राप्त हुआ के बजाय भारत के बाहर निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शेयर जारी करती है, तो फॉर्म एफ़सी-जीपीआर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भरा जाना चाहिए:

(क) विप्रेषण कर्ता तथा हितधारक स्वामी दोनों की केवाईसी रिपोर्टें।

(ख) धन प्रेषण करने वाले से हिताधिकारी स्वामी को पूंजीगत लिखत जारी करने के लिए एक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जिसमें उनका रिश्ते का उल्लेख किया गया हो।

(ग) हिताधिकारी स्वामी से एक पत्र जिसमें धन प्रेषण करनेवाले ने हिताधिकारी स्वामी की ओर से धन विप्रेषण करने का कारण दिया है।

³³ जी. एस. आर सं. 1374 (E) द्वारा अधिसूचित [दिनांक 7.11.2017 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\) / 2017- आरबी](#) द्वारा 07.11.17 द्वारा जोड़ा गया। इसे जोड़ा गया करने से पूर्व इसे "विदेशी सहयोग (collaboration)- सामान्य अनुमति मार्ग(FC-GPR) (अनुबंध III): पात्र प्रतिभूतियों (जिनमें मांगी गई सीमा तक अंशतः प्रदत्त प्रतिभूतियां शामिल हैं) के निर्गम के बाद भारतीय कंपनी को अपने एडी श्रेणी। बैंक के माध्यम से एफसी-जीपीआर फॉर्म निर्गम की तारीख से 30 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में फ़ाइल करना है जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

³⁴ दिनांक 01.09.2018 को FIRMS के लागू होने के बाद हटाया गया।

³⁵ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे जोड़ा गया है।

³⁶ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे जोड़ा गया है।

³⁷ इसे 10 अप्रैल 2023 से जोड़ा गया है।

³⁸ जीएसआर सं.1374 (ई) द्वारा अधिसूचित [दिनांक 07.11.2017 की अधिसूचना सं.फेमा 20 \(आर\)/ 2017 आरबी](#) द्वारा हटाया गया। इसे हटाने से पूर्व इसे "उपयुक्त प्रावधान का अनुपालन न किए जाने पर फेमा के तहत उल्लंघन माना जाएगा और इस संबंध में दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।"

³⁹ इसे स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ा गया है।

⁴⁰ इसे 10 अप्रैल 2023 से जोड़ा गया है।

⁴¹ इसे स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ा गया है।

(घ) निवेशप्राप्तकर्ता कंपनी से जिससे धन प्रेषण प्राप्त किया गया है उससे अन्य व्यक्ति को पूंजीगत लिखत जारी करने संबंधी करार/ बोर्ड के संकल्प की प्रतिलिपि।

(v) ⁴² ⁴³ इसे हटा दिया गया है।

ग) विदेशी देयताओं तथा आस्तियों पर वार्षिक विवरणी

⁴⁴ चालू वर्ष सहित पिछले वर्ष(वर्षों) में कोई भारतीय कंपनी जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है अथवा कोई एलएलपी जिसने पूंजीगत अंशदान के रूप में निवेश प्राप्त किया है को प्रति वर्ष विदेशी देयताओं तथा आस्तियों (एफएलए) संबंधी वार्षिक विवरणी रिज़र्व बैंक, के पास दिनांक 15 जुलाई को अथवा उससे पूर्व फाइल करनी चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन से वर्ष अप्रैल से मार्च तक होगा।

⁴⁵ आरबीआई द्वारा रिपोर्टिंग संस्थाओं को "उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म" जमा करने के लिए प्रदान किए गए पोर्टल पर एफएलए विवरणी वेब-पोर्टल इंटरफेस <https://flair.rbi.org.in> के माध्यम से दायर की जा सकती है। वेब-पोर्टल पर सफल पंजीकरण होने के बाद उपयोगकर्ताओं को एफएलए सबमिशन गेटवे का उपयोग करने के लिए आरबीआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले लॉगिन-नाम और पासवर्ड को उत्पन्न करने का अवसर मिलेगा और इसमें पूर्व में प्रस्तुत किए गए डेटा पर सिस्टम-संचालित सत्यापन जांच भी शामिल होगी। वेब-पोर्टल पर उपलब्ध यूजर मैनुअल और एफएक्यू का उपयोग एफएलए रिटर्न दाखिल करने संबंधी अगली कार्रवाई हेतु किया जा सकता है।

2) शेयरों के अंतरण की रिपोर्टिंग

(क) शेयरों के अंतरण के कारण होने वाले वास्तविक आवक तथा जावक विप्रेषणों को एडी शाखा द्वारा सामान्य क्रम में आर-रिटर्न्स में रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

ख) ⁴⁶ विदेशी मुद्रा- शेयरों का अंतरण (एफसी-टीआरएस) ⁴⁷

(1) फॉर्म एफसीटीआरएस एनडीआई नियमावली, 2019 के अनुसार निम्नलिखित के बीच पूंजीगत लिखतों ⁴⁸

⁴² दिनांक 01 फरवरी 2016 के ए.पी. डीआईआर (सीरीज़) परिपत्र सं.40 द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- "इस फॉर्म को रिज़र्व बैंक के वेबसाइट <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Forms/PDFs/AP110214 ANN.pdf>" से भी डाउनलोड किया जा सकता है।"

⁴³ फर्म्स एप्लिकेशन पैकेज आ जाने के बाद इसे 01.09.2018 से हटा दिया गया। हटाए जाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- "फाइलिंग/रिपोर्टिंग ईबिज़ प्लेटफॉर्म <http://www.ebiz.gov.in> पर की जानी है।"

⁴⁴ जीएसआर सं. 1374(E) द्वारा अधिसूचित दिनांक 7.11.2017 की अधिसूचना फेमा 20(R)/ 2017-आरबी, द्वारा दिनांक 7.11.17 से जोड़ा गया। जोड़ने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- "चालू वर्ष सहित पिछले वर्ष (वर्षों) में विदेश से एफडीआई प्राप्त करने और/या एफडीआई करने वाली सभी भारतीय कंपनियों को हर साल 15 जुलाई तक रिज़र्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, मुंबई को सॉफ्ट कॉपी में वार्षिक विवरणी दाखिल करना होगा।"

⁴⁵ 'विदेशी देयताओं और आस्तियों पर वार्षिक विवरणी-भारतीय कंपनियों द्वारा रिपोर्टिंग' विषय पर दिनांक 28 जून 2019 के ए.पी. डीआईआर (सीरीज़) परिपत्र सं.37 के माध्यम से संशोधित किया गया। इस संशोधन से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- "एफएलए विवरणी आरबीआई वेबसाइट www.rbi.org.in → Forms category → FEMA Forms) along with the related FAQs (www.rbi.org.in → FAQs category → Foreign Exchange पर उपलब्ध है।"

⁴⁶ दिनांक 07.11.2017 के जीएसआर नं. 1374(ई) द्वारा अधिसूचित 07.11.2017 की अधिसूचना फेमा 20(आर)/2017 आरबी द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- "विदेशी सहयोग (collaboration)- शेयरों का अंतरण (एफसी-टीआरएस) (अनुबंध IV): निवासियों तथा अनिवासियों के बीच तथा उसके विपरीत पात्र प्रतिभूतियों के अंतरण की रिपोर्टिंग फॉर्म एफसी-टीआरएस में की जानी है। प्रतिफल की राशि प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर प्राधिकृत व्यापारी बैंक को फॉर्म एफसी-टीआरएस प्रस्तुत किया जाए। निर्धारित समय सीमा के भीतर फॉर्म एफसी-टीआरएस प्रस्तुत करने का दायित्व भारत में निवासी अंतरणकर्ता/ अंतरिती पर होगा। तथापि सेबी (सब्सटिशियल ऐक्विजिशन ऑफ शेयर्स अंड टेकओवर) विनियमावली के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज पर अनिवासियों द्वारा खरीदे गए शेयर्स की रिपोर्टिंग का दायित्व निवेश प्राप्त कर्ता का होगा। बैंक एफसी-टीआरएस फॉर्म अपने पास रखेंगे तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित नहीं करेंगे।"

⁴⁷ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है।

⁴⁸ दिनांक 07.11.2017 के जीएसआर नं. 1374(ई) द्वारा अधिसूचित 07.11.2017 की अधिसूचना फेमा 20(आर)/2017 आरबी द्वारा इसे 07.11.2017 से हटा दिया गया। हटाए जाने से पूर्व इसे "बिक्री के माध्यम से" पढ़ा जाता था।

के अंतरण के लिए फ़ाइल किया जाएगा:

(i) भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं तथा भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण किए हैं; तथा

(ii) भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी भारतीय कंपनी में पूंजीगत लिखत धारण किए हैं तथा भारत में निवास करने वाला व्यक्ति.

रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी अंतरणकर्ता/अंतरिती अथवा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण करने वाले भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, जैसी स्थिति हो, का होगा।

- (2) एनडीआई नियमावली, 2019⁴⁹ के अनुसार अप्रत्यावर्तनीय आधार पर पूंजीगत लिखत धारण करने वाले भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति तथा भारत के निवासी व्यक्ति के बीच पूंजीगत लिखतों के अंतरण की एफ़सी-टीआरएस फॉर्म में रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।
- (3) एनडीआई नियमावली, 2019 में निर्धारित किए गए अनुसार भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किए गए पूंजीगत लिखतों के अंतरण की ऐसे व्यक्ति द्वारा फॉर्म एफ़सी-टीआरएस में रिपोर्ट की जाएगी।
- (4) एनडीआई नियमावली, 2019 के नियम 9(6) के अनुसार आस्थगित आधार पर भुगतान में निर्धारित पूंजीगत लिखतों के अंतरण की भुगतान के प्रत्येक भाग की प्राप्ति पर प्राधिकृत व्यापारी को फॉर्म एफ़सी-टीआरएस में रिपोर्ट की जाएगी। रिपोर्टिंग का दायित्व निवासी अंतरणकर्ता/अंतरिती पर होगा।
- (5) तेल क्षेत्र में 'भागीदारी हित/अधिकार' के अंतरण की रिपोर्टिंग फॉर्म एफ़सी-टीआरएस में की जाएगी।
- (6) एनसीएलटी/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भारतीय कंपनियों के विलयन/ विलगाव / समामेलन की योजना में शेयरों की वापसी खरीद करने वाली भारतीय कंपनी फॉर्म एफ़सी-टीआरएस फाइल करना होगा।
- (7) पूंजीगत लिखतों के अंतरण अथवा निधियों की प्राप्ति/ विप्रेषण, इनमें से जो भी पहले हो, से साठ दिन के भीतर प्राधिकृत व्यापारी बैंक में फॉर्म एफ़सी-टीआरएस फाइल किया जाएगा।

⁴⁹ दिनांक 07.11.2017 के जीएसआर नं. 1374(ई) द्वारा अधिसूचित [07.11.2017 की अधिसूचना फेमा 20\(आर\)/2017 आरबी](#) द्वारा इसे 07.11.2017 से हटा दिया गया। हटाए जाने से पूर्व इसे "बिक्री के माध्यम से" पढ़ा जाता था।

(ग) **अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी):** भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा खरीदे गए पूंजीगत लिखतों के संबंध में सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में विप्रेषित किया गया बिक्री प्रतिफल, निधियों की प्राप्ति के समय धन प्रेषण प्राप्त करनेवाले एडी बैंक द्वारा ⁵⁰केवाईसी जांच के अधीन है। यदि धन प्रेषण प्राप्त करने वाला एडी बैंक, अंतरण लेन-देन करने वाले एडी बैंक से भिन्न है तो धन प्रेषण प्राप्त करने वाले बैंक द्वारा केवाईसी जांच की जानी चाहिए तथा अंतरण कर्ता/ अंतरिती द्वारा फॉर्म एफ़सी-टीआरएस सहित केवाईसी रिपोर्ट लेन-देन करने वाले एडी बैंक को प्रस्तुत किया जाए।

- (घ) ⁵¹यदि विदेशी धन विप्रेषक और हिताधिकारी स्वामी अलग-अलग हैं तो इस भाग के पैरा ए(1) (ख) (iv) में (क) से (ख) तक निर्धारित शर्तें आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।
- (ङ) ⁵² ⁵³इसे हटा दिया गया है।

3) ⁵⁴ इसे हटा दिया गया है।

4) ईसीबी के इकिटी में परिवर्तन की रिपोर्टिंग: -

ईसीबी को शेयरों के निर्गम के रूप में परिवर्तित करने संबंधी रिपोर्टिंग और अन्य ब्यौरे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को नीचे दिए गए अनुसार रिपोर्ट किए जाने हैं:

- (i) ईसीबी के इकिटी में पूर्ण परिवर्तन के मामले में कंपनी को इस परिवर्तन के बारे में फॉर्म एफ़सी-जीपीआर में ⁵⁵फॉर्म ईसीबी-2 (भाग V: अनुबंध III) में सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051, ⁵⁶संपर्क नंबर

⁵⁰ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है।

⁵¹ इसे स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ा गया।

⁵² दिनांक 7.11.17 से अग्रलिखित को हटा दिया गया है: “एडी बैंक शाखा को अपने आईबीडी/ एफ़डीडी अथवा उक्त प्रयोजन से बैंक द्वारा नामित नोडल कार्यालय को बिक्री के माध्यम से शेयरों के अंतरण के संबंध में प्राप्त/ किए गए विप्रेषणों के संबंध में संलग्न प्रोफॉर्म में (जिसे MS-Excel फ़ारमेट में तैयार किया जाना है) तैयार किए गए आगमन-बहिर्गमन विवरण के साथ अपने ग्राहकों/ घटकों से प्राप्त फॉर्म एफ़सीटीआरएस की दो प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करनी हैं।”

⁵³ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “आईबीडी/ एफ़डीडी अथवा एडी बैंक का नोडल कार्यालय अपनी शाखाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी लेनदेन के संबंध में एक आगमन – बहिर्गमन विवरण (अनुबंध V) में समेकित रिपोर्टिंग करेंगे। यह विवरण सॉफ्ट कॉपी (MS-Excel में) में ई-मेल द्वारा मासिक आधार पर विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रेषित किया जाए”।

⁵⁴ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “भारत सरकार के e-Biz पोर्टल पर रिपोर्टिंग: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ़डीआई) के अंतर्गत किए गए लेनदेन की रिपोर्टिंग में सुगमता बढ़ाने की दृष्टि से एआरएफ़, फॉर्म एफ़सी-जीपीआर तथा फॉर्म एफ़सीटीआरएस की फाइलिंग भारत सरकार के e-Biz प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्टिंग प्लेटफ़ॉर्म का स्वरूप ग्राहक को e-Biz पोर्टल पर लॉगिन करना, रिपोर्टिंग फॉर्म डाउनलोड करना, उन्हें पूर्ण करना तथा अपने डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों का उपयोग करते हुए पोर्टल पर उन्हें अपलोड करना संभव बनाता है। एडी बैंकों को पूर्ण किए गए फॉर्म को डाउनलोड कर, उपलब्ध दस्तावेजों से उनमें निहित जानकारी का सत्यापन करके, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो ग्राहक से अतिरिक्त जानकारी मांगना, और अपलोड करना है ताकि भारिबैं उसकी प्रोसेसिंग करके विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आबंटित कर सके। एफ़सी-जीपीआर, एआरएफ़, तथा एफ़सीटीआरएस फॉर्म के रूप में फाइलिंग दिनांक 8 फरवरी 2016 से बंद की गई है तथा सरकार के e-Biz पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग अनिवार्य की गई है।”

⁵⁵ दिनांक 01.09.2018 को फ़र्म (FIRMS) एप्लीकेशन लागू होने के समय इसे हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व इसे “भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को” पढ़ा जाता था।

⁵⁶ संपर्क टेलीफोन नंबर जोड़े गए।

- (ii) 022-26572513 तथा 022-26573612, को संबंधित माह की समाप्ति से 7 कार्य दिन के भीतर रिपोर्ट करना चाहिए। फॉर्म ईसीबी-2 के ऊपर “इक्विटी में पूर्णतः परिवर्तित ईसीबी” स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। एक बार रिपोर्ट करने के बाद बाद वाले महीनों में फॉर्म ईसीबी-2 फाइल करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) ईसीबी के आंशिक परिवर्तन के मामले में कंपनी को परिवर्तित भाग के बारे में फॉर्म एफ़सी-जीपीआर में ⁵⁷फॉर्म ईसीबी-2 में भी रिपोर्ट करना होगा। उसमें परिवर्तित भाग तथा अपरिवर्तित भाग को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। फॉर्म ईसीबी-2 के ऊपर “इक्विटी में अंशतः परिवर्तित ईसीबी” स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। बाद के महीनों में ईसीबी के बकाया शेष को फॉर्म ईसीबी-2 में डीएसआईएम को रिपोर्ट किया जाए।

5) ईएसओपी तथा स्वेट इक्विटी शेयरों की रिपोर्टिंग ⁵⁸

⁵⁹कोई भारतीय कंपनी जो कि भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को, जो उसके कर्मचारी/ निदेशक अथवा उसकी होल्डिंग कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली पारदेशीय अनुषंगी कंपनी/ अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारी/ निदेशक हैं, को ⁶⁰कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP) जारी करती है, तो ऐसे निर्गम से ⁶¹30 दिन के भीतर फॉर्म ईएसओपी प्रस्तुत करेगी।

6) एडीआर/ जीडीआर निर्गमों की रिपोर्टिंग- फॉर्म डीआरआर ⁶²

घरेलू अभिरक्षक को डीआर योजना 2014 के अनुसार प्रायोजित/ अप्रायोजित निक्षेपागार रसीदों के निर्गम/ अंतरण की रिपोर्ट फॉर्म डीआरआर में उस निर्गम/ प्रोग्राम के बंद होने के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट करनी चाहिए।

7) सीमित देयता भागीदारियों से रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

(क) **फॉर्म – एफ़डीआई-एलएलपी (I):** कोई सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) जिसे पूंजीगत अंशदान तथा लाभ शेयरों के अर्जन के लिए प्रतिफल की राशि प्राप्त हुई है, को ⁶³ फॉर्म-प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एलएलपी(I) में

⁵⁷ दिनांक 01.09.2018 को फर्म (FIRMS) एप्लीकेशन लागू होने के समय इसे हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व इसे “भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को” पढ़ा जाता था।

⁵⁸ सिंगल मास्टर फॉर्म लागू किए जाने के पश्चात दिनांक 23.10.2021 को हटाया गया।

⁵⁹ जीएसआर नं. 1374(ई) द्वारा अधिसूचित [07.11.2017 की अधिसूचना फेमा 20\(आर\)/2017 आरबी](#) द्वारा 07.11.2017 से संशोधित।

⁶⁰ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व इसे “स्वेट इक्विटी शेयर/ कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP)/ स्टॉक ऑप्शन के निष्पादन में जारी शेयर्स” पढ़ा जाता था।

⁶¹ दिनांक 23.10.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे जोड़ा गया। जोड़ने के बाद इसे “रिज़र्व बैंक के जिस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है उसे स्वेट इक्विटी शेयर/ कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन/ स्टॉक ऑप्शन के निष्पादन में जारी शेयर्स, जैसी स्थिति हो, फॉर्म ईएसओपी के साथ सभी एफ़आईआरसी तथा केवाईसी को आवश्यक दस्तावेजों के रूप में फाइल किया जाएगा” पढ़ा जाता है।

⁶² सिंगल मास्टर फॉर्म लागू किए जाने के पश्चात दिनांक 23.10.2021 को हटाया गया।

⁶³ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे “अपने एडी बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त सीमित देयता भागीदारी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है” पढ़ा जाता था।

प्रतिफल की राशि प्राप्त करने से 30 दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट करना चाहिए। फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:

- (i) विप्रेषण की प्राप्ति की साक्ष्य देने वाली एफ़आईआरसी/एस की प्रतिलिपि/ प्रतिलिपियाँ।
- (ii) अनुबंध-II में निर्दिष्ट फ़ारमैट में विदेशी निवेशक से संबंधित केवाईसी रिपोर्ट⁶⁴ इसे हटा दिया गया है।

(ख) **फॉर्म एफ़डीआई-एलएलपी (II):** एलएलपी को किसी निवासी तथा अनिवासी (अथवा विपरीत) के बीच पूंजीगत अंशदान अथवा लाभ शेयर के विनिवेश/ अंतरण की रिपोर्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एलएलपी (II) फॉर्म⁶⁵ में निधियों की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर करनी चाहिए।

66(8) परिवर्तनीय नोटों के निर्गम अथवा अंतरण की रिपोर्टिंग- फॉर्म सीएन (क) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को परिवर्तनीय नोट(सीएन) जारी करने वाली स्टार्ट-अप कंपनी को परिवर्तनीय नोट जारी करने के⁶⁷ 30 दिन के भीतर फॉर्म-सीएन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

(ख) ⁶⁸इसे यहाँ से हटाते हुए एफ़सीजीपीआर में शामिल किया गया है।

ग) भारत में निवासी व्यक्ति तथा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के बीच बिक्री के माध्यम से किसी स्टार्ट-अप कंपनी के परिवर्तनीय नोटों के अंतरण की भारत में निवास करने वाले अंतरणकर्ता/ अंतरिती द्वारा⁶⁹ अंतरण के 30 दिन के भीतर फॉर्म-सीएन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

(घ) एडी बैंक विदेशी निवेशक/ खरीदार के केवाईसी(अनुबंध II) के संबंध में उचित सावधानी बरतना सुनिश्चित करेगा।

9) विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की रिपोर्टिंग⁷⁰

⁶⁴ दिनांक 7.11.2017 की जी. एस. आर सं. 1374 (E) द्वारा अधिसूचित [07.11.17 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\)/2017-आरबी](#) के माध्यम से हटाया गया। हटाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृत की जाएगी और व कार्यालय उसे रिपोर्ट की गयी राशि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आबंटित करेगा।”

⁶⁵ फेमा 395 की अधिसूचना के माध्यम से इसे 17 अक्टूबर 2019 को जोड़ा गया।

⁶⁶ दिनांक 10 जनवरी 2017 के जी. एस. आर सं. 16 (E) द्वारा अधिसूचित [दिनांक 10 जनवरी 2017 की संशोधित अधिसूचना सं. फेमा 377/2016- आरबी](#) द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2017 से जोड़ा गया।

⁶⁷ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को परिवर्तनीय नोट (सीएन) जारी करने वाली स्टार्ट-अप कंपनी को अपने एडी बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त स्टार्ट-अप कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है, को 30 दिनों के भीतर फॉर्म सीएन में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।”

⁶⁸ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “इस प्रकार से जारी किए गए परिवर्तनीय नोट के समक्ष निर्गमित शेयरों की फॉर्म एफ़सीजीपीआर (अनुबंध-III) में रिपोर्टिंग की जाए।”

⁶⁹ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया है। हटाये जाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “अपने एडी बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त स्टार्ट-अप कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है।”

⁷⁰ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व इसे “स्टॉक एक्स्चेंज में विदेशी निवेश” पढ़ा जाता था।

9.1 अनिवासी भर्तियों (NRI)/विदेशी भारतीय नागरिकों(OCI) से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा निवेश⁷¹

(क) रिपोर्टिंग फॉर्म एलईसी (एफआईआई): एडी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेबी के पास पंजीकृत एफपीआई, जो ⁷²एनडीआई नियमावली, 2019 की अनुसूची-II के तहत निवेश करते हैं और जो निवेश एनडीआई नियमावली, 2019 के नियम 2(टी) में दी गई परिभाषा की परिधि में शामिल हैं, ऐसे सभी निवेशों (एनआरआई तथा ओसीआई द्वारा किए गए निवेशों को छोड़कर) के संबंध में रिपोर्टिंग दैनिक आधार पर फॉर्म-एलईसी(FII) में की जाए। ⁷³यह सुनिश्चित करना बैंक की ज़िम्मेदारी होगी कि रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का वे अपने बैंक के स्तर पर एफपीआई की धारिता रिपोर्ट निकालकर उसका समाधान कर लें।

(ख) जिस भारतीय कंपनी ने के एफपीआई को इक्विटी शेयर जारी किए हैं, और जिसे एनडीआई नियमावली, 2019 के नियम 2(आर) में दी गई परिभाषा के अनुसार निवेश माना जाता है, ऐसे सभी निवेशों की रिपोर्टिंग फॉर्म एफसी-जीपीआर में करनी आवश्यक है।⁷⁴

9.2 अनिवासी भारतीय(NRI)/ विदेशी भारतीय नागरिकों (OCI) द्वारा निवेश⁷⁵

एडी बैंक के नामित लिंक कार्यालय को रिज़र्व बैंक को अपने समग्र बैंक में अनिवासी भारतीयों /विदेशी भारतीय नागरिकों की ओर से एनडीआई नियमावली, 2019 की अनुसूची-III के तहत किए गए निवेश, ⁷⁶एनडीआई नियमावली, 2019 के नियम 2(टी) में दी गई परिभाषा के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की परिधि में शामिल हैं, के संबंध में रिपोर्ट दैनिक आधार पर एलईसी (एनआरआई) प्रपत्र में प्रस्तुत करनी चाहिए। ⁷⁷यह सुनिश्चित करना उक्त बैंक की ज़िम्मेदारी होगी कि आवधिक रूप से अपने बैंक के लिए अनिवासी भारतीय धारिता रिपोर्ट निकालकर भारिबैं को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का समाधान करें।

⁷⁸ इसे हटा दिया गया है।

⁷¹ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व इसे “एफपीआई द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज पर” पढ़ा जाता था।

⁷² दिनांक 7.11.2017 की जी. एस. आर सं. 1374 (E) द्वारा अधिसूचित [07.11.17 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\)/2017-आरबी](#) के माध्यम से 7.11.2017 को जोड़ा गया। जोड़ने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “ विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (डेरिवेटिव्स और आईडीआर को छोड़कर) खरीदते हैं, ऐसे सभी लेनदेन (डेरिवेटिव्स और आईडीआर को छोड़कर) की रिपोर्ट फॉर्म एलईसी (एफ आई आई) में विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को भेजेंगे।”

⁷³ दिनांक 30 जून 2017 से इसे हटा दिया गया। हटाए जाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “ इसे ओआरएफएस वेबसाइट (<https://secweb.rbi.org.in/ORFSMainWeb/Login.jsp>) पर अपलोड करके।”

⁷⁴ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “एफडीआई योजना (जिसके लिए कंपनी के खाते में सीधे भुगतान प्राप्त हुआ है) तथा पोर्टफोलियो निवेश योजना (जिसके लिए एडी बैंक के पास खोले गए एफपीआई के खाते से भुगतान प्राप्त हुआ है) के अंतर्गत एफपीआई को शेयर जारी किए हैं, को इन आंकड़ों को (अनुबंध III) की मदद सं. 5 के अंतर्गत अलग से दर्शाने चाहिए (धारिता का निर्गम पश्चात स्वरूप) ताकि सांख्यिकीय/ निगरानी के प्रयोजन से उक्त ब्यौरों का समाधान किया जा सके।”

⁷⁵ दिनांक 01.09.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व इसे “स्टॉक एक्स्चेंजों पर” पढ़ा जाता था।

⁷⁶ दिनांक 7.11.2017 की जी. एस. आर सं. 1374 (E) द्वारा अधिसूचित [07.11.17 की अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\)/2017-आरबी](#) के माध्यम से 7.11.2017 को जोड़ा गया। जोड़ने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “एनआरआई के संबंध में समूचे बैंक हेतु किए गए पीआईएस लेनदेन पर”।

⁷⁷ दिनांक 30 जून 2017 से हटा दिया गया। हटाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “यह रिपोर्ट सीधे ओआरएफएस वेबसाइट (<http://secweb.rbi.org.in/ORFSMainWeb/Login.jsp>) पर अपलोड की जा सकती है।”

⁷⁸ इसे हटा दिया गया क्योंकि इसे एफसीजीपीआर तथा एफसीटीआरएस में शामिल कर लिया गया है। हटाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “ 11) तेल क्षेत्र में सहभागी हित/ अधिकार के निर्गम/ अंतरण के माध्यम से विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग: भारतीय कंपनी द्वारा किसी अनिवासी को तेल क्षेत्र में सहभागी हित/ अधिकार के निर्गम/ अंतरण के माध्यम से विदेशी निवेश एफडीआई लेनदेन माना जाएगा। “तदनुसार सहभागी हित/

⁷⁹10) डाउनस्ट्रीम निवेश:

⁸⁰फॉर्म डीआई : किसी भारतीय संस्था अथवा निवेश माध्यम (संस्था), जो किसी अन्य भारतीय कंपनी अथवा संस्था में डाउनस्ट्रीम निवेश करती है, जिसे अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश समझा जाता है, उस भारतीय संस्था को इक्विटी लिखतें प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर फॉर्म-DI प्रपत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरण प्रस्तुत करना होगा।

11) विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफ़वीसीआई) द्वारा निवेश

एफ़वीसीआई द्वारा एनडीआई नियमावली, 2019 की अनुसूची-VII के तहत इक्विटी लिखतों में किए गए निवेशों को फॉर्म ⁸¹एफ़सी-जीपीआर में रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है तथा पूर्वोक्त अनुसूची के अनुसार एफ़वीसीआई तथा भारत में निवास करने वाले व्यक्ति के बीच पूंजीगत लिखतों के अंतरण को फॉर्म एफ़सी-टीआरएस में फाइल किया जाना है। चूंकि अनुसूची-vii के निवेशों पर कीमत निर्धारण दिशानिर्देश लागू नहीं होते हैं इसलिए मूल्यांकन प्रमाणपत्र मांगना आवश्यक नहीं है।

⁸²12) भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा निवेश माध्यम संस्थाओं (इनविट) में निवेश

किसी निवेश माध्यम संस्था द्वारा एनडीआई नियमावली, 2019 की अनुसूची-VIII के तहत यदि भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को यूनितें निर्गमित की जाती हैं, तो इस प्रकार के निवेश के संबंध में उसे 30 दिनों के भीतर फॉर्म इन-वी (InVi) प्रस्तुत करें।

83

अधिकार के अंतरण को फॉर्म एफ़सी-टीआरएस (अनुबंध IV) के पैरा 7 के अंतर्गत "अन्य" श्रेणी में रिपोर्ट किया जाएगा तथा सहभागी हित/ अधिकार के निर्गम को फॉर्म एफ़सी-जीपीआर (अनुबंध III) के पैरा 4 के अंतर्गत लिखतों की "अन्य" श्रेणी में रिपोर्ट किया जाएगा।"

⁷⁹ दिनांक 30.08.2018 की जी.एस.आर. सं. 823(E) द्वारा जारी [अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\)\(3\)/2018-आरबी](#) के माध्यम से 01.09.2018 को जोड़ा गया। जोड़ने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- "किसी अन्य भारतीय कंपनी अथवा एलएलपी में डाउनस्ट्रीम निवेश, जिसे फेमा 20(R) के अनुसार निवेशप्राप्त कर्ता संस्था के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश समझा जाता है, करनेवाली भारतीय संस्था ऐसा निवेश करने के 30 दिन के भीतर डीआईपीपी को अधिसूचित करेगी।"

⁸⁰ दिनांक 23.10.2018 को सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय इसे जोड़ा गया।

⁸¹ दिनांक 30.08.2018 की जी.एस.आर. सं. 823(E) द्वारा जारी [अधिसूचना सं. फेमा 20\(R\)\(3\)/2018-आरबी](#) के माध्यम से 01.09.2018 को जोड़ा गया। जोड़ने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- "फॉर्म एआरएफ़ और"

⁸² एसएमएफ़-फ़ॉर्म में फॉर्म InVi लाकर इसे 05 फरवरी 2019 से जोड़ा गया।

⁸³ [दिनांक 30 सितंबर 2022 के ए.पी. \(डीआईआर सीरीज़\) परिपत्र सं.16](#) के माध्यम से हटाया गया जिसके तहत एकसमान एलएसएफ़ मैट्रिक्स लागू किया गया।

⁸⁴भाग-IV – इसे हटा दिया गया है।

⁸⁴ सिंगल मास्टर फॉर्म लागू होने के समय से अनुबंध I से अनुबंध X तक को हटा दिया गया।

भाग-V बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

भारतीय कंपनियां निम्नलिखित तरीकों से विदेशों से निधियाँ प्राप्त कर सकती हैं: -

- (i) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)
- (ii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड्स (एफ़सीसीबी)
- (iii) अधिमानी शेयर
- (iv) विदेशी मुद्रा विनिमेय बॉण्ड्स (एफ़सीईबी)

ईसीबी दो मार्गों से प्राप्त की जा सकती है, यथा- (i) पैराग्राफ में दिया गया स्वचालित मार्ग तथा (ii) अनुमोदन मार्ग

रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएँ निम्नानुसार हैं:

1. अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत ईसीबी जुटाने के लिए और ईसीबी हेतु ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) के आवंटन हेतु आवेदन- फॉर्म ईसीबी (अनुबंध I)

⁸⁵2. ईसीबी के वास्तविक लेनदेन को रिपोर्ट करना- फॉर्म ईसीबी 2 रिटर्न (अनुबंध II)

3. व्यापार ऋण के ब्यौरों की रिपोर्टिंग के लिए फॉर्म – फॉर्म टीसी (अनुबंध III)

5. व्यापार ऋण के संबंध में एडी बैंकों द्वारा जारी की गई गारंटी/ वचन पत्र/ चुकौती आश्वासन पत्र का विवरण (अनुबंध IV)

⁸⁵ दिनांक 16 जनवरी 2019 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 17 द्वारा हटाया गया। हटाने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था -“2) ईसीबी के लिए ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) के आवंटन हेतु आवेदन- फॉर्म 83 (अनुबंध II)”

फॉर्म ईसीबी Form ECB⁸⁶

(विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत आवेदन और ऋण करार के विवरण की रिपोर्टिंग)

(Application and Reporting of loan agreement details under Foreign Exchange Management Act, 1999)

1. सभी तिथियां YYYY/MM/DD प्रारूप में होनी चाहिए (उदाहरण के लिए, दिनांक 21 जनवरी 2012 के लिए इस प्रकार लिखा जाएगा: 2012/01/21).
2. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए। यदि कोई मद लागू न हो तो उसके सामने 'लागू नहीं' लिखें।
3. यदि किसी मद के सामने पूर्ण विवरण देने के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है, तो प्रपत्र के साथ अलग शीट (पत्रों) को संलग्न किया जा सकता है और अनुबंध के रूप में उन्हें क्रमांकित किया जा सकता है। ऐसे प्रत्येक अनुबंध को उधारकर्ता और एडी दोनों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
4. उधारकर्ता को प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए अपनी व्यावसायिक गतिविधि (जैसे - निर्माण/ व्यापार/ सेवाएं प्रदान करना आदि) का संक्षिप्त विवरण देना चाहिए।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रपत्र अग्रेषित करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि प्रपत्र सभी प्रकार से पूर्ण है और इसके अंत में जोड़े गए सभी संबंधित मूल दस्तावेजों की जांच करें। अपूर्ण फॉर्म को आरबीआई द्वारा एडी को रद्द / वापस किया जा सकता है।
6. फॉर्म के भाग-सी को भरने में उपयोग के लिए निम्नलिखित कोड हैं:

बॉक्स I: गारंटी स्थिति कोड		
क्र	कोड	विवरण
1	जीजी	सरकार भारत की गारंटी
2	सीजी	सार्वजनिक क्षेत्र की गारंटी
3	पीबी	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक गारंटी
4	फाआई	वित्तीय संस्थान गारंटी
5	एमबी	बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संस्था द्वारा दी गई गारंटी
6	पी.जी.	निजी बैंक गारंटी
7	पी.एस.	निजी क्षेत्र की गारंटी
8	एम.एस.	आस्तियों/ प्रतिभूतियां गिरवी रखना
9	ओ.जी.	अन्य गारंटी
10	एन.एन.	गारंटी नहीं है

बॉक्स II: उधार प्रयोजन कोड		
क्र	कोड	विवरण
1	आई.सी.	पूंजीगत वस्तुओं का आयात
2	आर.एल.	पूंजीगत वस्तुओं की स्थानीय सोर्सिंग (रुपया व्यय)
3	एस.एल.	ऑन-लेंडिंग या सब-लेंडिंग
4	आर.एफ.	पहले के ईसीबी का पुनर्वित्तपोषण
5	एन.पी.	नयी परियोजनाएं
6	एम.ई.	मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण/ विस्तार
7	ओ.आई.	जेवी/ पूर्ण स्वामित्व कंपनी में विदेशी निवेश
8	एम.एफ.	सूक्ष्म वित्त गतिविधि
9	ओ.टी.	अन्य (निर्दिष्ट करें)
10	आर.आर.	रुपया ऋणों का पुनर्वित्तपोषण
11	आर.बी	एफसीसीबी का मोचन
12	अगर	बुनियादी ढांचे का विकास
13	आर सी	कार्यशील पूंजी / सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य

7. सभी श्रेणियों और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की किसी भी राशि के लिए इसे उधारकर्ता द्वारा अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी (एडी) को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच करने के बाद, प्राधिकृत व्यापारी फॉर्म की सारांश शीट में आवश्यक विवरण प्रदान कर सकते हैं और ऋण पंजीकरण संख्या (एल.आर.एन.) के आवंटन हेतु एक प्रति (उधारकर्ता और उधारदाता के बीच हुए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर) निम्नलिखित को अग्रेषित कर सकता है:

⁸⁶ दिनांक 16 जनवरी 2019 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17 के द्वारा इसे संशोधित किया गया है। फॉर्म-ईसीबी तथा फॉर्म-83 के स्थान पर अब केवल एक ही फॉर्म ईसीबी मौजूद है।

निदेशक
बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (DSIM)
भारतीय रिजर्व बैंक
सी-9 बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
मुंबई - 400 051

करार का ब्योरा (बाह्य वाणिज्यिक उधार के उधारकर्ताओं द्वारा भरे जाने के लिए)				
ईसीबी आवेदन	मूल		संशोधित	
फॉर्म	विदेशी मुद्रा ईसीबी		रुपया ईसीबी	
संशोधित ईसीबी के मामले में				
ऋण पंजीकरण संख्या आवंटित				
ईसीबी के तहत	अनुमोदन मार्ग		स्वचालित मार्ग	
क्या किसी सांविधिक प्राधिकारी से मंजूरी की आवश्यकता है ? यदि हां, तो प्राधिकारी का नाम, क्लियरेंस सं. और तारीख के ब्योरे दें।				
प्राधिकृत व्यापारी बैंक की टिप्पणियाँ/ सिफारिश:				

भाग ए : उधारकर्ता का ब्योरा			
उधारकर्ता का नाम तथा पता (स्पष्ट अक्षरों में) कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या: कंपनी का पैन नंबर: कारोबारी गतिविधि: संपर्क अधिकारी का नाम: पदनाम: फोन: फैक्स: ई-मेल आईडी: (किसी भी मद को खाली न छोड़ें)	उधारकर्ता श्रेणी (किसी एक को टिक करें)		
	सरकारी क्षेत्र/		निजी क्षेत्र/
	ब्यौरेवार श्रेणी (किसी एक को टिक करें)		
	कॉर्पोरेट - निर्माण		
	कॉर्पोरेट- इनफ्रास्ट्रक्चर		
	ए) परिवहन		
	बी) ऊर्जा		
	सी) जल एवं स्वच्छता		
	डी) संचार		
	ई) सामाजिक एवं वाणिज्यिक इनफ्रास्ट्रक्चर		
	एफ) खोज, खनन तथा रीफाइनरी/		
	जी) अन्य		
	उप-क्षेत्र: _____		
	कॉर्पोरेट- सेवा-क्षेत्र -		
	अन्य		
ए) एसईजेड में यूनिट्स;			
बी) सिडबी;			
सी) एक्सिम बैंक;			
डी) सूक्ष्म वित्त कंपनियाँ			
ई) अन्य: _____			
बैंक			
वित्तीय संस्था (एनबीएफसी से इतर)			
एनबीएफसी-आईएफसी/एएफसी	पंजीकरण सं.		
एनबीएफसी-एमएफआई	पंजीकरण सं.		
एनबीएफसी-अन्य	पंजीकरण सं.		
गैर सरकारी संगठन(एनजीओ)			
सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)			

				अन्य (स्पष्ट करें)										
भाग बी : उधारदाता का विवरण														
उधारदाता/ पट्टाकर्ता/ विदेशी आपूर्तिकर्ता का नाम तथा पता (स्पष्ट शब्दों में) देश : ई-मेल आईडी : (कोई भी मद रिक्त न छोड़ें)				उधारकर्ता की श्रेणी										
				बहुपक्षीय वित्तीय संस्था										
				विदेशी सरकार (द्विपक्षीय एजेंसी)										
				निर्यात ऋण एजेंसी										
				विदेश में कार्यरत भारतीय वाणिज्य बैंक की शाखा										
				अन्य वाणिज्यिक बैंक										
				उपकरणों के आपूर्तिकर्ता										
				पट्टादायी कंपनी										
				विदेशी सहभागी/ विदेशी इक्विटी धारक										
				अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार										
				क्षेत्रीय पूंजी बाजार										
				सरकारी स्वामित्व वाली विकास वित्तीय संस्था										
				निजी प्लेसमेंट (आरडीबी)										
सार्वजनिक प्रस्ताव (आरडीबी)														
अन्य (स्पष्ट करें)														
उधारकर्ता कंपनी में उधारदाता की विदेशी इक्विटी धारिता का ब्योरा:				(बी) प्रदत्त पूंजी की राशि										
ए) उधारकर्ता का प्रदत्त इक्विटी में शेयर (%)														
ईसीबी देयता: विदेशी इक्विटी धारक से 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक उधारों के मामले में इक्विटी अनुपात														
भाग-सी – ऋण का ब्योरा														
ऋण करार की तारीख (YYYY/MM/DD)								/						
ऋण की प्रभावी तारीख								/						
संवितरण की अंतिम तारीख								/						
परिपक्वता तारीख (अंतिम भुगतान की तारीख)								/						
रियायत अवधि (यदि करार में हो तो)				वर्ष				महीने						
मुद्रा का नाम								मुद्रा कोड (स्विफ्ट)						
1.														
2.														
3.														
राशि (विदेशी मुद्रा में)														
1.														
2.														
3.														
समतुल्य राशि (अमरीकी डॉलर में) (इस फॉर्म की तारीख को)														
राशि का प्रस्तावित विभाजन				विदेशी मुद्रा व्यय				रुपये में व्यय						
(ऋण की मुद्रा में)														
हेजिंग संबंधी ब्योरा (किसी एक को टिक करें)		करेंसी स्वेप		ब्याज दर स्वेप				अन्य		हेज न किए गए				
हेजिंग प्रतिशत (प्रस्तावित)		वित्तीय हेज		स्वाभाविक हेज				कुल हेज						
ऋण करार में यदि विकल्प प्रदान किए गए हैं तो (उचित बॉक्स में टिक करें)														
कॉल ऑप्शन		ऋण का ----- प्रतिशत	निम्नलिखित तारीख के बाद निष्पादित किया जा सकता है								/		/	
पुट ऑप्शन		ऋण का ----- प्रतिशत	निम्नलिखित तारीख के बाद निष्पादित किया जा सकता है								/		/	

तारीख (YYYY-MM-DD)	मुद्रा	राशि	एक से अधिक किस्त के मामले में/ If more than one instalment	
			भुगतानों की कुल संख्या	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की संख्या

भाग-डी –अन्य प्रभार					
प्रभार का स्वरूप स्पष्ट करें	भुगतान की अपेक्षित तिथि	मुद्रा	राशि	अनेक समान भुगतानों के मामले में	
				एक वर्ष में भुगतानों की संख्या	भुगतानों की कुल संख्या
प्रारंभिक शुल्क					
प्रबंध शुल्क					
प्रतिबद्धता शुल्क					
गारंटी शुल्क					
ईसीए प्रभार					
अन्य					
कुल					

विलंब से भुगतान पर दंडात्मक ब्याज	नियत % अथवा आधार:	मार्जिन:
प्रतिबद्धता प्रभार	का % प्रति वर्ष:	अनाहरित राशि का %:
	राशि:	

भाग ई : इससे पहले ली गयी ईसीबी (पहली बार उधार लेने वाले पर लागू नहीं)

वर्ष	ऋण पंजीकरण सं.(एलआरएन)	मुद्रा	ऋण की राशि/ Amount of Loan		
			मूलधन (करार के अनुसार)	अब तक संवितरित राशि	निवल बकाया (मूलधन)

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिया गया उपर्युक्त ब्योरा सत्य और सही है। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छुपायी नहीं गयी है तथा/ अथवा गलत नहीं दी गयी है। इसके अलावा यह ईसीबी मौजूदा ईसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है तथा जुटाई जाने वाली ईसीबी अनुमति-प्राप्त प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जाएगी।

स्थान: _____

(कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, मुहर सहित)

तारीख: _____

नाम: _____

पदनाम: _____

फोन नं. _____

फैक्स _____

ई-मेल _____

फॉर्म ईसीबी के लिए सारांश पत्रक (एसएस)

हमने संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा की है और निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं: -

1	अंतिम-उपयोग (यदि एक से अधिक अंतिम उपयोग हैं, तो उनका प्रतिशत दें)	(i) (ii) (iii)	स्वचालित-मार्ग के अंतर्गत अनुमत	विदेशी मुद्रा विभाग, भारिबैं द्वारा अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अनुमोदित
2	औसत परिपक्वता	वर्ष	महीने	
3	लागत घटक (%)	नियत ऋण दर	ऋण की अस्थायी दर	
	a) ब्याज दर		आधार पर मार्जिन (स्प्रेड)	आधार
	b) समग्र लागत			
4	'विदेशी इक्विटी धारक' से ऋण के मामले में यह पुष्टि की जाती है कि: ईसीबी देयता - इक्विटी अनुपात (7:1) के मानदंड को पूरा किया गया है। साथ ही कार्यशील पूंजी/सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन/ रुपया ऋण की चुकौती के अंतिम उपयोग के मामले में यह पुष्टि की जाती है कि उधारदाता की इक्विटी धारिता प्रदत्त इक्विटी का कम से कम 25 प्रतिशत (प्रत्यक्ष)/ 51 प्रतिशत (अप्रत्यक्ष) है अथवा उधारदाता एक समूह कंपनी है जिसकी साझा विदेशी मूल कंपनी है।			
5	उधारकर्ता ने एडी को इस आशय का वचनपत्र दिया है कि वह पिछले ईसीबी/ एफ़सीसीबी ऋणों के संबंध में भारिबैं को नियमित रूप से ईसीबी-2 विवरणी प्रस्तुत कर रहा है।			हाँ/ लागू नहीं
6	जमानत, यदि दी गई हो			
7	एलआरएन के आबंटन के लिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य			

स्थान /Place: _____

(कंपनी सचिव/ सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर तथा मुहर)

(Signature of Company Secretary/ Chartered Accountant with

stamp)

तारीख/ Date: _____

नाम/Name: _____

पंजीकरण सं. / Registration No.: _____

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ता हमारे ग्राहक हैं और फार्म में दिए गए ब्योरे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। हमने आवेदन तथा उधारदाता/ आपूर्तिकर्ता से प्राप्त मूल प्रस्ताव पत्र तथा प्रस्तावित उधार से संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा की है तथा उन्हें सही पाया है। यह आवेदन बाह्य वाणिज्यिक उधारसे संबंधित विद्यमान दिशा निदेशों के अनुरूप है। हम भारिबैं द्वारा ऋण पंजीकरण नंबर के लिए आबंटन के लिए इस आवेदन की सिफ़ारिश करते हैं

स्थान: _____

(प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर)

तारीख: _____

नाम: _____

Designation: _____

बैंक/शाखा का नाम :

एडी कोड (भाग-I तथा भाग II): _____

टेली सं. _____ फैक्स नं. _____

ईमेल: _____

केवल रिज़र्व बैंक (डीएसआईएम) के उपयोग के लिए

आरबीआई टीम	प्राप्ति तारीख			कार्रवाई की तारीख			ऋण का वर्गीकरण			
एलआरएन, यदि आबंटित हो										

ईसीबी-2⁸⁷

**विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के
वास्तविक लेनदेनों को रिपोर्टिंग
(ऋण के सभी संवर्गों और किसी भी राशि के लिए)
_____ को समाप्त माह की विवरणी**

- ईसीबी के सभी संवर्गों के लिए भरा जाना चाहिए। इसे माह के अंत से 7 कार्य दिवस के भीतर नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निदेशक, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (सांसूप्रवि), भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को भेजा जाना चाहिए (संपर्क नंबर 022-26572513 तथा 022-26573612)। किसी विशिष्ट अवधि में कोई लेनदेन न होने की स्थिति में **"कुछ नहीं"** विवरणी भेजी जानी चाहिए।
- कोई भी स्तंभ खाली न छोड़ें। प्रत्येक मद के सामने पूर्ण ब्योरे प्रस्तुत करें। जहां कोई विशिष्ट मद लागू हो उसके सामने लागू नहीं लिखें।
- सभी तिथियां YYYY/MM/DD के फार्मेट में होनी चाहिए, जैसे कि 21 जनवरी 2018 के लिए 2018/01/21.
- डीएफआइ/बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, आदि से उप-ऋण लेने वाले उधारकर्ता इस फार्म को न भरें चूंकि संबंधित वित्तीय संस्था ईसीबी-2 सीधे ही प्रस्तुत करेगी।
- रिज़र्व बैंक को विवरणी अग्रेषित करने से पहले, कंपनी सचिव/ सनदी लेखकार संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की अवश्य जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि विवरणी सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण और सही हैं।
- 01 फरवरी 2004 के बाद अनुमोदित सभी ऋणों के लिए ऋण पंजीकरण सं. निर्दिष्ट की जानी चाहिए। फरवरी 01, 2004 से पहले अनुमोदित ऋण के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित की गई ऋण पहचान सं. (एलआईएन)/ ऋण पंजीकरण सं. दी जाए।
- यदि किसी मद के सामने पूरी जानकारी/ ब्योरे देने के लिए पर्याप्त स्थान न है, तो विवरणी के साथ अलग से पन्ना जोड़ा जाए और संलग्नक के रूप में उसे क्रमानुसार संख्या दी जाए।
- भाग-सी (उपयोग) में उपयोग हेतु निम्नलिखित प्रयोजन कोड हैं:-

कोड	मद	कोड	मद
IC	पूंजी माल का आयात	MF	सूक्ष्म वित्त गतिविधि
OI	जेवी डबल्यूओएस में/पारदेशीय निवेश	OT	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
RL	पूंजी माल का स्थानीय स्रोत (रुपया व्यय)	RR	रुपया ऋणों का पुनर्वित्तपोषण
RC	कार्यशील पूंजी (रुपया व्यय)	RB	एफ़सीसीबी की चुकौती
SL	ऑन-लेंडिंग और सब-लेंडिंग	IF	इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास
RF	पहले लिए गए ईसीबी की चुकौती	NP	नई परियोजना
ME	मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण / विस्तार		

- विप्रेषण के लिए निधियों का स्रोत के लिए भाग-डी (ऋण चुकौती) में निम्नलिखित कूट का उपयोग करें।

कोड	मद	कोड	मद
A	भारत से विप्रेषण	D	इक्विटी पूंजी का परिवर्तन
B	विदेशों में धारित खाता	E	उधारदाता छूट
C	विदेशी में धारित निर्यात आय	F	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

⁸⁷ दिनांक 16 जनवरी 2019 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 17 के द्वारा इसे संशोधित किया गया।

भाग ए : ऋण पहचान का ब्योरा

ऋण पंजीकरण सं. (LRN)									
ऋण की राशि				उधारकर्ता का ब्योरा					
	मुद्रा	राशि	उधारकर्ता का नाम तथा पता (स्पष्ट अक्षरों में)						
करार के अनुसार									
संशोधित (यदि वितरण की अवधि समाप्त/ निरस्त / भविष्य में आहारित नहीं की जानी हों तो कृपया सूचित करें)			संपर्क व्यक्ति का नाम: पदनाम: फोन नं. : फ़ैक्स नं.: ई-मेल आईडी:						

भाग-बी: संवितरण

बी.1: माह के दौरान आहरण (संवितरण) (ऋण की मुद्रा में)

विवरण	दिनांक (YYYY/MM/DD)	मुद्रा	राशि	बैंक/ शाखा का नाम	खाता सं.
A. विदेश में रखी गई राशि					
B. भारत को विप्रेषित राशि				अपेक्षित नहीं	
टिप्पणियाँ:					
1. माल अथवा सेवाओं के आयात के मामले में, आहरण की तारीख के सामने आयात की तारीख दी जाए।					
2. वित्तीय पट्टा के मामले में माल के अधिग्रहण की तारीख को आहरण की तारीख के रूप में लिखा जाए।					
3. प्रतिभूतीकृत लिखत के मामले में, निर्गम की तारीख को आहरण की तारीख के रूप में लिखा जाए।					
4. बहु मुद्रा ऋण के मामले विवरणी में अलग से ब्लॉक (ब्लॉक्स) संलग्न किया जाए।					

बी.2 भविष्य में आहरण किए जानेवाले की शेष राशि (केवल मूलधन):

आहरण द्वारा कमी का प्रत्याशित दिनांक	मुद्रा	राशि	एक से ज़्यादा किस्तों हो तो	
			आहरणों की कुल सं./	एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल आहरणों की सं./

भाग सी : उपयोग

सी-1 : महीने के दौरान आहरण (केवल मूल राशि) के उपयोग का ब्योरा:

विवरण	तारीख	प्रयोजन कोड	मुद्रा	राशि	देश	बैंक का नाम	खाता सं.
विदेश में रखी गई राशि में से							
भारत को विप्रेषित राशि में से					अपेक्षित नहीं		

सी-2: माह के अंत में बकाया शेष राशि (केवल मूलधन) :

विवरण	जमा/अन्य	संचयी अवधि (महीनों में)	मुद्रा	राशि	बैंक/शाखा का नाम	खाता सं.
विदेश में रखी गई						
भारत में रखी गई						

भाग ऋण की चुकौती -डी-

डी.1 : महीने के दौरान मूल राशि की चुकौती, ब्याज भुगतान आदि (ऋण की मुद्रा में)

श्रृंखला सं.	प्रयोजन	विप्रेषण की तारीख	मुद्रा	राशि	विप्रेषण के स्रोत के लिए कूट सं.	क्या मूल राशि का समय पूर्व भुगतान किया जा रहा है? (हां/नहीं)
	मूल राशि की चुकौती @					
	ब्याज @ दर					
	अन्य (स्पष्ट करें)					

समयपूर्व भुगतान के मामले में स्वचालित/ अनुमोदन मार्ग सं., दिनांक, राशि के ब्यौरे अनुबंध के रूप में दें।

@एफ़सीसीबी के इकिटी में परिवर्तन, बकाया एफ़सीसीबी के बायबैक/ मोचन अथवा ईसीबी मूलधन को बट्टे खाते डाले जाने के मामले में लेनदेन को फिर भी उचित टिप्पणियों सहित मूलधन की चुकौती के समक्ष दर्शाया जाए।

डी.2 संशोधित मूल राशि चुकौती अनुसूची (अगर संशोधित / ब्याज दर स्वैप किया गया हो तो)

दिनांक (YYYY/MM/DD) (पहली चुकौती की तारीख)	मुद्रा	प्रत्येक लेनदेन में विदेशी मुद्रा में राशि	एक से अधिक किस्तों के मामले में		वार्षिकी दर (अगर वार्षिकी भुगतान हो तो)
			किस्तों की कुल सं.	एक कैलेंडर वर्ष में भुगतानों की सं. (1, 2, 3, 4, 6, 12)	

भाग-ई: अन्य

ई-1. वित्तीय हानि से बचाव व्यवस्था का ब्योरा:

ईसीबी की शेष मूल राशि*	मुद्रा	वित्तीय हेज		स्वाभाविक हेज/ Natural hedge		ईसीबी के लिए वित्तीय हानि से बचाव की वार्षिकीकृत प्रतिशत लागत
		अनुमानित मूल्य	ईसीबी की बकाया राशि का प्रतिशत	अनुमानित मूल्य	ईसीबी की बकाया राशि का प्रतिशत	

*रिपोर्टिंग महीने की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार / as on the last date of the reporting month

ई-2: पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय, यदि कोई हो (केवल उसी मुद्रा वाली ईसीबी से संबंधित):

वित्तीय वर्ष	मुद्रा	विदेशी मुद्रा अर्जन	विदेशी मुद्रा व्यय	वार्षिक ईबीआईडी**

**उपर्युक्त सारणी में परिभाषित किए गए अनुसार ब्याज तथा मूल्यहास के पूर्व की आय (ईबीआईडी)= कर पश्चात लाभ = मूल्यहास+ कर्ज पर ब्याज+ पट्टा किराया, यदि कोई हो।

भाग-एफ़: बकाया मूलधन राशि

बकाया ऋण राशि (ऋण की मुद्रा में):

(अर्थात माह के अंत में आहरण द्वारा कम की गई कुल राशि में से कुल चुकौती को घटाकर)

मुद्रा							राशि:	
--------	--	--	--	--	--	--	-------	--

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार दिए गए उपर्युक्त ब्योरे सत्य और सही हैं। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना न तो छुपायी गयी है, और/ अथवा न ही गलत सूचना दी गयी है।

स्थान : _____	
तारीख : _____	उधारकर्ता कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित) नाम : _____ पदनाम : _____ टेलीफोन सं. : _____

फॉर्म ईसीबी 2 के लिए सारांश पत्रक (एसएस 2)

ऋण पंजीकरण सं. (एलआरएन): _____

मुद्रा	वर्तमान महीने से पहले आहारित राशि	वर्तमान माह में आहारित राशि	वर्तमान माह में मूलधन की चुकौती	निवल बकाया	किए गए ब्याज भुगतान	भुगतान किए जाए अन्य प्रभार

कंपनी सचिव / सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि सरकार अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एलआरएन सं. ----- के माध्यम से लिए गए ईसीबी को लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है। आगे यह कि ईसीबी आय को ----- को समाप्त माह के दौरान _____ प्रयोजन के लिए उधारकर्ता ने उपयोग किया है।

हमने ईसीबी आय के उपयोग से संबंधित सभी दस्तावेजों और रिकार्डों का सत्यापन किया है और उसे सही पाया है और वे ऋण करार के शर्तों और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा अनुमोदन मार्ग/ स्वचालित मार्ग के अंतर्गत स्वीकृत अनुमोदन के अनुसार है और यथालागू ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम तथा पता

स्थान:

पंजीकरण सं.

तारीख:

[मुहर]

किसी प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र

हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि ----- को समाप्त माह के लिए एलआरएन संके लिए हमारे अभिलेखों के----- अनुसार ऋण चुकौती, बकाया और चुकौती अनुसूची के बारे में ऊपर दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं। ईसीबी का आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती की जाँच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि ईसीबी के ऐसे आहरण ,उपयोग और उसकी चुकौती ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

स्थान/ Place : _____

तारीख/ Date : _____

प्राधिकृत व्यापारी का हस्ताक्षर (मुहर सहित)

नाम/ Name : _____

पदनाम/ Designation : _____

टेलीफोन सं./Telephone No. : _____

प्राधिकृत व्यापारी का नाम एवं पता: _____

ई-मेल आईडी/ E-mail ID: _____

(दिनांक 17 अप्रैल 2004 के ए.पी. (डीआईआर सीरिज) परिपत्र सं. 87 का अनुबंध)

		फॉर्म टीसी			दिनांक 17 अप्रैल 2004 के ए.पी. (डीआईआर सीरिज) परिपत्र सं. 87 का अनुबंध					
भाग-I : ----- माह/(वर्ष) के दौरान सभी शाखाओं द्वारा प्रदान किए गए ट्रेड क्रेडिट(व्यापार ऋण) के अनुमोदन										
	एडी का नाम:						संपर्की व्यक्ति :			
	पता :						टेलीफ़ोन: फ़ैक्स :			
क्र. सं.	अनुमोदन की तारीख	ऋण पहचान सं.	उधारकर्ता श्रेणी	उधारदाता का नाम *	उधारकर्ता का नाम *	मुद्रा	राशि	अमरीकी डॉलर (यूएसडी) में समतुल्य राशि	ब्याज दर	यूएसडी में अन्य प्रभार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल										

74

- I. आपूर्तिकर्ता का ऋण (एससी)
- II. क्रेता का ऋण (बीसी)
- III. अल्पावधि व्यापार ऋण (एसटीसी)(एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि)
- IV. दीर्घावधि व्यापार ऋण(एलटीसी)(एक वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम परिपक्वता अवधि)
- V. कुल व्यापार ऋण (टीसी) (I+II)

*:अथवा आपूर्तिकर्ता

** : कृपया संबंधित कोड जैसे कि एससी अथवा बीसी; एसटीसी या एलटीसी।

***: पेट्रोलियम, तेल, चिकनाई के पदार्थ (पीओएल), पूंजीगत वस्तुएं (सीजी), अन्य(ओटी)

टिप्पणी 1: ऋण पहचान सं. का फ़ारमेट है: टीसी(बैंक/ शाखा का नाम)(पहचान सं.)

टिप्पणी 2: कॉलम सं. 8 से 13 तक की सूचना केवल अंकों में दी जाए। इन कॉलम में कोई अक्षर न लिखें जाएँ।

टिप्पणी 3: कॉलम सं. 2 में तिथियां वववव/मम/दिदि के फ़ारमेट में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, 21 जनवरी 2018 को 2018/01/21 लिखा जाए।

भाग II : -----(माह/वर्ष)के दौरान ट्रेड क्रेडिट का वितरण, उपयोग तथा ऋण की चुकौती											
क्र. सं.	ऋण पहचान सं.	अनुमोदित राशि (यूएसडी)	वितरण (यूएसडी)	उपयोग (यूएसडी)	मूलधन	ब्याज	अन्य प्रभार	जोड़ (6+7+8)	बकाया (4-6)	लदान	अंतिम भुगतान

टिप्पणी 1: कॉलम सं. 1, 3 से 10 तक की सूचना केवल अंकों में दी जाए। इन कॉलम में कोई अक्षर न लिखें जाएँ।

टिप्पणी 2 : कॉलम सं. 11, 12 में तिथियां वववव/मम/दिदि के फ़ारमेट में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, 21 जनवरी 2018 को 2018/01/21 लिखा जाए।

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

1. हमारी सभी शाखाओं द्वारा ----- माह के दौरान आयातों के लिए अनुमोदित सभी ट्रेड क्रेडिट्स को इस विवरण में शामिल किया गया है।
2. इस प्रकार के ट्रेड क्रेडिट्स के उपयोग से संबंधित आयात दस्तावेजों (प्रविष्टि पत्र(BoE)की ईसी प्रति सहित) का सत्यापन किया गया है और उन्हें सही पाया गया है।
3. हमारी शाखाओं द्वारा अनुमोदित सभी ट्रेड क्रेडिट्स के आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती की जाँच की गई और प्रमाणित किया जाता है कि ईसीबी के ऐसे आहरण, उपयोग और उसकी चुकौती सही है।

(दिनांक 1 नवंबर 2004 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 24 का अनुबंध)

[लोपित]⁸⁸

⁸⁸ व्यापार ऋण के लिए जारी गारंटी की तिमाही रिपोर्टिंग [12 जनवरी 2026 के ए.पी. \(डीआईआर सीरीज\) परिपत्र सं. 19](#) द्वारा बंद की गयी।

भाग-VI : अनिवासी विदेशी खाते

1) अनिवासी साधारण (एनआरओ) खातों से किए गए विप्रेषणों पर मासिक विवरणी (अनुबंध I)

रियल टाइम डाटा तक पहुँच को ध्यान में रखते हुए एनआरओ खातों में से अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों और विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा किए गए विप्रेषणों से संबंधित सूचना को मासिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को अपेक्षित फ़ारमेट में संबंधित विवरण प्रभारी महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग (अनिवासी विदेशी खाता प्रभाग), भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को रिपोर्टिंग माह की समाप्ति से 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना है।

2) बांग्लादेश की राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के संबंध में किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा किसी प्राधिकृत बैंक द्वारा खोले गए खातों की उनके द्वारा अपने प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट की जाएगी और ऐसे प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक के प्रधान कार्यालय को एक तिमाही रिपोर्ट जिसमें व्यक्ति का/ व्यक्तियों के नाम, पासपोर्ट संख्या तथा पासपोर्ट जारी करने का स्थान/करने वाले देश का नाम, संबंधित FRO/ FRRO के नाम, रिहायशी अनुमति पत्र की को जारी करने की तारीख तथा उसकी वैधता के ब्योरे तिमाही आधार पर गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

3. अनिवासी जमा पर विवरणी (अनुबंध II) : अनिवासी जमा (NRD) खातों का रख-रखाव करने वाले बैंकों को अनिवासी जमाराशियों से संबंधित व्यापक मासिक आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक को एनआरडी-सीएसआर साफ्टवेयर पैकेज़ में प्रस्तुत करने हैं, जिसका फ़ार्मेट अनुबंध II

(https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/19APDR_AN10813.pdf पर उपलब्ध) में दिया गया है।

बैंकों के नोडल कार्यालयों द्वारा XBRL प्लेटफ़ॉर्म पर मासिक एनआरडी-सीएसआर प्रस्तुति के लिए रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित दो विकल्प दिए हैं:

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के ऑनलाइन रिपोर्टिंग वेब-पेज (<http://orfs.rbi.org.in>) (Path: Homepage→ XBRL-based filing→ (enter user name/password) → Download Returns Package → Form NRD-CSR) पर बैंक लॉग-इन करके RBI के एनआरडी-सीएसआर टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें ब्योरा भरने के बाद उसका उपयोग instance डाक्यूमेंट (.xml file) जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। Instance डाक्यूमेंट भारतीय रिज़र्व बैंक के XBRL पेज पर अपलोड किया जा सकता है। रिज़र्व बैंक (DSIM, CO) सभी बैंकों को NRD-CSR के लिए यूजरनेम और पासवर्ड उपलब्ध कराएगा।

(बी) बैंक अपने आंतरिक डाटाबेस के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध XBRL tool का उपयोग कर सकते हैं और रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट NRD-CSR प्रणाली अमल में ला कर Instance डाक्यूमेंट (.xml file) जनरेट कर सकते हैं तथा उसे रिज़र्व बैंक के XBRL पेज पर अपलोड कर सकते हैं।

इसके अलावा, यदि बैंकों की आंतरिक प्रणाली में ऐसा लचीलापन/ऐसी सुविधा उपलब्ध हो तो वे विनिर्दिष्ट फ़ार्मेट में उससे भी Instance डाक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं।

भाग VI : अनुबंध I

(दिनांक 5 मई 2016 के ⁸⁹ ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 67/[(1)/5(आर)] के अनुबंध में प्रोफॉर्मा दिया गया है)

अनिवासी भारतीयों / भारतीय मूल के व्यक्तियों और विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा को समाप्त माह में एनआरओ खातों में से किए गए विप्रेषणों का ब्योरा दर्शानेवाला विवरण

बैंक का नाम : निम्नलिखित के कारण विप्रेषणों की संख्या				राशि अमरीकी डॉलर में			
अचल संपत्ति की बिक्रीगत आय	अन्य परिसंपत्तियाँ	एनआरओ खाते से एनआरई खाते में अंतरण	कुल	अचल संपत्ति की बिक्रीगत आय	अन्य परिसंपत्तियाँ	एनआरओ खाते से एनआरई खाते में अंतरण	कुल

⁸⁹ दिनांक 5 मई 2016 के ए.पी. डीआईआर सीरीज परिपत्र सं. 67/2015-16 द्वारा जोड़ा गया। शामिल करने के पूर्व इसे दिनांक 18 फरवरी 2014 के ए.पी. डीआईआर सीरीज परिपत्र सं. 106 पढ़ा जाता था।

अनिवासी जमाराशियों पर मासिक आंकड़े

अनिवासी जमाराशियां – व्यापक एकल विवरणी (NRD-CSR) :
एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (XBRL) पर आधारित रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए फार्मेट

1. अनिवासी जमाराशियां – व्यापक एकल विवरणी (NRD-CSR) का फार्मेट

सं.	स्तंभ वर्णन	प्रकार	स्थिति	टिप्पणी (रिमार्क)
1.	बैंक कोड	7 N	1 to 7	XBRL हेतु (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए) बैंक वर्किंग कोड के बाद शून्यों को लगाएं
2.	रिपोर्टिंग अवधि [स्टाक और प्रवाह की]	6 N	8 to 13	माह जिससे NRD डाटा संबंधित है (वर्ष चार अंकों, माह 2 अंकों, के फार्मेट में)
3.	जमा-योजना कोड	4 A	14 to 17	कोड बाक्स 1 के अनुसार
4.	खाते का प्रकार	1 A	18	मीयादी खाते हेतु F; आवर्ती खाते हेतु R; बचत खाते हेतु S; चालू खाते हेतु C
5.	मूल परिपक्वता अवधि	1 N	19	कोड बाक्स 2 के अनुसार
6.	शेष परिपक्वता अवधि	1 N	20	कोड बाक्स 2 के अनुसार
7.	देश (स्विफ्ट कोड)	2 A	21 to 22	स्विफ्ट कंट्री कोड (SWIFT Country code)
8.	एकाउंट करेंसी (स्विफ्ट कोड)	3 A	23 to 25	स्विफ्ट करेंसी कोड (SWIFT Currency code)
9.	रिकार्ड टाइप कोड	2 A	26 to 27	कोड बाक्स 3 के अनुसार
10.	रिकार्ड – राशि	15 N	28 to 42	पूर्णकित (बिना दशमलव विंदु के) राशि (खाते की करेंसी में)
N – अंकीय Numeric; A – अक्षरांकीय Alpha-numeric				

2. NRD-CSR में प्रयोग किए जाने वाले कोडों (Codes) का ब्योरा

कोड बाक्स -1: जमा योजना कोड		
क्र.	योजना के अंतर्गत खाता	योजनागत कोड
1.	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (FCNR A/c)	FCNR
2.	अनिवासी बाह्य रुपया खाता	NRER
3.	अनिवासी सामान्य रुपया खाता	NROR

कोड बाक्स -2: परिपक्वता अवधि कोड		
क्र.	परिपक्वता वर्गीकरण	परिपक्वता कोड
1.	छः महीने तक और छः महीने सहित	1
2.	छः महीने से अधिक किन्तु एक वर्ष तक एवं एक वर्ष सहित	2
3.	एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष तक एवं दो वर्ष सहित	3
4.	दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष तक एवं तीन वर्ष सहित	4
5.	तीन वर्ष से अधिक	5
6.	अनाबंटित (बचत/चालू/अदावी खाते)	6
बचत/चालू/अदावी जमा खातों के मामले में अवशिष्ट परिपक्वता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में, अवशिष्ट परिपक्वता अवधि अनाबंटित (कोड 6) समझी जाए।		
करेंसी कोड (स्विफ्ट कोड)		
अमरीकी डालर (USD), ग्रेट ब्रिटेन पौंड (GBP), यूरो (EUR), जापानी येन (JPY), आस्ट्रेलियन डालर (AUD), कनैडियन डालर (CAD) तथा अन्य मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्राएं एफसीएनआर (बी) के लिए अनुमत हैं।		

कोड बाक्स - 3: रिकार्ड टाइप कोड			
सं.	रिकार्ड टाइप	रिकार्ड में डाटा मदों का वर्णन	कोड
1.	अंतर्वाह (Inflows)	विदेश से नवीन अंतर्वाह (कुल)	FI
2.		पुनर्निवेशित ब्याज राशि	IR
3.		नवीकृत/अन्य खातों से अंतरित राशि	PR
4.		स्थानीय अंतर्वाह (एनआरओ बचत खाते के लिए)	LI
5.	बहिर्वाह (Outflows)	विदेश विप्रेषित मूल राशि (कुल)	PA
6.		विदेश विप्रेषित ब्याज राशि (कुल)	IA
7.		स्थानीय रूप से विप्रेषित मूल राशि	PL
8.		स्थानीय रूप से विप्रेषित ब्याज राशि	IL
9.		स्थानीय आहरण (उपहार, कर, दान आदि)	LW
10.		नवीकरण सहित अन्य खाते में अंतरण	TR
11.	शेष (Balances)	अदावी सहित प्रारंभिक जमा	OB
12.		अदावी सहित अंतिम शेष	CB
13.		अदावी शेष	UC
14.		संदर्भाधीन माह के अंत में उपचित ब्याज	AI
15.		ब्याज उचित शेष (ब्याज बकाया)	SB

3. सटीकता (validations)

क्र.	सटीकता (validations)	टाइप* [गंभीर त्रुटि (F)/ गैर-गंभीर त्रुटि (N)]
1	फाइल की कुल लंबाई 42 character से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।	F
2	बैंक कोड, NRD स्क्रीम कोड, खाते के प्रकार, कट्टी (स्विफ्ट कोड), एकाउंट करेंसी (स्विफ्ट कोड) और रिकार्ड टाइप कोड संबंधित कोड बाक्स/मास्टर से वैलिडेट किए जाएंगे।	F
2	"मूल परिपक्वता अवधि अवशिष्ट परिपक्वता अवधि से कम नहीं हो सकती है।"	F
4	रिकार्ड टाइप की नकारात्मक वैल्यू नहीं हो सकती है।	F
5	FCNR (B) योजना के लिए किसी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा (भारतीय रुपए को छोड़कर) का चयन किया जा सकता है।	F
6	NRE और NRO योजना हेतु केवल भारतीय रुपए (INR) का चयन किया जा सकता है।	F
7	FCNR (B) योजना के लिए, मान्य रिकार्ड टाइप हैं- FI, IR, PR, PA, IA, HI, PL, IL, TR और OB,CB,UC,AI,SB.	F
8	NRE योजना के लिए, मान्य रिकार्ड टाइप हैं- FI, IR, PR, PA, IA, PL, IL, LW, TR और OB,CB,UC,AI,SB.	F
9	NRO योजना के लिए, मान्य रिकार्ड टाइप हैं- FI, IR, PR, LI, PA, IA, PL, IL, LW, TR और OB,CB,UC,AI,SB.	F
10	FCNR (B) योजना के लिए प्रत्येक करेंसी हेतु अग्रांकित नियमितता जांच उपलब्ध करायी जाएगी: CB = OB + INFLOWS (FI+IR+PR) - OUTFLOWS (PA+PL+TR)	N
11	NRE योजना के लिए अग्रांकित नियमितता जांच उपलब्ध करायी जाएगी: CB = OB	N

	+ INFLOWS(FI+IR+PR) - OUTFLOWS (PA+PL+TR+LW)	
12	NRO योजना के लिए अग्रांकित नियमितता जांच उपलब्ध करायी जाएगी: CB=OB + INFLOWS(FI+IR+PR+LI) - OUTFLOWS (PA+PL+TR+LW)	N
13	FCNR और NRE योजना के लिए, मीयादी जमा हेतु "मूल परिपक्वता" के लिए "परिपक्वता कोड" वैल्यू '1' [code box 2] नहीं हो सकती है।	F

**टिप्पणी: किसी 'गंभीर त्रुटि' के लिए यह प्रणाली फाइल एवं रिकार्ड को पूरी तरह अस्वीकृत कर देगी और 'गैर-गंभीर त्रुटि' के लिए प्रणाली रिकार्ड/फाइल और प्रक्रिया को स्वीकार करेगी। हालांकि, दोनों मामलों में प्रणाली त्रुटियों को सुधारने एवं पुनरीक्षित डाटा फिर से प्रस्तुत करने के लिए उन्हें दिखाएगी।*

भाग VII: अचल संपत्ति

फॉर्म आईपीआई (अनुबंध-1) : भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति जिसने संपर्क कार्यालय को छोड़कर भारत में कोई कार्यकलाप करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित ⁹⁰विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार का अन्य स्थान स्थापित करना) विनियमावली, 2016 के अनुसार भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार का अन्य स्थान स्थापित किया है, वह भारत में अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है, जो इस प्रकार के कार्यकलाप करने के लिए आवश्यक तथा प्रासंगिक है और उसे इस प्रकार के अर्जन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित फॉर्म आईपीआई में रिज़र्व बैंक के पास एक घोषणा फ़ाइल करनी होगी।

⁹⁰ विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार का अन्य स्थान स्थापित करना) विनियमावली, 2000 को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार का अन्य स्थान स्थापित करना) विनियमावली, 2016 से प्रतिस्थापित किया गया है।

फॉर्म आइ.पी.आई.

भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति, जिसने भारत में संपर्क कार्यालय से भिन्न कोई शाखा, कार्यालय अथवा अन्य कारोबारी स्थल स्थापित किया है, द्वारा भारत में अर्जित अचल संपत्ति के संबंध में घोषणापत्र

अनुदेश :

1. घोषणापत्र दो प्रतियों में पूर्ण किया जाना चाहिए तथा अचल संपत्ति अर्जित करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर ⁹¹महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, विदेशी निवेश प्रभाग, 6 संसद मार्ग, नई दिल्ली - 100001 को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. भारत के बाहर निवासी व्यक्ति जो भारत के नागरिक अथवा ⁹²विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) [ओसीआई वह व्यक्ति है जो भारत के बाहर का निवासी है और जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा-7 (ए) के तहत "विदेशी भारतीय नागरिक" के रूप में पंजीकृत कार्ड-धारक है] जिसने [दिनांक 26 मार्च 2018 की ⁹³अधिसूचना सं. फेमा 21\(आर\)/2018-आरबी](#) के विनियम -3 के प्रावधानों के तहत सामान्य अनुमति के अंतर्गत अचल संपत्ति अर्जित की है, उसे यह फॉर्म नहीं भरना है।

प्रलेखन:

फेमा, 1999 (1999 का 42) की धारा 6(6) के तहत प्राप्त किये गये रिज़र्व बैंक के अनुमोदन पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ।

1	अचल संपत्ति अर्जित करनेवाले का पूर्ण नाम तथा पता	
2	(ए) अचल संपत्ति का वर्णन (बी) राज्य, शहर का नाम तथा म्युनिसिपल/सर्वे संख्या, आदि दर्शाते हुए उसके सही स्थान के ब्योरे	
3	(ए) अचल संपत्ति अर्जित करने का प्रयोजन (बी) रिज़र्व बैंक की अनुमति की संख्या तथा तारीख, यदि कोई हो	
4	अचल संपत्ति अर्जित करने की तारीख	
5	(ए) अचल संपत्ति कैसे अर्जित की गयी अर्थात् खरीद के रूप में अथवा पट्टे पर (बी) विक्रेता / पट्टाकर्ता का नाम, नागरिकता तथा पता (सी) खरीद मूल्य की राशि तथा निधि के स्रोत	

मैं/ हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

(ए) उपर्युक्त में दिये गये ब्योरे मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं;

⁹¹ इसे जुलाई-2018 से संशोधित किया गया है। संशोधन से पूर्व इसे "मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, (विदेशी निवेश प्रभाग), केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई-400001" पढ़ा जाता था।

⁹² [दिनांक 26 मार्च 2018 की अधिसूचना सं. फेमा 21\(आर\)/2018-आरबी](#) के तहत "भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)" को "विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई)" से प्रतिस्थापित किया गया।

⁹³ [दिनांक 26 मार्च 2018 की अधिसूचना सं. फेमा 21\(आर\)/2018-आरबी](#) द्वारा पहले की [अधिसूचना सं. फेमा 21\(आर\)/2000-आरबी, दिनांक 03 मई 2000](#) को प्रतिस्थापित किया गया है।

(बी) उपर्युक्त संपत्ति का कोई भाग पट्टे पर/ भाड़े पर नहीं दिया गया है अथवा अन्यथा किसी अन्य पार्टी द्वारा उपयोग किये जाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है।

अनुलग्नक:

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर

स्थान:----

नाम:-----

दिनांक-----

पदनाम:-----

पारदेशीय निवेश (ओआई): दिनांक 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/2004-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2004] का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार की दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 646(ई) द्वारा अधिसूचित [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(पारदेशीय निवेश\) नियमावली, 2022](#) (जिसे इसके बाद 'ओ आई नियमावली' कहा गया है) और रिज़र्व बैंक की दिनांक 22 अगस्त 2022 की अधिसूचना सं. फेमा 400/2022-आरबी द्वारा अधिसूचित [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(पारदेशीय निवेश\) विनियमावली, 2022](#) (जिसे इसके बाद 'ओआई विनियमावली' कहा गया है) के माध्यम से पारदेशीय निवेश ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है। इसके उपरान्त, [ए.पी. \(डी.आई.आर. सीरीज़\) परिपत्र सं.12 दिनांक 22 अगस्त 2022](#) के माध्यम से [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(पारदेशीय निवेश\) निदेश, 2022](#) (जिसे इसके बाद 'ओआई निदेश' कहा गया है) जारी किए गए हैं।

2. तदनुसार, संशोधित रिपोर्टिंग अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

ओआई विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार,

ए) भारत में निवासी व्यक्ति,

- (i) जिसने किसी विदेशी संस्था में, पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) किया है या कोई वित्तीय प्रतिबद्धता कर रहा है या पुनर्गठन कर रहा है या विनिवेश कर रहा है, उसे **फॉर्म एफसी** में इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी।

- (ii) जिसने ओडीआई किया है, वह एक **वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर)** प्रस्तुत करेगा।

बी) निवासी व्यक्ति से भिन्न भारत में निवासी व्यक्ति, जो कोई पारदेशीय पोर्टफोलियो निवेश (ओपीआई) कर रहा हो, अथवा बिक्री के माध्यम से ऐसे निवेश का अंतरण कर रहा हो, वह **फॉर्म ओपीआई** में उसकी रिपोर्टिंग करेगा।

सी) **भारतीय संस्था** जिसने ओडीआई किया है, वह **विदेशी देयताओं और आस्तियों (एफएलए) पर वार्षिक विवरणी** प्रस्तुत करेगी।

3. **फॉर्म एफसी (अनुबंध-1):** इस फॉर्म में भारतीय संस्थाओं (ओआई नियमावली में यथा परिभाषित) और निवासी व्यष्टियों, यथालागू द्वारा की गयी वित्तीय प्रतिबद्धता, जिसमें ओडीआई शामिल है, पुनर्गठन तथा विनिवेश के संबंध में सूचना दी जाती है। इस फॉर्म के 7 भाग हैं, यथा- भाग 'ए' से 'जी' तक। प्रत्येक भाग का संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया जा रहा है।

⁹⁴ [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(पारदेशीय निवेश\) विनियमावली, 2022](#) और [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(पारदेशीय निवेश\) निदेश, 2022](#) के साथ इन निदेशों को संरेखित करने के लिए भाग VIII में संशोधन किया गया है जो 22 अगस्त 2022 से प्रभावी है।

भाग ए	भारतीय संस्था/ निवासी व्यक्ति/ न्यास/ सोसाइटी का ब्योरा
भाग बी	विदेशी संस्था/ उप-अनुषंगियों का ब्योरा
भाग सी	भारत में निवासी व्यक्ति के लेनदेन/ विप्रेषण/ वित्तीय प्रतिबद्धता का ब्योरा
भाग डी	वित्तीय प्रतिबद्धता करने वाली भारतीय संस्था/ निवासी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली घोषणा
भाग ई	भारतीय संस्था (आईई)/ समूह कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाण-पत्र
भाग एफ	विदेशी संस्था के तुलन-पत्र के पुनर्गठन के समय रिपोर्ट किया जाने वाला ब्योरा जहाँ इक्विटी और ऋण में निवेश के कारण भारत में निवासी व्यक्ति के प्रति बकाया राशि के कुल मूल्य में कमी का मामला हो।
भाग जी	इक्विटी पूंजी की बिक्री या अंतरण/ इक्विटी पूंजी की पुनर्खरीद/ क्लोजर/ परिसमापन/ समापन/ विलय/ समामेलन के माध्यम से विदेशी संस्था में विनिवेश के समय रिपोर्ट किया जाने वाला ब्योरा

4. फॉर्म एपीआर (अनुबंध-II): इस फॉर्म में शेयर-होलिंग पैटर्न में बदलाव, विदेशी संस्था की वित्तीय स्थिति, विदेशी संस्था से प्रत्यावर्तन और उप अनुषंगियों का ब्योरा दिया जाता है।

5. फॉर्म ओपीआई (अनुबंध-III): सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों, म्यूचुअल फंड (एमएफ), वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ)/उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) और कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी) की रिपोर्टिंग के लिए अब तक उपयोग में लाए जा रहे पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग फॉर्म को इस फॉर्म में समाहित कर लिया गया है। इस फॉर्म के निम्नलिखित भाग हैं:-

भाग ए	भारतीय संस्था/ म्यूचुअल फंड का ब्योरा
भाग ए (ए)	ओआई नियमावली की अनुसूची II और अनुसूची IV के परंतुक (III) के अनुसार ओपीआई का ब्योरा
भाग ए (बी)	ओआई नियमावली की अनुसूची III के पैरा 1(2)(iii)(एच) तथा पैरा 3 के अनुसार ईएसओपी/ कर्मचारी लाभ योजना (ईबीएस), के माध्यम से निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए ओपीआई का ब्योरा (रिपोर्टिंग संबंधित कार्यालय/ शाखा/ अनुषंगी/ भारतीय संस्था द्वारा की जानी है)
भाग ए (सी)	ओआई नियमावली की अनुसूची-IV के पैरा 2 के अनुसार एमएफ द्वारा किए गए ओपीआई का ब्योरा

भाग बी	ओआई नियमावली की अनुसूची-IV के पैरा 2 के अनुसार एआईएफ/ वीसीएफ द्वारा किए गए ओपीआई का ब्योरा
भाग सी	भारतीय संस्था/ एमएफ/ एआईएफ/ वीसीएफ, जैसा भी मामला हो, से प्रमाण-पत्र

6. फॉर्म एफएलए: यह फॉर्म उन सभी भारतीय संस्थाओं, जिन्होंने चालू वर्ष सहित पिछले वर्ष(र्षों) में ओडीआई किया है, द्वारा भारतीय सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक को सीधे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। फॉर्म एफएलए आरबीआई की वेबसाइट अर्थात www.flair.rbi.org.in पर उपलब्ध है और यह अपेक्षित है कि हर साल 15 जुलाई तक इस फॉर्म में रिपोर्टिंग की जाए। एडी बैंकों को सूचित किया जाता कि वे भारतीय संस्था की ओर से कोई भी विप्रेषण करने से पहले विहित फॉर्म एफएलए प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. ऊपर दिए गए पैराग्राफों 3, 4 और 5 में उल्लिखित फॉर्म, इन निर्देशों में दिए गए फॉर्मेट में नामित एडी बैंक को प्रस्तुत किए जाएँ।

- i. भारत में निवासी व्यक्ति जो विदेशी संस्था में निवेश कर रहा हो, उसे जावक विप्रेषण या वित्तीय प्रतिबद्धता, जो भी पहले हो, करते समय फॉर्म एफसी प्रस्तुत (भाग ए, बी, सी, डी और ई) करना होगा।
- ii. विदेशी संस्था के तुलन-पत्र के किसी पुनर्गठन, जिसमें भारत में निवासी किसी ऐसे व्यक्ति जिसने विदेशी संस्था में इक्विटी या ऋण में निवेश के रूप में ओडीआई किया हो, के प्रति बकाया देय राशि के कुल मूल्य में कमी आयी हो, तो ऐसे व्यक्ति को इसकी सूचना फॉर्म एफसी के भाग एफ में ऐसे पुनर्गठन की तारीख से 30 दिनों के भीतर देनी होगी।
- iii. विदेशी संस्था में विनिवेश करने वाले भारत में निवासी व्यक्ति को विनिवेश आय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर फॉर्म एफसी के भाग जी में इस तरह के विनिवेश की रिपोर्ट करनी होगी।
- iv. फॉर्म ओपीआई निवासी व्यक्ति से भिन्न भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा उस छमाही (यानी, सितंबर या मार्च अंत जैसा भी मामला हो) के अंत से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है जिसमें ऐसा ओपीआई या बिक्री के माध्यम से अंतरण किया गया हो।

8. संशोधित फॉर्म और इन फॉर्मों को भरने के लिए दिए जा रहे ये निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। इन संशोधित फॉर्मों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट अर्थात www.rbi.org.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

9. उल्लेखनीय है कि ओआई विनियमावली के विनियम 11 (1) के अनुसार, यदि भारत में निवासी कोई व्यक्ति ओआई विनियमावली के विनियम 9 (1) के तहत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निवेश के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है या ओआई विनियमावली के विनियम 10 के तहत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कोई फाइलिंग नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति विलंब शुल्क (एलएसएफ) के साथ ऐसी प्रस्तुति या फाइलिंग उस अवधि के भीतर कर

सकता जो सूचित की जाएगी। **हालांकि, इस सुविधा का लाभ इस तरह की प्रस्तुति या फाइलिंग की नियत तारीख से अधिकतम 3 साल की अवधि के भीतर ही उठाया जा सकता है।**

10. ओआई विनियमावली के विनियम 11(2) के अनुसार, सरकारी राजपत्र में इस विनियमावली के प्रकाशन की तारीख से पूर्व, अधिनियम अथवा उसके तहत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार पारदेशीय निवेश से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने या किसी फाइलिंग के लिए उत्तरदायी भारत में निवासी व्यक्ति, जिसने ऐसी प्रस्तुति या फाइलिंग उन विनियमावली में विनिर्दिष्ट अवधि में नहीं की है या नहीं करता है, वह ऐसी अवधि, जो सूचित की जा सकती है, के भीतर और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्देशित दरों पर और निर्दिष्ट तरीके से विलंब शुल्क के साथ ऐसी प्रस्तुति या फाइलिंग अथवा विलंब शुल्क का भुगतान जब ऐसी प्रस्तुति या फाइलिंग की जा चुकी हो, जैसा भी मामला हो, उस अवधि के भीतर कर सकता है जो सूचित की जाए। **हालांकि, आधिकारिक राजपत्र में ओआई विनियमावली के प्रकाशन की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के भीतर ही इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।** एलएसएफ के भुगतान की दरों और तरीके का उल्लेख ओआई निदेशों के पैराग्राफ 18 में किया गया है।

11. भारत में निवासी व्यक्ति, जिसने फेमा, 1999 या उसके तहत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार विनिर्दिष्ट पारदेशीय निवेश से संबंधित कोई फाइलिंग, इस विनियमावली के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पहले नहीं की है, वह संशोधित फॉर्मों का उपयोग करके ऐसी रिपोर्ट फाइल करेगा। ऐसी फाइलिंग के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित संबंधित लागू विनियमों का संदर्भ लिया जाए।

12. एडी बैंक प्राप्त फॉर्मों को यूआईएन-वार संरक्षित रखें ताकि यदि कभी आवश्यकता पड़े तो उन्हें रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जा सके।

13. इन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एडी बैंक उचित प्रक्रियाएं लागू करें और बैंक/शाखा में कार्यरत सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करें। इसके अलावा, जैसा कि ओआई विनियमावली के विनियमन 12 के तहत परिकल्पित है, एडी बैंक यह सुनिश्चित करें कि भारत में निवासी व्यक्ति जिसने फेमा प्रावधानों के अनुसार विदेशी संस्था में वित्तीय प्रतिबद्धता की है, वह तब तक विदेशी संस्था के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधि या गैर-निधि आधारित वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं करेगा या ऐसे निवेश का अंतरण नहीं करेगा, जब तक रिपोर्टिंग में हुए किसी भी विलंब को नियमित नहीं कर लिया जाता। यदि ओआई विनियमावली में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर रिपोर्टिंग से जुड़ी अपेक्षाओं का अनुपालन एलएसएफ के साथ या उसके बिना नहीं कर लिया जाता, तो इसे फेमा, 1999 की धारा 13 के तहत उल्लंघन माना जाएगा।

14. रिज़र्व बैंक इन फॉर्मों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में रखने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

फॉर्म एफसी: भाग ए भारतीय संस्था (आईई)/ निवासी व्यक्ति (आरआई)/ न्यास/ सोसाइटी का ब्योरा (इस फॉर्म के भाग ए और बी के साथ केवल यथालागू प्रासंगिक भाग(गों) को ही इस्तेमाल में लाएँ)				
I	नामित एडी बैंक और शाखा का नाम, कोड			
II	निवेश किसके अंतर्गत (कृपया टिक करें)	स्वचालित मार्ग		अनुमोदन मार्ग
III	आईई/ आरआई/ न्यास/ सोसाइटी का ब्योरा			
i.	आईई/ आरआई/ न्यास/ सोसाइटी का नाम			
ii.	पैन संख्या			
iii	विधिक संस्था पहचान संख्या (एलईआई)			
iv	आईई की समूह कंपनी (जहाँ गारंटी समूह कंपनी द्वारा दी गयी हो)			
v	आईई का गतिविधि कोड		(1987 NIC code at 3-digit level) (2008 NIC code at 5-digit level)	
vi	आईई/ आरआई/ न्यास/ सोसाइटी का पता			
vii	शहर			
viii	राज्य			
ix	पिन कोड			
x	आईई के अंतिम तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय रुपये में उसकी निवल मालियत (यदि गारंटी की रिपोर्टिंग समूह कंपनी द्वारा की गयी हो तो, ऐसी समूह कंपनी की निवल मालियत रिपोर्ट की जाएगी) नोट: समूह कंपनी द्वारा दी गयी गारंटी के मामले में कृपया ओआई विनियमावली के विनियम 5(2) का संदर्भ लिया जाए।			
xi	वर्तमान लेनदेन की तारीख तक और अब की जा रही एफसी सहित, आईई/ आरआई/ समूह कंपनी/ ट्रस्ट/ सोसाइटी द्वारा सभी विदेशी संस्थाओं में की गयी वित्तीय प्रतिबद्धताओं (एफसी) का योग नोट: मौजूदा वित्तीय प्रतिबद्धता के समतुल्य भारतीय रुपये की गणना करने के लिए वर्तमान लेनदेन की तारीख या रिपोर्टिंग की तारीख, जो भी पहले हो, को मौजूदा विनियम दरों का प्रयोग किया जाए।		विदेशी मुद्रा में (एफसीवाई)	भारतीय रुपये में
xii	संपर्क व्यक्ति			
xiii	संपर्क व्यक्ति का पदनाम			
xiv	दूरभाष संख्या			
xv	मोबाइल नंबर			

xvi	ई-मेल आईडी			
IV	आईई/ आरआई/ न्यास/ सोसाइटी की प्रस्थिति (कृपया उचित श्रेणी में टिक करें)			
i.	सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी		vi.	सोसाइटी
ii.	निजी क्षेत्र की कंपनी		vii.	एलएलपी
iii.	व्यष्टि		viii.	अन्य (कृपया उल्लेख करें)
iv.	पंजीकृत साझेदारी			
v.	न्यास			
V	क्या वित्तीय प्रतिबद्धता या विनिवेश करने वाली आईई/ आरआई/ समूह कंपनी/ न्यास/ सोसाइटी के विरुद्ध कोई जाँच चल रही है या वह इरादतन चूककर्ता है/ उसका खाता एनपीए है (कृपया ओआई नियमावली का नियम 10 देखें)। यदि हाँ, तो उस विनियामक/ जाँच एजेंसी/ उधारदाता बैंक का नाम और जाँच की अवधि का उल्लेख करें।	तारीख से	तारीख तक (यदि लागू हो)	विनियामक/ जाँच एजेंसी/ उधारदाता का नाम
VI	आईई/ आरआई/ समूह कंपनी/ न्यास/ सोसाइटी की मौजूदा विदेशी संस्थाओं का ब्योरा जो पहले से ही परिचालन कर रही हैं या उनका क्रियान्वयन चल रहा है (यदि आवश्यक हो तो अलग से शीट संलग्न करें)।			
	विदेशी संस्था का नाम	रिज़र्व बैंक द्वारा आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन)	नामित एडी बैंक का नाम	
i.				

फॉर्म एफसी: भाग - बी विदेशी संस्था/ उप-अनुषंगी (एसडीएस) का ब्योरा										
रिज़र्व बैंक द्वारा आवंटित 13 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या का उल्लेख करें (यदि लागू हो)										
VII विदेशी संस्था का ब्योरा										
i.	नाम									
ii.	पता									
iii.	देश/ क्षेत्राधिकार का नाम									
iv.	क्या विदेशी संस्था एक स्टार्ट-अप है या इसकी प्रमुख गतिविधि रणनीतिक क्षेत्र से संबद्ध है या यह वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है	स्टार्ट-अप	रणनीतिक क्षेत्र	वित्तीय सेवाएँ	अन्य					
v.	विदेशी संस्था के निगमन की तारीख									
vi.	विदेशी संस्था की विधिक संस्था पहचान संख्या (एलईआई)									
vii.	विदेशी संस्था की ईमेल आईडी									
viii.	विदेशी संस्था का वित्तीय वर्ष									
ix.	विदेशी संस्था का गतिविधि कोड	(1987 NIC code at 3-digit level) (2008 NIC code at 5-digit level)								
x.	उपर्युक्त विदेशी संस्था के संबंध में की जा रही वित्तीय प्रतिबद्धता (आईएनआर और एफसीवाई में)	इकित्ती पूँजी	ऋण	गैर निधि आधारित प्रतिबद्धता						

xi	आईई/ आरआई/ समूह कंपनी/ ट्रस्ट/ सोसाइटी स्वरा इस यूआईएन के संदर्भ में वर्तमान लेनदेन की तारीख तक की गयी और अब की जा रही एफसी, वित्तीय प्रतिबद्धताओं (एफसी) का योग नोट: मौजूदा वित्तीय प्रतिबद्धता के समतुल्य भारतीय रुपये की गणना करने के लिए वर्तमान लेनदेन की तारीख या रिपोर्टिंग की तारीख, जो भी पहले हो, को मौजूदा विनिमय दरों का प्रयोग किया जाए।	एफसीवाई में		आईएनआर में	
VIII विदेशी संस्था में प्रस्तावित/ अद्यतन शेयर-धारिता का स्वरूप					
i.	भारत में निवासी व्यक्ति	% शेयर	ii.	विदेशी भागीदार	% शेयर
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		
IX क्या विदेशी संस्था में भारत में निवासी व्यक्ति का नियंत्रण है (ओआई नियमावली में 'नियंत्रण' की परिभाषा देखें)				हाँ / नहीं	
X जिस एसडीएस के संबंध में एफसी की जा रही है, यदि लागू हो, उसका ब्योरा दिया जाए (यदि आवश्यक हो तो अलग से शीट लगायी जाए)					
i.	एसडीएस का नाम, स्तर और देश/क्षेत्राधिकार				
ii.	पैरेंट एसडीएस/ विदेशी संस्था का नाम, स्तर और देश/क्षेत्राधिकार				
iii.	निवेश की राशि और निवेश की तारीख, यदि कोई हो				
iv	एसडीएस की विधिक संस्था पहचान संख्या (एलईआई)				
v	एसडीएस का प्रकार (एसपीवी/ होल्लिंग कंपनी/ ऑपरेटिंग/ ऑपरेटिंग कम होल्लिंग)				
vi	1987 और 2008 के एनआईसी कोड के अनुसार एसडीएस का गतिविधि कोड				
vii	उक्त एसडीएस में पैरेंट द्वारा धारित % शेयर				

फॉर्म एफसी: भाग-सी						
भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा लेनदेन/ विप्रेषण/ वित्तीय प्रतिबद्धता (एफसी) का ब्योरा						
रिज़र्व बैंक द्वारा आवंटित 13 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या का उल्लेख करें (यदि लागू हो)						
क्रम सं.	निवेश का तरीका अथवा स्रोत	निवेश की श्रेणी			अन्य ब्योरा	
					दिनांक	राशि
1	बैंकिंग माध्यम	इकिटी पूँजी	ऋण	लागू की गयी गारंटी		
2	ईसीबी	इकिटी पूँजी	ऋण	लागू की गयी गारंटी		
3	एडीआर	इकिटी पूँजी	ऋण	लागू की गयी गारंटी		

4	जीडीआर	इकिटी पूँजी	ऋण	लागू की गयी गारंटी			
5	प्रतिभूतियों की अदला-बदली	इकिटी पूँजी					
6	पूँजीकरण- निर्यात	इकिटी पूँजी					
7	पूँजीकरण- अन्य@ (उल्लेख करें)	इकिटी पूँजी					
8	अन्य- निधि आधारित (कृपया उल्लेख करें) (जैसे, अधिकार का उपयोग करते हुए अर्जन)	इकिटी पूँजी	ऋण				
9	जारी की गयी कॉरपोरेट और वैयक्तिक गारंटी	भारतीय संस्था (आईई) द्वारा कॉरपोरेट गारंटी	वैयक्तिक गारंटी	तृतीय पक्ष द्वारा कॉरपोरेट गारंटी	निर्गम की तारीख	वैधता की तारीख	
10	जारी की गयी कार्यनिष्पादन गारंटी				निर्गम की तारीख	वैधता की तारीख	
11	जारी की गयी बैंक गारंटी	जारी की गयी बैंक गारंटी (बैंक का नाम लिखें)			निर्गम की तारीख	वैधता की तारीख	
12	गारंटी में विस्तारण/ परिवर्तन \$	(उल्लेख करें)			विस्तारण की तारीख	वैधता की तारीख	
13	गिरवी/प्रभार सृजन- विदेशी आस्तियाँ	विदेशी संस्था/ एसडीएस के शेयर	विदेशी संस्था/ एसडीएस की चल और अचल सम्पत्तियाँ	अन्य वित्तीय आस्तियाँ	गिरवी रखने की तारीख	वैधता की तारीख	(एफसी के रूप में गणनीय राशि)

14	प्रभार का सृजन – घरेलू आस्तियाँ (पारदेशीय उधारदाता का नाम)	आईई/ अथवा उसकी समूह कंपनियों के शेयर	आईई/ अथवा उसकी समूह कंपनियों की चल और अचल सम्पत्तियाँ	आईई/ अथवा उसकी समूह कंपनियों की अन्य वित्तीय आस्तियाँ	सृजन की तारीख	वैधता की तारीख	(एफसी के रूप में गणनीय राशि)
15	ऋण का इक्विटी में रूपांतरण\$\$	(उल्लेख करें)			रूपांतरण की तारीख		राशि
16	वित्तीय संस्था/एसडीएस के विलय के परिणामस्वरूप उत्पन्न एफसी (कृपया प्रत्येक श्रेणी में राशि का उल्लेख करें)	इक्विटी पूँजी	ऋण	गारंटी	विलय की तारीख		
17	भारतीय संस्थाओं/ समूह कंपनियों द्वारा/के विक्रय/ अंतरण/ विलय के परिणामस्वरूप उत्पन्न एफसी (कृपया प्रत्येक श्रेणी में राशि का उल्लेख करें)	इक्विटी पूँजी	ऋण	गारंटी	लेनदेन की तारीख		
18	अन्य (उल्लेख करें) (जैसे, आईई/ निवासी व्यक्ति (आरआई) (जैसा भी मामला हो) द्वारा आस्थगित भुगतान*,/ उपहार/ विरासत	कृपया एफसी के लेनदेन की तारीख, श्रेणी और राशि का उल्लेख किया जाए.					

टिप्पणी :

* ओआई विनियमों के विनियमन 7 के अनुपालन में आस्थगित भुगतान आधार पर इक्विटी पूँजी के अधिग्रहण के समय गैर-निधि-आधारित प्रतिबद्धता के रूप में रिपोर्ट किया जाना है। इसके अलावा, प्रेषण के समय गैर-निधि-आधारित प्रतिबद्धता को इक्विटी पूँजी में परिवर्तित के रूप में सूचित किया जाएगा।

@ पूँजीकृत की जा रही देय राशियों को निर्दिष्ट करें - निगमन व्यय या अन्य देय जैसे- रॉयल्टी, तकनीकी ज्ञान शुल्क, परामर्श शुल्क आदि।

\$ गारंटी में रोलओवर/परिवर्तन के मामले में कृपया इस स्थान पर अग्रलिखित विवरण भरें क) गारंटी के परिवर्तन/ रोलओवर

की तिथि; ख) नई गारंटी की वैधता तिथि; ग) नई गारंटी की राशि; घ) जब मूल गारंटी ऑनलाइन रिपोर्ट की गयी हो तो रिज़र्व बैंक द्वारा आवंटित 15 अंकों की लेनदेन संख्या।

\$\$ जब ऋण का इक्विटी में रूपांतरण किया गया हो तब, कृपया अग्रलिखित ब्योरा दें क) रूपांतरण की तारीख ख) इक्विटी में रूपांतरित राशि ग) रिज़र्व बैंक द्वारा आवंटित 15 अंकों की लेनदेन संख्या, जब ऋण के संबंध में मूल विप्रेषण की रिपोर्टिंग ऑनलाइन की गयी हो।

एडी बैंक की शाखा द्वारा भरा जाए (जो लागू न हो, उसे काट दिया जाए)

हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि _____ (इक्विटी/ऋण/गारंटी/गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धता) के उद्देश्य से किया गया -----
----- (राशि एफसीवाय एवं आईएनआर में दी जाये) विप्रेषण/ लेनदेन, फेमा, 1999, ओआई नियमावली, ओआई विनियमावली और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार है। **हम फेमा, 1999 की धारा 10 की उप-धारा 5 में निहित प्रावधानों के अनुसार इस लेनदेन की सदाशयता के प्रति संतुष्ट हैं।**

एडी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर				स्टाम्प/मुहर
एडी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम				
स्थान		दिनांक		
टेलीफोन नं.		ई-मेल		

फॉर्म एफसी: भाग-डी
भारतीय संस्था(आईई)/ निवासी व्यक्ति (आरआई) द्वारा घोषणा
 (जो लागू न हो, उसे काट दें)

(ए) मेरा / हमारा एक ऐसा खाता है जो गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए)/इरादतन चूककर्ता के रूप में है, अथवा मेरे/हमारे विरुद्ध वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा जांच चल रही है, अथवा भारत में स्थित जाँच एजेंसियों यथा- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या प्रवर्तन निदेशालय या गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय- द्वारा जाँच चल रही है।

तदनुसार,

- i. ओआई नियमावली के नियम 10 के तहत निर्धारित एनओसी प्राप्त कर ली गयी है और संलग्न की गयी है, या
- ii. संबंधित ऋणदाता बैंक/विनियामक निकाय/जाँच एजेंसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर आपत्ति(यां) प्रस्तुत करने में विफल रही।

(बी) जहां कहीं भी लागू हो, इस यूआईएन के अंतर्गत इस विदेशी संस्था के संबंध में विनियम 9 में यथाअपेक्षित शेयर प्रमाणपत्र/ अन्य साक्ष्य तथा ओआई विनियमावली के विनियम-10 के अनुसार अन्य रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ, जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गयी हों, प्रस्तुत/ पूरी की गयी हैं।

(सी) ऋण के माध्यम से वित्तीय प्रतिबद्धता करते समय ओआई नियमावली और ओआई विनियमावली, अथवा यदि लेनदेन पूर्ववर्ती पारदेशीय निवेश फ्रेमवर्क**, के अंतर्गत किया गया है तो तत्संबंधी मौजूदा विनियमों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित, का अनुपालन किया गया है।

(डी) जहां भी लागू हो, ओआई नियमावली, ओआई विनियमावली अथवा यदि लेनदेन पूर्ववर्ती पारदेशीय निवेश फ्रेमवर्क**, के अंतर्गत किया गया है तो तत्संबंधी मौजूदा विनियमों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित, का अनुपालन किया गया है।

(ई) प्रमाणित किया जाता है कि ओआई विनियमावली के विनियम 12 में यथा-अपेक्षित, रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार की देरी नियमितीकरण के लिए लंबित नहीं है।

(एफ) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से उपहार के रूप में अर्जित विदेशी प्रतिभूतियां विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों तथा ओआई नियमावली की अनुसूची III के पैरा 2 में निहित प्रावधानों के अनुसार हैं।

(जी) यह विप्रेषण/लेनदेन राशि तथा इस वित्तीय वर्ष के दौरान उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत सभी चालू और पूंजीगत खाता लेनदेनों से संबंधित पहले के विप्रेषणों/लेनदेनों की राशि का योग इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सीमा के भीतर है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रमाणपत्र की तारीख तक मेरे द्वारा किए गए विप्रेषणों/ लेनदेनों की कुल राशि ____ (एफसीवाई) है जिसकी आईएनआर में समतुल्य राशि..... है।

मैं / हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है। मैं/हम यह विधिवत स्वीकार भी करते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई कोई सूचना झूठी और/या गलत पाई जाती है, तो यह माना जाएगा कि फेमा, 1999 के तहत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है।

आईई/आरआई के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर		स्टैम्प / मुहर	
आईई/आरआई के प्राधिकृत अधिकारी का नाम/ पदनाम			
स्थान	दिनांक		
टेलीफोन सं.	ई-मेल		
संलग्नकों की सूची			

नोट: अधिसूचना नं. फेमा.19/आरबी-2000 दिनांक 3 मई 2000 और अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004 दिनांक 7 जुलाई, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित**

फॉर्म एफ़सी : भाग - ई

**भारतीय संस्था (आईई)/ समूह कंपनी, यथालागू के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र
(जो लागू न हो उसे काट दें)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि रिपोर्ट के तहत निवेश के संबंध में ओआई नियमावली और ओआई विनियमावली में निहित नियमों और शर्तों का अनुपालन भारतीय संस्था/समूह कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि लागू है, _____ (भारतीय संस्था / समूह कंपनी का नाम)। विशेष रूप से, यह प्रमाणित किया जाता है कि (जो लागू न हो उसे काट दें):

- i. किए गये निवेश में विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 के नियम-19 अथवा जहां लेनदेन पूर्ववर्ती पारदेशीय निवेश ढांचे के तहत किया गया है **, वहाँ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित संबंधित मौजूदा विनियमों में निहित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है।
- ii. जहां आवश्यक है, वहाँ विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 के नियम-10 के अनुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।
- iii. पिछली वित्तीय प्रतिबद्धता को जोड़ते हुए निवेश हेतु विप्रेषण/लेनदेन राशि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के भीतर है। भारतीय संस्था _____ (भारतीय संस्था का नाम) की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता _____ (विदेशी मुद्रा में) है, जो भारतीय रुपये (आईएनआर) में रुपये _____ के समतुल्य[^] है, जो कि उक्त संस्था के निवल मूल्य जो आईएनआर _____/- है का _____% है, जो संस्था के पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख अर्थात (तारीख _____) को था।
- iv. भारतीय संस्था द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध नियमावली (पारदेशीय निवेश), 2022 अथवा जहां लेनदेन पूर्ववर्ती पारदेशीय निवेश ढांचे के तहत किया गया है**, वहाँ संबंधित विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन मानदंडों का अनुपालन किया है। उक्त निवेश _____ (शेयरों की संख्या/ हिस्सेदारी का प्रतिशत) है, का मूल्यांकन _____ (विदेशी मुद्रा में) के बराबर आता है।@
- v. भारतीय संस्था ने वित्तीय सेवा क्रियाकलापों में ओडीआई के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 की अनुसूची-1 के पैरा-2 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है, अथवा जहां लेनदेन पूर्ववर्ती पारदेशीय निवेश ढांचे** के तहत किया गया है, वहाँ संबंधित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों, जहां भी लागू हो, का अनुपालन किया है।,
- vi. हमने अभिलेखों का सत्यापन कर लिया है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि विदेशी मुद्रा प्रबंध नियमावली (पारदेशीय निवेश), 2022 के विनियम-12 के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग संबंधी किसी प्रकार का विलंब नियमितीकरण हेतु लंबित नहीं है।
- vii. भारतीय संस्था की समूह कंपनी (होलडिंग/अनुषंगी/प्रवर्तक समूह कंपनी के रूप में) द्वारा दी गई गारंटी(यों) की राशि, उक्त समूह कंपनी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 और विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 में दिये गए प्रावधानों के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध नियमा (पारदेशीय निवेश) वली, 2022 में निर्धारित सीमा के भीतर है। उक्त भारतीय संस्था _____ (भारतीय संस्था का नाम) की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता _____ (विदेशी मुद्रा में) है, जो भारतीय रुपयों (आईएनआर) में _____ रुपये होती है, जोकि कंपनी के निवल मूल्य आईएनआर _____ के _____ प्रतिशत तक है, जो संस्था के पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख अर्थात (तारीख _____) के अनुसार थी।

टिप्पणी : @मूल्यांकन प्रपत्र संलग्न है।

* समूह कंपनी द्वारा दी गई गारंटी के मामले में कृपया ओआई विनियमावली के विनियम 5(2) का संदर्भ लें।

[^] भारतीय रुपये (आईएनआर) की विनियम दर वित्तीय प्रतिबद्धता की तारीख को या इस प्रमाणपत्र की तिथि, जो भी पहले हो, ली जाए

** दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/आरबी-2000 तथा दिनांक 07 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004, समय-समय पर यथासंशोधित

भारतीय संस्था के सांविधिक लेखापरीक्षकों के हस्ताक्षर		स्टैम्प/ मुहर			
लेखापरीक्षा करने वाली फर्म का नाम, पंजीकरण संख्या और यूडीआईएन					
स्थान				दिनांक	
टेलीफोन नंबर				ई-मेल	

फॉर्म एफ़सी : भाग – एफ़												
भारत में निवासी व्यक्ति के प्रति इक्विटी और ऋण आस्तियों में निवेश के कारण बकाया देय राशि के समग्र मूल्य में हुए हास को शामिल करने हेतु की गई विदेशी संस्था की बैलेंस शीट के पुनर्गठन संबंधी रिपोर्टिंग												
टिप्पणी: सभी राशियाँ एक ही विदेशी मुद्रा में और वास्तविक होनी चाहिए												
रिज़र्व बैंक द्वारा आवंटित 13 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या												
नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक का नाम, एडी कोड और शाखा के ब्योरे												
क्र. सं.	विवरण											
I	पैन संख्या एवं भारतीय संस्था का नाम											
II	विदेशी संस्था का नाम											
III	विदेशी संस्था में भारतीय संस्था द्वारा धारित हिस्सेदारी का प्रतिशत (%)											
IV	इस यूआईएन में भारतीय संस्था द्वारा अब तक की गई वित्तीय प्रतिबद्धता की कुल राशि											
	ए) इक्विटी											
	बी) ऋण											
	सी) गारंटी / गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धता से भिन्न											
V	कुल संचित हानि (नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर)											
VI	भारतीय संस्था के हिस्से के आधार पर संचित हानियों की आनुपातिक राशि											
VII	पुनर्गठन की तारीख											
VIII	पुनर्गठन की तारीख को भारतीय संस्था के प्रति कुल बकाया देय राशि											
IX	बकाया राशि के समग्र मूल्य में आए हास की राशि											
	ए) इक्विटी											
	बी) ऋण											
	सी) प्राप्तियाँ											
	(i) ब्याज											
	(ii) डिविडेंड											
	(iii) अन्य (कृपया उल्लेख करें)											
X	मूल्यांकन प्रमाणपत्र की तारीख											
XI	पुनर्गठन के बाद वित्तीय प्रतिबद्धता की कुल राशि											
	ए) इक्विटी											
	बी) ऋण											
	सी) गारंटी / गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धता से भिन्न											
XII	पुनर्गठन के पश्चात भारतीय संस्था द्वारा धारित हिस्सेदारी का प्रतिशत (%)											

भारतीय संस्था द्वारा घोषणा

(जो लागू न हो, उसे काट दें)

ए) विदेशी संस्था पिछले 2 वर्षों से घाटे में चल रही है।

बी) मूल निवेश की राशि 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है।

अथवा

मूल निवेश की राशि 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और मूल्य में हुए हास को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अनुसार पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा या संबंधित नियामक प्राधिकरण में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा अथवा मेजबान क्षेत्राधिकार में प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार द्वारा स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है और यह प्रमाणपत्र पुनर्गठन की तारीख से छह महीने से अधिक पुराना नहीं है।

अथवा

सी) बकाया देयताओं के मूल्य में हुए हास की राशि भारतीय संस्था के प्रति कुल बकाया देय राशि के मूल्य के बीस प्रतिशत से कम है।

अथवा

बकाया देयताओं के मूल्य में हुए हास की राशि भारतीय संस्था के प्रति कुल बकाया देय राशि के मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक है और मूल्य में हुए हास को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अनुसार पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा या संबंधित नियामक प्राधिकरण में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा अथवा मेजबान क्षेत्राधिकार में प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार द्वारा स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है और यह प्रमाणपत्र पुनर्गठन की तारीख से छह महीने से अधिक पुराना नहीं है।

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सटीक है। मैं/हम विधिवत रूप से स्वीकार करते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य और/या गलत पाई जाती है, तो यह माना जाएगा कि फेमा, 1999 के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है।

स्थान		स्थान	
तिथि		तिथि	
(आईई/आरआई के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)		(एडी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)	
नाम		नाम	
पदनाम		पदनाम	
दूरभाष सं.		दूरभाष सं.	
ई-मेल		ई-मेल	

नोट: प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत किया गया प्रमाणपत्र विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 के पैरा 14 के अनुसार है।

फॉर्म एफ़सी - भाग जी

इक्विटी पूंजी की बिक्री या अंतरण/इक्विटी पूंजी की पुनर्खरीद / क्लोजर/स्वैच्छिक परिसमापन/समापन/विलय/समामेलन के माध्यम से विदेशी संस्था में किए गए विनिवेश की रिपोर्टिंग

नोट: सभी राशियाँ एक ही विदेशी मुद्रा में और वास्तविक होनी चाहिए।

रिजर्व बैंक द्वारा आवंटित 13 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन)

नामित एडी बैंक का नाम, एडी कोड और शाखा												
क्र. सं.	लेनदेन का ब्योरा											
I	पिछली एपीआर जमा करने की तारीख और वह अवधि जिससे वह एपीआर संबंधित है											
II	विनिवेश मार्ग (टिक का निशान लगाएँ)		अनुमोदन मार्ग			स्वचालित मार्ग						
III	विनिवेश का प्रकार (टिक का निशान लगाएँ)		पूर्ण विनिवेश			आंशिक विनिवेश						
IV	विनिवेश की तारीख											
V	विनिवेश करने वाले भारत में निवासी व्यक्ति का नाम और पैन संख्या											
VI	विनिवेश के समय धारित हिस्सेदारी का प्रतिशत (%)				आंशिक विनिवेश के मामले में विनिवेश की गई हिस्सेदारी का प्रतिशत (%)							
VII	विनिवेश का तरीका					प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ फॉर्म एफ़सी भाग-जी के अनुलग्नक के रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाए। (कृपया जो भी तरीका लागू न हो उसे काट दें)						
i.	भारत में निवासी किसी अन्य व्यक्ति/ विदेशी भागीदार/ व्यक्ति को इक्विटी पूंजी की बिक्री या अंतरण या भारतीय संस्था का विलय/ परिसमापन					हिस्सेदारी खरीदने वाली संस्था का विवरण प्रस्तुत करें और क्या हिस्सेदारी खरीदने वाली संस्था विदेशी संस्था में मौजूदा विदेशी भागीदार/ भारतीय भागीदार है या पहली बार संबंधित विदेशी संस्था में हिस्सेदारी खरीदने वाला विदेशी पक्ष/ भारत में निवासी व्यक्ति है।						
ii.	विदेशी संस्था का क्लोजर / स्वैच्छिक परिसमापन					कृपया प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें।						

iii.	विदेशी संस्था द्वारा पुनर्खरीद	कृपया प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें।		
iv.	भारत में निवासी एक ही व्यक्ति की दो या दो से अधिक विदेशी संस्थाओं का विलय	विलय की जाने वाली विदेशी संस्था और उत्तरजीवी विदेशी संस्था का ब्योरा जैसे: विदेशी संस्था का नाम, यूआईएन और दोनों विदेशी संस्थाओं से संबंधित भारत में निवासी व्यक्ति का नाम लिखें। उन विदेशी संस्थाओं की अनुषंगियों का विवरण भी प्रस्तुत करें जिनका विलय होगा।		
v.	भारत में निवासी या अन्यथा किसी एक ही व्यक्ति की अनुषंगियों में किसी विदेशी संस्था का विलय	विलय करने वाली विदेशी संस्था का यूआईएन, एसडीएस में अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी रखने वाले भारत में निवासी व्यक्ति का नाम, एसडीएस का नाम, एसडीएस का स्तर, एसडीएस का देश/ क्षेत्राधिकार तथा एसडीएस की निकटवर्ती पैतृक संस्था का ब्योरा		
vi.	विदेशी संस्था का किसी स्वतंत्र विदेशी कंपनी के साथ विलय जिसका भारतीय संस्था/निवासी व्यष्टि/ट्रस्ट/सोसाइटी से कोई संबंध नहीं है	विदेशी कंपनी का ब्योरा जैसे नाम और पता लिखें		
VIII	विदेशी संस्था के संबंध में वित्तीय प्रतिबद्धता (संचयी राशि) का सारांश			
	इक्विटी	ऋण	जारी की गई गारंटियां/अन्य गैर-निधि आधारित वित्तीय प्रतिबद्धताएं	इनवोक की गयी गारंटियां/अन्य निधि आधारित वित्तीय प्रतिबद्धताएं
IX	विप्रेषण/लेनदेन का तारीख के अनुसार ब्योरा (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)			
	विप्रेषण/ लेनदेन की तिथि	निवेश का तरीका	निवेश की श्रेणी	राशि
X	मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुल विनिवेश का उचित मूल्य और मूल्यांकन रिपोर्ट की तिथि, जहां भी लागू हो			
XI	किए गए निवेश को क्या बढ़े खाते (अर्थात मूल राशि (आंशिक विनिवेश के मामले में आनुपातिक राशि) और विनिवेश के परिणामस्वरूप प्राप्त प्रतिफल राशि के बीच का अंतर, जहां बाद वाली राशि पहले से कम है) डाला गया है ? यदि हाँ, तो कृपया बढ़े खाते डाली गई राशि बताएं			

	इकिटी	ऋण	अन्य (कृपया ब्योरा दें)
XII	संप्रत्यावर्तित की गई विनिवेश की राशि (यदि आवश्यक हो, तो कृपया अलग शीट संलग्न करें)		
	इकिटी	ऋण	अन्य (कृपया ब्योरा दें)
XIII	विनिवेश से अर्जित आय को छोड़कर पिछले एपीआर की रिपोर्टिंग के बाद से संप्रत्यावर्तित की गई राशि		
	इकिटी	ऋण	अन्य (कृपया ब्योरा दें)
घोषणा			
(ए) अंतरण स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर गिनी गई कीमत के अधीन है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों/ मूल्यांकन की प्रतियां प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत कर दी गई हैं।			
(बी) यदि अंतरण विलय, समामेलन या डीमर्जर या विदेशी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के कारण हुआ है, तो इस तरह के अंतरण, या परिसमापन (विदेशी संस्था के परिसमापन के मामले में), को भारत और/या मेजबान देश/क्षेत्राधिकार में, जैसा भी मामला हो, लागू कानूनों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।			
(सी) परिसमापन के अलावा पूर्ण विनिवेश के मामले में, अंतरणकर्ता को प्राप्य कोई राशि बकाया नहीं है, जिसे उस विदेशी संस्था से इकिटी पूंजी और ऋण के निवेशक के रूप में प्राप्त करने का वह हकदार है।			
(डी) अंतरणकर्ता ओडीआई करने की तारीख से कम से कम एक वर्ष के लिए निवेशित रहा हो।			
(ई) सभी विप्रेषण/लेन-देन की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को दी गई है और वह रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए विप्रेषण/लेन-देन संबंधी विवरण के साथ मेल खाती है।			
(एफ) विदेशी संस्था और उसकी अनुषंगियों की ओर से जारी सभी गारंटियां या तो किसी अन्य संस्था को दे दी गई हैं या ऐसी गारंटियां समाप्त हो गई हैं।			
(जी) कोई अनुषंगी यदि किसी विदेशी संस्था में विनिवेश के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी संस्था बन गई हो, तो यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसी सभी अनुषंगियों के संबंध में यूआईएन के आवंटन हेतु फॉर्म एफसी के संबंधित खंडों में ब्योरा देते हुए इसे एडी बैंक के मार्फत रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।			
(एच) मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सटीक है। मैं/हम विधिवत रूप से स्वीकार करते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य और/अथवा गलत पाई जाती है, तो यह माना जाएगा कि फेमा, 1999 के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है।			
स्थान		स्थान	
तिथि		तिथि	
(आईई/आरआई के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)		(एडी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)	
नाम		नाम	
पदनाम		पदनाम	
दूरभाष सं.		दूरभाष सं.	
ई-मेल		ई-मेल	

फॉर्म एफसी भरने संबंधी अनुदेश

- 1) भारत में निवासी व्यक्ति, जो किसी विदेशी संस्था में निवेश करने की इच्छा रखता है, चाहे वह स्वचालित मार्ग से हो या अनुमोदन मार्ग के तहत हो, उसे फॉर्म एफसी भरना होगा और अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक में जमा करना होगा।
- 2) अनुमोदन मार्ग के तहत, फॉर्म एफसी को एडी बैंक द्वारा जांच के पश्चात विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) निदेश, 2022 के पैरा-3 में दिए गए निर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए।
- 3) किसी विदेशी संस्था में वित्तीय प्रतिबद्धता करते समय, जावक विप्रेषण भेजते समय या वित्तीय प्रतिबद्धता करते समय, जो भी पहले हो, फॉर्म एफसी जमा किया जाए।
- 4) ओआई विनियमावली के विनियम 7 के अनुसार आस्थगित भुगतान के आधार पर इक्विटी पूंजी के अर्जन के मामले में, प्रतिफल राशि का वह हिस्सा, जिसका भुगतान भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा आस्थगित किया गया है, उसे गैर-निधि-आधारित प्रतिबद्धता के रूप में गिना जाए और तदनुसार रिपोर्ट किया जाए। आस्थगित प्रतिफल राशि के भुगतान के लिए अनुवर्ती विप्रेषण को गैर-निधि-आधारित प्रतिबद्धता के इक्विटी पूंजी में परिवर्तन के रूप में मानते हुए फॉर्म एफसी में रिपोर्ट किया जाए। इस तरह के अनुवर्ती विप्रेषण को निवेश सीमा के प्रयोजन के लिए नई वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं माना जाएगा। इस प्रकार, आस्थगित भुगतान के मामले में दो प्रस्तुतीकरण होंगे और किसी भी प्रस्तुतीकरण में विलंब होने के मामले में, विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ़) की सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।
- 5) गैर-निधि आधारित वित्तीय प्रतिबद्धता के मामले में, ऐसी वित्तीय प्रतिबद्धता करने से पूर्व फॉर्म एफसी जमा किया जा सकता है। ऐसी वित्तीय प्रतिबद्धता के लिए जमा किए गए फॉर्म एफसी में वित्तीय प्रतिबद्धता या वैधता तिथि, जैसा भी मामला हो, की तारीख में कोई भी परिवर्तन हो तो उसे इस तरह की वित्तीय प्रतिबद्धता करने की तारीख से अगले कार्य दिवस तक एडी बैंक को सूचित किया जाए।
- 6) गारंटी के मामले में किसी प्रकार के रोल-ओवर को फॉर्म एफसी में रिपोर्ट किया जाए।
- 7) फॉर्म एफसी के भाग 'ए' और 'बी' के साथ उक्त फॉर्म के संबंधित भागों, जो भी लागू हों, को ही जमा किया जाए। वित्तीय प्रतिबद्धता करने के लिए, जिसमें रोल-ओवर एवं ऋण का इक्विटी में परिवर्तन शामिल है, भाग 'सी' में लेनदेन का विवरण, भाग 'डी' में भारतीय संस्था/ निवासी व्यक्ति द्वारा घोषणा और भारतीय संस्था/ समूह कंपनी, जैसा भी मामला हो, के सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र को भाग 'ई' में प्रस्तुत किया जाए।
- 8) आस्थगित भुगतान के आधार पर इक्विटी पूंजी के अर्जन के लिए विप्रेषण करते समय, जहां फॉर्म एफसी पहले ही गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धता के रूप में विधिवत भरे हुए भाग 'डी' और भाग 'ई' के साथ जमा किया जा चुका है, तो फॉर्म के इन भागों को फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इन मामलों में पूर्व में प्रस्तुत फॉर्म एफसी की एक प्रतिलिपि संदर्भ हेतु एडी को प्रस्तुत की जाये।
- 9) अनुवर्ती विप्रेषणों हेतु, फॉर्म के भाग 'ए' और 'बी' को तब नहीं भरा जाये जब कि भारत में निवासी व्यक्ति/ विदेशी संस्था/ अनुषंगी/ पूंजीगत संरचना के संबंध में पिछले फॉर्म एफसी की रिपोर्टिंग के समय दिये गए ब्योरे में कोई परिवर्तन न हुआ हो।

- 10) समूह कंपनी द्वारा गारंटी जारी करने के मामले में, उसे स्वतंत्र रूप से अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता सीमा के उपयोग के लिए गिना जाएगा और यदि ऐसी समूह कंपनी का भारतीय संस्था से या संस्था को निधि-आधारित एक्सपोजर है तो उसे, ऐसी समूह कंपनी की वित्तीय प्रतिबद्धता सीमा की गणना के लिए उसकी निवल मालियत से घटाया जाएगा और तदनुसार उसे ओआई विनियमावाली के विनियम 5(2) के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट किया जाएगा।
- 11) प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि ऋण के माध्यम से भारतीय संस्था द्वारा की गई वित्तीय प्रतिबद्धता ऋण करार से समर्थित हो और इस तरह के करार में उल्लिखित ब्याज की दर स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर तय की गई हो।
- 12) प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा वास्तविक वित्तीय प्रतिबद्धता करने की तारीख को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रतिबद्धता की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है।
- 13) निवासी प्रवर्तक व्यक्ति द्वारा जारी की गई व्यक्तिगत गारंटी के मामले में, ऐसी गारंटी को भारतीय संस्था की वित्तीय प्रतिबद्धता सीमा के लिए गिना जाएगा।
- 14) यदि भारत में निवासी एक से अधिक व्यक्ति एक ही विदेशी संस्था में निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे सभी निवेशक व्यक्तियों द्वारा एडी बैंक की नामित शाखा में व्यक्तिगत रूप से फॉर्म एफसी जमा किया जाएगा। प्राधिकृत व्यापारी बैंक प्रत्येक पक्ष का ब्योरा दर्शाते हुए फॉर्मों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। रिज़र्व बैंक एक विदेशी संस्था को केवल एक ही यूआईएन आवंटित करेगा।
- 15) विदेशी संस्था को पैतृक कंपनी मानते हुए अनुषंगी (एसडीएस) के स्तर की गणना की जाएगी। अतः प्रत्यक्ष विदेशी संस्था के तहत सीधे एक अनुषंगी हो तो उसे प्रथम स्तर की अनुषंगी माना जाएगा। तदनुसार, पहले स्तर के अनुषंगी के नीचे एक अनुषंगी हो तो उसे दूसरे स्तर की अनुषंगी माना जाएगा और आगे आने वाली अनुषंगियों को इसी क्रम में गिना जाएगा।
- 16) फॉर्म एफसी का भाग 'एफ' भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाना आवश्यक है जिसकी वित्तीय प्रतिबद्धता विदेशी संस्था की बैलेंस शीट के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बदल रही हो। यह फॉर्म इस तरह के पुनर्गठन की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 17) विदेशी संस्था में विनिवेश के मामले में विनिवेश से प्राप्त राशि (आवक विप्रेषण) की तारीख से 30 दिनों के भीतर फॉर्म एफसी जमा किया जाना चाहिए। जहां करार के अनुसार विनिवेश से प्राप्त राशि किशतों में प्राप्त होनी है, वहाँ ऐसी प्रत्येक किशत की प्राप्ति संबंधी सूचना फॉर्म एफसी में दी जाए।
- 18) विदेशी मुद्रा (FCY) और भारतीय रुपये (आईएनआर) की सभी राशियाँ केवल वास्तविक राशि होनी चाहिए।
- 19) विदेशी मुद्रा (करेंसी) का नाम स्विफ्ट कोड के अनुसार दर्शाया जाए।
- 20) तिथियां DD/MM/YYYY प्रारूप में हों।
- 21) एनआईसी 1987 और एनआईसी 2008 के अनुसार क्रियाकलाप कोड प्रस्तुत किया जाए।
- 22) भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा फॉर्म एफसी जमा करते समय उसके प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर और तारीख के साथ मुहर लगाई जानी चाहिए।
- 23) रिज़र्व बैंक यहां दी गई जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर)											
नोट: सभी राशियाँ वास्तविक होनी चाहिए। सभी अंक एक ही विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) में होने चाहिए।											
I	एपीआर की अवधि	दिनांक से		दिनांक तक							
II	विशिष्ट पहचान संख्या										
III	विदेशी संस्था के लेखा वर्ष की अंतिम तारीख को पूँजीगत ढाँचा										
		राशि					% शेयर				
i)	भारतीय										
ii)	विदेशी										
IV	क्या भारतीय संस्था (आईई)/ निवासी व्यक्ति (आरआई)/ ट्रस्ट/ सोसाइटी का विदेशी संस्था में नियंत्रण है?								हाँ/ नहीं		
V	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान शेयर धारिता के पैटर्न में आया बदलाव (विदेशी संस्था में अद्यतन शेयर धारिता पैटर्न, यदि लागू हो, की सूचना दें)										
	भारत में निवासी व्यक्ति	% हिस्सेदारी		विदेशी भागीदार	% हिस्सेदारी						
(1)			(1)								
(2)			(2)								
(3)			(3)								
VI	पिछले दो वर्षों से विदेशी संस्था की वित्तीय स्थिति										
		पिछले वर्ष					वर्तमान वर्ष				
i)	निवल लाभ/ (हानि)										
ii)	लाभांश										
iii)	निवल मालियत										
VII	विदेशी संस्था से प्रत्यावर्तन										
		वर्तमान वर्ष					कारोबार के प्रारंभ से				
(i)	लाभांश										
(ii)	ऋण की अदायगी										
(iii)	गैर-इक्विटी निर्यात आगम (आईएनआर)										
(iv)	रॉयल्टियाँ										
(v)	तकनीकी ज्ञान शुल्क										
(vi)	परामर्श शुल्क										
(vii)	अन्य (कृपया उल्लेख करें)										
VIII	लाभ										
IX	प्रतिधारित उपार्जन										
X	विदेशी संस्था/ उप अनुषंगी द्वारा भारत में एफडीआई										

XI	अतिरिक्त शेयर-आवेदन शुल्क की वापसी @लेनदेन सं. -		
@ ऑनलाइन ओआईडी एप्लीकेशन में विप्रेषण की रिपोर्टिंग करते समय रिज़र्व बैंक द्वारा आवंटित की गयी 15 / 17 अंकों की लेनदेन संख्या लिखी जाए।			
XII	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान अनुषंगी अथवा विदेशी संस्था की अनुषंगी कंपनियों के अधिग्रहण या स्थापना या समापन या हस्तांतरण का ब्योरा निर्धारित फॉर्मेट में दें, यदि लागू हो (यदि एसडीएस की संख्या एक से अधिक हो तो अलग शीट संलग्न करें)		
(i)	एसडीएस का नाम, स्तर और देश/क्षेत्राधिकार का नाम		
(ii)	एसडीएस की पैतृक संस्था का नाम, स्तर और देश/क्षेत्राधिकार का नाम		
(iii)	निवेश (यदि कोई हो) की राशि और निवेश की तारीख	मुद्रा: राशि:	दिनांक:
(iv)	1987 के अनुसार गतिविधि कोड 2008 के अनुसार गतिविधि कोड		
(v)	एसडीएस में % हिस्सेदारी		
(vi)	क्या एसडीएस की गतिविधि वित्तीय सेवा क्षेत्र में है (टिक करें)	हाँ	नहीं
(vii)	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जिन एसडीएस का समापन किया गया, उनका नाम, स्तर और देश/क्षेत्राधिकार, जहाँ लागू हो		
भारतीय संस्था/ निवासी व्यक्ति द्वारा घोषणा (जो लागू न हो, उसे काट दें)			
मैं/ हम. भारतीय संस्था / निवासी व्यक्ति (जहां भी लागू हो) इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि:			
i. एसडीएस का अधिग्रहण/स्थापना/समापन/हस्तांतरण और पिछले एपीआर की रिपोर्टिंग के समय से विदेशी संस्था के शेयरधारिता पैटर्न में आए परिवर्तन को ओआई विनियमावली के विनियम 10(4)(सी) या संबंधित विनियमों, जहां रिपोर्टिंग पूर्ववर्ती पारदेशीय निवेश फ्रेमवर्क**, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित, के अंतर्गत की जा रही है, मैं यथाअपेक्षित रूप से रिपोर्ट किया गया है।			
ii. एसडीएस की संरचना ओआई विनियमावली में निर्धारित विदेशी संस्था की संरचनागत अपेक्षाओं के अनुपालन में है।			
iii. हमने शेयर प्रमाणपत्र (या मेजबान क्षेत्राधिकार के लागू कानूनों के अनुसार निवेश का कोई अन्य सबूत) प्राप्त किया है और ऐसे सभी निवेशों / पूंजीकरण, जिन्हें ओआई विनियमावली के विनियम-9 (1) या संबंधित विनियमों, जहां रिपोर्टिंग पूर्ववर्ती पारदेशीय निवेश फ्रेमवर्क**, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित, के अंतर्गत की जा रही है, के अनुसार इस यूआईएन के तहत उस विदेशी संस्था में ओआई माना जाता है, के उद्देश्य से विप्रेषण(णों) के 6 महीने के भीतर सत्यापन के लिए नामित एडी बैंक को प्रस्तुत कर दिया है।			
iv. इस यूआईएन के तहत विदेशी संस्था के पिछले एपीआर फाइल किए जा चुके हैं।			
v. ओआई विनियमावली के विनियम 9 (4) या संबंधित विनियमों, जहाँ रिपोर्टिंग पूर्ववर्ती पारदेशीय निवेश फ्रेमवर्क**, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित, के तहत की जा रही है, के तहत की गयी अपेक्षा के अनुसार, इस यूआईएन के अंतर्गत विदेशी संस्था से प्राप्त सभी देय राशियां भारत को प्रत्यावर्तित कर ली गई हैं			
vi. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है। मैं/हम यह भी विधिवत स्वीकार करता हूँ/ करते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई कोई सूचना झूठी और/या गलत पायी जाती है, तो यह माना जाएगा कि फेमा, 1999 के तहत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है।			
बोर्ड द्वारा अनुमोदित आईई के प्राधिकृत अधिकारी/आरई के हस्ताक्षर		स्टाम्प/ मुहर	

आईई के प्राधिकृत अधिकारी/आरई का नाम एवं पदनाम				
स्थान		दिनांक		
टेलीफोन नं.		ईमेल		
सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र (भारतीय संस्था के मामले में) / सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र (निवासी व्यष्टियों के मामले में) (जो लागू न हो, उसे काट दें)				
हम यह प्रमाणित करते हैं कि:				
<p>i. को समाप्त वर्ष के लिए एपीआर को विदेशी संस्था के को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर तैयार किया गया है।</p> <p>ii. को समाप्त वर्ष के लिए एपीआर विदेशी संस्था के अलेखापरीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर तैयार किया गया है क्योंकि मेजबान देश/क्षेत्राधिकार में लेखा परीक्षा अनिवार्य नहीं है और विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 के विनियम 10(4) के स्पष्टीकरण (ए) के अनुपालन में इस आईई/आरआई का विदेशी संस्था में 'नियंत्रण' नहीं है।</p> <p>iii. जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 के विनियम 9 (4) में अपेक्षित है या यदि रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित पूर्ववर्ती पारदेशीय निवेश फ्रेमवर्क** के तहत की जा रही है, तो संबंधित मौजूदा विनियमों के तहत अपेक्षा की गयी है, आईई/ आरआई द्वारा इस यूआईएन के अंतर्गत विदेशी संस्था से प्राप्य सभी देय राशियों का भारत में प्रत्यावर्तन किया गया है और इसका सत्यापन एडी बैंक (को) द्वारा जारी विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाण-पत्र से किया गया है।</p>				
सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर				स्टाम्प/मुहर
लेखापरीक्षा फर्म का नाम, पंजीकरण संख्या और यूडीआईएन				
स्थान		दिनांक		
ई-मेल				
प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा प्रमाण पत्र				
<p>i. ओआई विनियमावली के विनियम 9 (1) के अनुसार, एडी बैंक ने निवेश के साक्ष्य के रूप में शेयर प्रमाण पत्र या मेजबान क्षेत्राधिकार में लागू कानूनों के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज, प्राप्त कर लिया है और हम इस प्रकार प्राप्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट हैं।</p> <p>ii. विधिवत भरा गया फॉर्म (वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट) भारतीय संस्था/निवासी व्यष्टि द्वारा वर्ष के माह की तारीख को प्रस्तुत किया गया।</p> <p>iii. (भारतीय संस्था/निवासी व्यष्टि) द्वारा प्रस्तुत पिछले सभी वर्षों के एपीआर ऑनलाइन ओआईडी एप्लीकेशन में रिपोर्ट किए गए हैं।</p>				
एडी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर				स्टाम्प/ मुहर
एडी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम				
स्थान		दिनांक		

वार्षिक कार्यानिष्ठादन रिपोर्ट (एपीआर) भरने के लिए अनुदेश

- 1) भारत में निवासी व्यक्ति जब किसी विदेशी संस्था में ऐसी इक्विटी पूंजी अर्जित करता है जिसे ओडीआई माना जाता हो, तो उसे हर साल 31 दिसंबर तक प्रत्येक विदेशी संस्था के संबंध में एपीआर तब तक प्रस्तुत करना होगा जब तक कि भारत में निवासी व्यक्ति का निवेश ऐसी विदेशी संस्था में बना रहता है, और जहां विदेशी संस्था का लेखा वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होता है, वहाँ एपीआर अगले वर्ष की 31 दिसंबर तक प्रस्तुत की जाएगी।
- 2) निम्नलिखित मामलों में एपीआर प्रस्तुत नहीं करनी होगी,
 - (i) यदि भारत में निवासी व्यक्ति विदेशी संस्था में बिना नियंत्रण के इक्विटी पूंजी का 10 प्रतिशत से कम हिस्सा रखता है और और उसकी इक्विटी पूंजी के माध्यम से भिन्न कोई अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है।
 - (ii) जब विदेशी संस्था के परिसमापन की प्रक्रिया चल रही हो तो, परिसमापन प्रारंभ होने की तारीख से।
 - (iii) अपूर्ण अवधि (यानी पूरा वर्ष पूरा नहीं हुआ) के लिए, विनिवेश के समय। तथापि, पिछली एपीआर प्रस्तुत करने की तारीख से लेकर विनिवेश/परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने की तारीख तक की अवधि के दौरान किए गए लेनदेन का ब्योरा, यदि कोई हो, फॉर्म एफसी में विधिवत रिपोर्ट किया जाए।
- 3) एपीआर विदेशी संस्था के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित होगा। जहां भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी संस्था में 'नियंत्रण' नहीं है और मेजबान क्षेत्राधिकार के कानूनों के तहत लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा अनिवार्य नहीं है, वहाँ भारतीय संस्था के सांविधिक लेखापरीक्षक या सनदी लेखाकार द्वारा, जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षा लागू नहीं होती जिसमें निवासियों व्यष्टियों के मामले भी शामिल हैं, इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर एपीआर प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 4) यदि भारत में निवासी एक से अधिक व्यक्तियों ने एक ही विदेशी संस्था में ओडीआई किया है, तो विदेशी संस्था में अधिकतम हिस्सेदारी रखने वाले भारत में निवासी व्यक्ति को एपीआर प्रस्तुत करनी होगी। अगर हिस्सेदारी समान हो तो, भारत में निवासी ऐसे व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से एपीआर प्रस्तुत की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां एपीआर संयुक्त रूप से दायर करने की अपेक्षा है, वहाँ या तो किसी एक निवेशक को अन्य निवेशकों द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, या ऐसे व्यक्ति संयुक्त रूप से एपीआर दाखिल कर सकते हैं।
- 5) भारत में निवासी व्यक्ति को रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान किसी एसडीएस के अधिग्रहण/ स्थापना/ समापन/ हस्तांतरण या विदेशी संस्था में शेयरधारिता के पैटर्न में हुए परिवर्तन के बारे में एपीआर में ब्योरा देना होगा और ऐसा करने में विफल रहने पर यह माना जाएगा कि एपीआर प्रस्तुत नहीं की गयी है।
- 6) भारत में निवासी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि पिछले सभी वर्षों की एपीआर नामित एडी बैंक को प्रस्तुत की गयी हैं।
- 7) पूंजी संरचना (फॉर्म एपीआर का पैरा-III) संचयी रूप में होनी चाहिए और % हिस्सेदारी की गणना करते समय भारत में निवासी सभी व्यक्तियों की विदेशी संस्था में कुल हिस्सेदारी शामिल की जानी चाहिए।

- 8) पैरा-VII में "कारोबार के प्रारंभ से" के अंतर्गत दिखाए गए आंकड़े चालू वर्ष के अंतर्गत उल्लिखित आंकड़ों के बराबर अथवा उससे अधिक होने चाहिए।
- 9) पैरा-VII (ii) में वरीयता शेयरों के मोचन (जो अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (सीसीपीएस) की प्रकृति के न हों) की भी सूचना दी जानी चाहिए।
- 10) पैरा VII (vii) में, अन्य प्राप्तियां जो तालिका में उल्लिखित नहीं हैं जैसे- ऋण पर ब्याज या लाइसेंस शुल्क आदि का उल्लेख किया जाएगा।
- 11) पैरा IX में, विदेशी संस्था को हुए लाभ के उस हिस्से का उल्लेख किया जाए जो ऐसी विदेशी संस्था में प्रतिधारित और पुनर्निवेशित किया गया है। प्रतिधारित आय की गणना उस प्रक्रिया के अनुसार की जानी है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उनके प्रकाशन "भुगतान संतुलन और अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल" के नवीनतम संस्करण में निर्धारित की गयी है। यह ध्यान दिया जाए कि नकारात्मक प्रतिधारित आय को '0' (शून्य) माना जाएगा।
- 12) उप-अनुषंगी (एसडीएस) के स्तर की गणना करते समय विदेशी संस्था को पैतृक संस्था माना जाएगा। इसलिए, ऐसी एसडीएस जो सीधे तौर पर विदेशी संस्था के अधीन होगी, उसे प्रथम स्तर की एसडीएस माना जाएगा। तदनुसार, प्रथम स्तर के एसडीएस के अधीन किसी एसडीएस को द्वितीय स्तर की एसडीएस के रूप में जाना जाएगा और इसी तरह आगे।
- 13) पैरा XII के मामले में, एसडीएस की संरचना विदेशी संस्था की संरचनात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन में होनी चाहिए अर्थात् ऐसी अनुषंगी/ एसडीएस की संरचना भी सीमित देयता वाली होनी चाहिए जहां विदेशी संस्था की मुख्य गतिविधि रणनीतिक क्षेत्र में न हो। इस विदेशी संस्था की निवेशग्राही संस्थाएँ जिनमें विदेशी संस्था का नियंत्रण नहीं है, एसडीएस नहीं मानी जाएंगी और इसीलिए उनकी रिपोर्टिंग न की जाए।
- 14) पैरा XII (vi) के मामले में, यदि एसडीएस वित्तीय सेवाओं की गतिविधि में संलग्न है, तो निवेश ओआई नियमावली की अनुसूची-1 के पैरा 2 में निहित प्रावधानों के अनुपालन में होगा।
- 15) एनआईसी 1987 और एनआईसी 2008 के अनुसार गतिविधि कोड दिया जाए।
- 16) दिनांक का उल्लेख डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में किया जाए।
- 17) विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) का नाम स्विफ्ट कोड के अनुसार इंगित किया जाए।
- 18) भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा फॉर्म एफसी प्रस्तुत करने वाले जमा करते समय उसके प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और तारीख के साथ मुहर लगाई जानी चाहिए।
- 19) विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) और भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रदर्शित सभी राशियां वास्तविक ही होनी चाहिए।

फॉर्म ओपीआई: भाग-ए
(मार्च/ सितंबर में समाप्त छमाही हेतु)

टिप्पणी: इसे निवासी व्यक्ति से भिन्न भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भरा जाए, जिसने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान या तो किसी प्रकार का पारदेशीय पोर्टफोलियो निवेश (ओपीआई) किया है अथवा इस तरह के किसी निवेश को अंतरित किया है (फॉर्म के उन्हीं भागों का उपयोग किया जाए जो संबंधित/ लागू हों)
दर्शायी गई सभी राशियाँ वास्तविक होनी चाहिए-

I	रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले एडी बैंक का नाम एवं कोड :		
II	भारतीय संस्था / म्यूचुअल फंड(एमएफ़) का ब्योरा		
i.	भारतीय संस्था / एमएफ़ का नाम		
ii.	भारतीय संस्था/ एमएफ़ की विधिक संस्था पहचान सं. (एलईआई)		
iii.	पैन नंबर		
iv.	भारतीय संस्था/ एमएफ़ का पता		
v.	शहर		
vi.	राज्य		
vii.	पिन कोड		
viii.	पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार भारतीय संस्था की निवल मालियत भारतीय रुपयों में	तारीख के अनुसार (कृपया तारीख का उल्लेख करें)	
ix	क्या भारतीय संस्था सूचीबद्ध है	हाँ / नहीं	
x	संपर्क व्यक्ति (नाम और पदनाम)		
xi	मोबाइल नंबर		
xii	ई-मेल आईडी		

ए. भारतीय संस्था द्वारा किया गया ओपीआई (कृपया ओआई नियमावली की अनुसूची-II तथा अनुसूची-V का परंतुक 2(iii) देखें)

		यूएसडी	आईएनआर
i	लागत के आधार पर विदेशों में धारित निवेश की निवल राशि (प्रारंभिक शेष)		
ii	छमाही के दौरान किया गए निवेश (पुनर्निवेश सहित)		
iii	छमाही के दौरान की गई बिक्री/विनिवेश *		
iv	विदेश में धारित निवेश की निवल राशि (अंतिम शेष) (I+II-III)		
	विप्रेषण की राशि		
	संप्रत्यावर्तन की राशि		

बी. निवासी व्यक्ति द्वारा कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ESOP)/ कर्मचारी लाभ योजना (EBS) के तहत किया गया ओपीआई (कृपया ओआई नियमावली की अनुसूची-III के पैरा 1(2) (iii) (एच) और पैरा 3 का संदर्भ ग्रहण करें) (कंपनी/ शाखा/ कार्यालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा की जाने वाली रिपोर्टिंग)

		यूएसडी	आईएनआर
i	लागत के आधार पर विदेशों में धारित ईएसओपी/ईबीएस निवेश की निवल राशि (प्रारंभिक राशि)		
ii	छमाही के दौरान किया गए निवेश (पुनर्निवेश सहित)		
iii	छमाही के दौरान किया गए विनिवेश*		
iv	विदेश में धारित निवेश की निवल राशि (अंतिम शेष) (I+II-III)		
	विप्रेषण की राशि		
	संप्रत्यावर्तन की राशि		

कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी)/कर्मचारी लाभ योजना का समेकित विवरण कंपनी/ शाखा/ कार्यालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा निम्नानुसार सूचित किया जाए।

(ए) हम, (भारतीय कंपनी/ कार्यालय/ शाखा), एतद्वारा घोषणा करते हैं कि:

मेसर्स (विदेशी कंपनी) ने छमाही के दौरान कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी)/कर्मचारी लाभ योजना के तहत हमारे कर्मचारियों/निदेशकों को निम्नानुसार ----- (प्रकार की) इक्विटी पूंजी / % हिस्सा जारी किया है:

(i) आबंटित इक्विटी पूंजी/ निर्गमित हिस्सा %

(ii) शेयर/हिस्सा स्वीकार करने वाले कर्मचारियों/निदेशकों की संख्या

(बी) हम ----- (भारतीय कंपनी/ कार्यालय/ शाखा), एतद्वारा घोषणा करते हैं कि:

मेसर्स ----- (विदेशी कंपनी) ने छमाही के दौरान ईएसओपी/कर्मचारी लाभ योजना के तहत हमारे कर्मचारियों/निदेशकों से ----- (प्रकार की) इक्विटी पूंजी की निम्नानुसार पुनर्खरीद की है:

(i) इक्विटी पूंजी की पुनर्खरीद

(ii) इक्विटी पूंजी / हिस्सा बेचने वाले कर्मचारियों/ निदेशकों की संख्या

सी. म्यूचुअल फंड द्वारा ओपीआई (कृपया ओआई नियमावली की अनुसूची IV का पैरा 2 देखें)

		प्रारंभिक शेष		खरीद / अधिग्रहण		बिक्री/ विनिवेश*		अंतिम शेष		भारत से विप्रेषण		भारत में संप्रत्यावर्तन	
		यूएस डी	आई एन आर	यूएस डी	आई एन आर	यूएस डी	आई एन आर	यूएस डी	आई एन आर	यूएस डी	आई एन आर	यूएस डी	आई एन आर
i	इक्विटी												
ii	ऋण लिखतें												
iii	एडीआर/ जीडीआर												
iv	ईटीएफ़												

	(प्रतिभूतियाँ)												
v	म्यूचुअल फंड												
vi	अन्य (निर्दिष्ट करें)												
	कुल (सी)												

*दर्शाई गई विनिवेश की राशि वास्तविक निवेश राशि के अनुरूप होनी चाहिए न कि उस बिक्री/बाजार मूल्य के अनुरूप जिस पर विनिवेश हुआ था।

फॉर्म ओपीआई : भाग- बी उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ)/वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) द्वारा पारदेशीय पोर्टफोलियो निवेश (ओपीआई) की रिपोर्टिंग	
I	भारतीय संस्था/ निवासी व्यक्ति (आरआई) का ब्योरा जिसने वीसीएफ/एआईएफ को प्रमोट किया/ में निवेश किया है (यदि अनेक भारतीय संस्थाएँ/ निवासी व्यक्ति हैं तो अलग शीट संलग्न करें)
i.	भारतीय संस्था/आरआई का नाम
ii.	भारतीय संस्था की विधिक संस्था पहचान सं. (एलईआई)
iii.	पैन नंबर
iv.	संस्था जिस समूह से संबन्धित है उसका विवरण
v.	भारतीय संस्था का क्रियाकलाप कोड (1987 NIC code at 3-digit level) (2008 NIC code at 5- digit level)
vi.	भारतीय संस्था/ आरआई का पता
vii.	शहर
viii.	राज्य
ix.	पिन कोड
x.	संपर्क हेतु नामित व्यक्ति का नाम
xi.	संपर्क हेतु नामित व्यक्ति का पदनाम
xii.	दूरभाष सं.
xiii.	संपर्क हेतु नामित व्यक्ति का मोबाइल नंबर
xiv.	फ़ैक्स सं.
xv.	ई-मेल आईडी
II	भारतीय कंपनी/ निवासी व्यक्ति का ब्योरा जो वीसीएफ/एआईएफ प्रबंध कर रही/ रहा है।
i.	भारतीय संस्था/आरआई का नाम
ii.	पैन नंबर
iii.	संस्था जिस समूह से संबन्धित है उसका विवरण
iv.	भारतीय कंपनी का क्रियाकलाप कोड (1987 NIC at 3-digit level)

		(2008 NIC at 5-digit level)
v.	भारतीय संस्था/ आरआई का पता	
vi.	शहर	
vii.	राज्य	
viii.	पिन कोड	
ix.	संपर्क हेतु नामित व्यक्ति का नाम	
x.	संपर्क हेतु नामित व्यक्ति का पदनाम	
xi.	दूरभाष सं.	
xii.	संपर्क हेतु नामित व्यक्ति का मोबाइल नंबर	
xiii.	फ़ैक्स सं.	
xiv.	ई-मेल आईडी	
III वीसीएफ़/एआईएफ़ का ब्योरा		
i.	वीसीएफ़/ एआईएफ़ का नाम	
ii.	सेबी द्वारा प्राप्त अनुमोदन की तारीख	
iii.	सेबी द्वारा दी गई पारदेशीय निवेश की सीमा (अमरीकी डॉलर में वास्तविक राशि)	

IV वीसीएफ़/एआईएफ़ द्वारा ओपीआई (कृपया ओआई नियमावली की अनुसूची IV का पैरा-2 देखें)													
		प्रारंभिक शेष		खरीद/ अधिग्रहण		बिक्री/ विनिवेश		अंतिम शेष		भारत से विप्रेषण		भारत में संप्रत्यावर्तन	
		यू एस डी	आईए नआर	यू एस डी	आईए नआर	यू एस डी	आईए नआर	यू एस डी	आईएन आर	यू एस डी	आईए नआर	यू एस डी	आई एन आर
i	इकिटी												
ii	इकिटी से सम्बद्ध लिखतें												
iii	अन्य अनुमत लिखतें (लिखतों का ब्योरा दें)												
	कुल												

<p style="text-align: center;">भाग - सी</p> <p style="text-align: center;">भारतीय संस्था/म्यूचुअल फंड/एआईएफ/वीसीएफ द्वारा प्रमाणपत्र</p> <p style="text-align: center;">(जो लागू न हो उसे काट दें)</p>			
<p>हम, भारतीय संस्था/ म्यूचुअल फंड/ एआईएफ/वीसीएफ यह पुष्टि करते हैं कि ऊपर उल्लिखित निवेश ओआई नियमावली के प्रावधनों के अनुपालन में है।</p>			
<p>छमाही के दौरान किए गए सभी लेनदेन ऊपर शामिल हैं और हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सटीक है। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य और/अथवा गलत पाई जाती है, तो यह माना जाएगा कि फेमा, 1999 के तहत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है।</p>			
भारतीय संस्था/ म्यूचुअल फंड/एआईएफ/वीसीएफ, जैसा भी मामला हो, के बोर्ड या किसी समकक्ष निकाय द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर			स्टैम्प/ मुहर
भारतीय संस्था/ म्यूचुअल फंड/एआईएफ/वीसीएफ, के प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम			
स्थान		दिनांक	
दूरभाष सं.		ई-मेल आईडी	

फॉर्म ओ.पी.आई. भरने हेतु अनुदेश

- 1) म्यूचुअल फंड के मामले में, फॉर्म ओपीआई प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार भारतीय संस्था (अर्थात् उस म्यूचुअल फंड के प्रवर्तक/ एएमसी, जैसा कि म्यूचुअल फंड द्वारा तय किया गया हो) का विवरण उक्त फॉर्म के भाग-ए (भारतीय संस्था का विवरण) में म्यूचुअल फंड के नाम का उल्लेख करते हुए दर्शाया जाए।
- 2) म्यूचुअल फंड/एआईएफ/वीसीएफ के मामले में फॉर्म ओपीआई प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार भारतीय संस्था (फंड द्वारा यथानिर्दिष्ट) द्वारा भाग-सी भरा जाए।
- 3) तिथियां DD/MM/YYYY प्रारूप में हों।
- 4) सभी राशियाँ वास्तविक होनी चाहिए।

1) निर्यात

(ए) **ईडीएफ़ फॉर्म (अनुबंध I):** निर्यात घोषणा फॉर्म(ईडीएफ़) ईडीआई रहित पत्तनों से वस्तुओं के निर्यात की घोषणा के लिए उपयोग में लाया जाता।

(बी) **सॉफ़्टवेक्स फॉर्म (अनुबंध II):** सॉफ़्टवेयर के सभी निर्यातकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रमाणन के लिए एक्सेल फ़ारमैट में एकल तथा थोक सॉफ़्टवेक्स फॉर्म फ़ाइल करना आवश्यक है।

(सी) दीर्घ कालिक निर्यात⁹⁵ के समक्ष अग्रिम भुगतान⁹⁶ (अनुबंध III): एडी श्रेणी -I के बैंक न्यूनतम तीन वर्ष के समाधान कारक ट्रक रेकॉर्ड वाले निर्यातकों को 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए दीर्घकालिक निर्यात अग्रिम प्राप्त करने की अनुमति भी दे सकते हैं। इस अग्रिम को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन वस्तुओं के निर्यात के लिए दीर्घ कालिक आपूर्ति संविदाओं के निष्पादन के लिए उपयोग में लाया जाना है। इस प्रकार की 100 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा अधिक की अग्रिम राशि की प्राप्ति के बारे में व्यापार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल सूचित करना चाहिए।

(डी) एडी श्रेणी - I के बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे संबंधित निर्यातकों की कारगर रूप से निगरानी करते रहें ताकि यह सुनिश्चित हो कि निर्यात का कार्यनिष्पादन (वस्तुओं के निर्यात के मामले में पोतलदान) निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जाता है। इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि एडी श्रेणी- I के बैंकों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और केवाईसी तथा एएमएल दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि केवल वास्तविक निर्यात अग्रिम भारत में आ पाएँ। संदिग्ध मामले तथा स्थायी चूककर्ताओं से संबंधित जानकारी आगे की छानबीन के लिए प्रवर्तन निदेशालय को संदर्भित कि जाए।⁹⁷

(ई) निकाल दिया गया।⁹⁸

(एफ़) निर्यातकों को सुविधाएं तथा सेवाएँ पर तकनीकी समिति(अध्यक्ष: श्री जी. पद्मनाभन) द्वारा की गई सिफ़ारिश को ध्यान में लेते हुए एडी बैंकों को निर्यात की प्राप्य राशियों को अनाश्रयी आधार पर फ़ैक्टर करने की अनुमति दी गयी है ताकि निर्यातकों के नकदी प्रवाह में सुधार हो तथा नीचे दी गई शर्तों के अधीन अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें: फ़ैक्टरिंग करने के बाद निर्यात फ़ैक्टर निर्यात बिलों को बंद करेगा तथा उसकी भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्यात डाटा प्रसंस्करण तथा निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) में रिपोर्ट करेगा। (<https://www.edpms.rbi.org.in>)

⁹⁵ भूलवश निकाल दिया गया था। अब इसे समाविष्ट किया गया है।

⁹⁶ भूलवश निकाल दिया गया था। अब इसे समाविष्ट किया गया है।

⁹⁷ दिनांक 26 मई 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 74 द्वारा बंद किया गया। निकालने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- “इस प्रकार के मामलों के ब्योरे दर्शाने वाला एक तिमाही विवरण, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 21 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाए”

⁹⁸ दिनांक 23 मार्च 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.54 तथा एफ़ईएम (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 द्वारा 21 जनवरी 2016 से डीडीए खातों में शेष राशि तथा डीडीए खातों को खोलने/ बंद करने के संबंध में आरबीआई को पाक्षिक तथा तिमाही रिपोर्ट की प्रस्तुति को समाप्त कर दिया गया है।

(जी) अतिदेय बिलों पर अनुवर्ती कार्रवाई: 1 मार्च 2014 से ईडीपीएमएस के परिचालन से 28 फरवरी 2014 के बाद पोतलदान दस्तावेजों के लिए सभी निर्यात लेनदेन की वसूली को ईडीपीएमएस में रिपोर्ट किया जाए।⁹⁹ 31 दिसंबर 2015 को समाप्त अर्ध वर्ष तक एडी बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए 1 मार्च 2014 के पूर्व के पुराने बकाया बिलों के ब्यौरों को ईडीपीएमएस में अंतरित किया गया है। अतः एक्सओएस की अलग रिपोर्टिंग को समाप्त कर दिया गया है। एडी श्रेणी-1 बैंकों को राशि की वसूली होने पर 1 मार्च 2014 से पूर्व की अवधि से संबंधित एक्सओएस डाटा को ईडीपीएमएस में मार्क ऑफ/ बंद करना है।

(<https://www.edpms.rbi.org.in>)

(एच) एडी बैंकों को निर्यात बिलों को बट्टे खाते डालने संबंधी सूचना ईडीपीएमएस के माध्यम से रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करनी चाहिए। (<https://www.edpms.rbi.org.in>)

(आई) ईएफ़सी (निर्यातकों द्वारा भारत अथवा विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए आवेदन)
(अनुबंध V)

(जे) ई-कॉमर्स को आसान बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एडी श्रेणी -1 के बैंकों को ओपीजीएसपीएस के साथ स्थायी व्यवस्था करके निर्यात से प्राप्त राशि की प्राप्ति/ आयातों के भुगतान की सुविधा प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई है। जो एडी श्रेणी-1 बैंक इस प्रकार की व्यवस्था में शामिल होना चाहते हैं, वे इस प्रकार की प्रत्येक व्यवस्था में जब कभी शामिल होंगे तब इस संबंध में विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को रिपोर्ट करेंगे।

⁹⁹ 15 जून 2016 से [दिनांक 26 मई 2016 के एपी \(डीआईआर सीरीज़\) परिपत्र सं. 74](#) द्वारा समाविष्ट किया गया। समाविष्ट करने से पूर्व इसे इस प्रकार पढ़ा जाता था- "तथा 1 मार्च 2014 से पूर्व के पुराने पोत लदान के बकाया बिलों को साइकल के पूर्ण होने तक एक्सओएस में रिपोर्ट करना जारी रहेगा।"

निर्यात घोषणा फार्म

1. सामान्य जानकारी				
कस्टम्स सिक्यूरिटी सं.		फार्म सं.		
कार्गो का स्वरूप: [] सरकारी [] गैर-सरकारी	पोत लदान बिल सं. तथा तारीख:	परिवहन प्रकार: [] हहवाई [] जमीन [] समुद्र [] डाक/कूरियर [] अन्य		
निर्यातक की श्रेणी: [] कस्टम (DTA इकाइयां) [] SEZ [] हैसियतवाले निर्यातक [] 100%EOU वेयरहाउस निर्यात [] अन्य (स्पष्ट करें)...		भा.रि.बैंक के अनुमोदन की सं. और तारीख, यदि कोई हो		
आईई कोड:		एडी.कोड		
निर्यातक का नाम और पता:		एडी का नाम और पता:		
परेषिती का नाम और पता:		वसूली का प्रकार: [] L/C [] BG [] अन्य विदेश में रखे गए बैंक खाते में अंतरण/विप्रेषण सहित अग्रिम भुगतान, आदि)		
		लदान का पोर्ट/SEZ के मामले में सोर्स पोर्ट		
तीसरी पार्टी का नाम और पता (निर्यातों के लिए तीसरी पार्टी भुगतानों के मामले में)		गंतव्य देश:	डिस्चार्ज का पोर्ट:	
LC/BG के मामले में भारतीय बैंक का नाम और एडी कोड		क्या भुगतान ACU के जरिए प्राप्त किया जाना है? [] हाँ [] नहीं	LEO तारीख:	
सामान्य कमोडिटी वर्णन		माल के मूल का राज्य ;		
कुल FOB मूल्य शब्दों में (INR)		कस्टम निर्धारणीय मूल्य (INR)*:		
2. निर्यात मूल्य का बीजक-वार ब्योरा				
यदि किसी विशिष्ट लदान बिल के लिए एक बीजक से अधिक बीजक हो, तो बीजकों की संख्या के अनुसार ब्लॉक 2 रिपीट किया जाए)				
बीजक सं.	बीजक मुद्रा	संविदा का स्वरूप		
बीजक दिनांक	बीजक राशि	[] FOB [] CIF [] C&F [] CI [] अन्य		
ब्योरे	मुद्रा	वि.मु.में राशि	विनिमय दर	राशि
FOB मूल्य				
भाड़ा				
बीमा				
कमीशन				
बट्टा				
अन्य कटौती				
पैकिंग प्रभार				
निवल वसूलीयोग्य मूल्य				

निर्यात घोषणा फार्म

3. एफपीओ/कूरियर के तहत निर्यात के लिए लागू	
	प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर एवं मुहर
4. निर्यातकों (सभी प्रकार के निर्यातक) द्वारा घोषणा	
<p>मैं/हम@ एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम@ माल का/की विक्रेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है और उपर्युक्त दिये गये ब्योरे सही हैं और खरीददार से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात के मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम@ यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम@ उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये माल के पूर्ण मूल्य को दर्शाने विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्राधिकृत बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ----- (दिनांक) को अथवा उसके पहले (अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अविध के भीतर) सुपुर्द करूँगा/करूँगी/करेंगे।</p> <p>मैं/हम@ भारतीय रिज़र्व बैंक की सचेतक सूची में नहीं हूँ/हैं।</p> <p>तारीख : _____</p> <p style="text-align: right;">निर्यातक के हस्ताक्षर</p>	
5. कस्टम /एसईजेड के सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए	
<p>प्रमाणित किया जाता है कि कस्टम /एसईजेड/ की इकाई द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा कि ऊपर वर्णित माल का निर्यात किया गया है एवं निर्यातक द्वारा इस फार्म में घोषित निर्यात मूल्य उक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत तदनुरूपी इनवाइस/इनवांसों के सारांश एवं घोषणा के अनुसार है/हैं।</p> <p>तारीख : _____</p> <p style="text-align: right;">(कस्टम/ एसईजेड के नामित/ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)</p>	

@ जो लागू न हो उसे कट दें।

*SEZ से प्रभावित क्षेत्र के मामले में इकाई घोषित मूल्य

**रॉयल्टी प्राप्ति के लिए थोक (बल्क) में प्रस्तुत सॉफ्टवेक्स फॉर्मों का फॉर्मेट
समरी शीट
खंड - ए**

निर्यातक का नाम और पता		आईसी कोड:	
अनुमति पत्र (एलओपी) सं. (एसटीपी/ईएचटीपी/एसईजेड/ईपीजेड/ 100% ईओयू/डीटीए यूनिट)		अनुमति पत्र जारी करने की तारीख:	
प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम		एसटीपीआई/एसईजेड सेंटर:	
प्राधिकृत व्यापारी/बैंक का नाम और पता		प्राधिकृत व्यापारी कोड:	

खंड - बी

डाटाकॉम लिंक के जरिये ऑफशोर निर्यात मूल्य के लिए बीजकों की सूची

-----से-----तक की अवधि के दौरान बनाए गए बीजक

क्र म सं.	सॉ फ्टे क्स सं.	ग्राह क का नाम	ग्राह क का पता	देश	मु द्रा	बीज क संख्या	बीज क अव धि (दिदि /मम/ वव)	युनिक आंतरि क परियोज ना कोड/सं विदा/ करार सं. और तारीख	बीजक मुद्रा में दर्ज ऑफशो र निर्यात मूल्य	निर्याति त सॉफ्टवे यर का स्वरूप/ प्रकार	निर्यातित सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों के ब्योरे				रॉय ल्टी मूल्य की वसूली का तरी का	रॉय ल्टी राशि की गणना
											जोआर/ एसडीए फ/पीपी/ सॉफ्टवेक्स /ईडीएफ फार्म सं. जिस पर निर्यातों की घोषणा की गई	निर्यात की तारीख	रायल्टी करार की प्रतिशत और राशि	रायल्टी करार की अवधि		

खंड - सी

निर्यातक द्वारा घोषणापत्र

मैं/हम@ एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम@ सॉफ्टवेयर का/की विक्रेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है और उपर्युक्त दिये गये ब्योरे सही हैं और खरीददार से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात के मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम@ यह भी घोषित करता/करती हूँ/ करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और वैध डाटाकॉम लिंक्स का उपयोग करते हुए विकसित तथा वास्तव में निर्यात किया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उल्लिखित साफ्टवेयर वास्तव में ट्रांसमिट किया गया था। मैं/हम@ यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम@ उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर के पूर्ण मूल्य को दर्शाने विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्राधिकृत बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ----- (दिनांक) को अथवा उसके पहले (अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर) सुपुर्द करूंगा/करूंगी/करेंगे। मैं/हम@ भारतीय रिज़र्व बैंक की सचेतक सूची में नहीं हूँ/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

मुहर (स्टैम्प)

निर्यातक के हस्ताक्षर

एसटीपीआई/ ईपीजेड/ एसईजेड के सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि एसईजेड/एसटीपीआई की इकाई द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा कि ऊपर वर्णित साफ्टवेयर का निर्यात किया गया है एवं निर्यातक द्वारा इस फार्म में घोषित निर्यात मूल्य उक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत तदनुरूपी इनवाइस/इनवांसों के सारांश एवं घोषणा के अनुसार है/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

मुहर (स्टैम्प)

एसटीपीआई/ ईपीजेड/ एसईजेड के नामित/ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

@ जो लागू न हो उसे काट दें।

थोक (बल्क) में प्रस्तुत सॉफ्टवेक्स फॉर्मों का फॉर्मेट
समरी शीट
खंड - ए

निर्यातक का नाम और पता		आईसी कोड:	
अनुमति पत्र सं. (एलओपी) (एसटीपी/ ईएचटीपी/एसईजेड/ ईपीजेड/100% ईओयू/डीटीए यूनिट)		अनुमति पत्र जारी करने की तारीख:	
प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा प्रदाता का नाम		एसटीपीआई/ एसईजेड सेंटर:	
प्राधिकृत व्यापारी/बैंक का नाम और पता		प्राधिकृत व्यापारी कोड:	

खंड - बी
डाटाकॉम/लैंक के जरिये ऑफशोर निर्यात मूल्य के लिए बीजकों की सूची
-----से-----तक जारी बीजकों की अवधि

क्र म सं.	सॉ फ्टे क्स सं.	ग्राह क का नाम	ग्राह क का पता	दे श	आंतरि क परियोज ना कोड/ संविदा/ करार सं. और तारीख	निर्यात किये गये सॉफ्ट वेयर का स्वरू प/प्र कार	वूसली का तरीका (mod e)	बी ज क सं.	बीजक का दिनांक (दिदि/ मामा/व व)	मुद्रा (curr ency)	निर्यात मूल्य का विश्लेषण				
											साफ्टवे यर का निर्यात मूल्य (ए)	प्रेषण शुल्क (बी)	कमी शन (सी)	कटौ ती (डी)	निवल वसूलनीय मूल्य [(ए+बी)- (सी+डी)]

खंड - सी
निर्यातक द्वारा घोषणापत्र

मैं/हम@ एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम@ सॉफ्टवेयर का/की विक्रेता हूँ/हैं जिसके संबंध में यह घोषणा की गई है और उपर्युक्त दिये गये ब्योरे सही हैं और खरीददार से प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संविदागत तथा उपर्युक्त घोषित निर्यात के मूल्य को दर्शाता है। मैं/हम@ यह भी घोषित करता/करती हूँ/ करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और वैध डाटाकॉम लिंक्स का उपयोग करते हुए विकसित तथा वास्तव में निर्यात किया गया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उल्लिखित साफ्टवेयर वास्तव में ट्रांसमिट किया गया था। मैं/हम@ यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम@ उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर के पूर्ण मूल्य को दर्शाने विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्राधिकृत बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ----- (दिनांक) को अथवा उसके पहले (अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट अविध के भीतर) सुपुर्द करूंगा/करूंगी/करेंगे।

मैं/हम@ भारतीय रिज़र्व बैंक की सचेतक सूची में नहीं हूँ/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम -----

पदनाम :

मुहर (स्टैम्प)

निर्यातक के हस्ताक्षर

एसटीपीआई / ईपीजेड/ एसईजेड के सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि एसईजेड/एसटीपीआई की इकाई द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा कि ऊपर वर्णित साफ्टवेयर का निर्यात किया गया है एवं निर्यातक द्वारा इस फार्म में घोषित निर्यात मूल्य उक्त इकाई द्वारा प्रस्तुत तदनुरूपी इनवाइस/इनवांसों के सारांश एवं घोषणा के अनुसार है/हैं।

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

मुहर (स्टैम्प)

एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड के नामित/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

@ जो लागू न हो उसे काट दें।

¹⁰⁰ हटा दिया गया

¹⁰⁰ इसे [26 मई 2016 के एपी \(डीआईआर सीरीज़\) परिपत्र सं.74](#) द्वारा हटा दिया गया/ बंद कर दिया गया।

100 मिलियन अमरीकी डालर अथवा उससे अधिक के दीर्घावधि अग्रिमों की रिपोर्टिंग

निर्यातक का नाम और पता:

निर्यातक का पैन नंबर (PAN) :

जिससे दीर्घावधि अग्रिम लिया गया है उस ओवरसीज़ सप्लायर का नाम, पता और संबंध:

कंपनी की समीक्षा:

कारोबार का स्वरूप	पार्टी कितने वर्षों से बैंक के साथ व्यवहार (डील) कर रही है	बैंक से ली गई मौजूदा सुविधाओं का ब्योरा	कुल घरेलू बिक्री के अनुपात में निर्यात (पिछले तीन वर्षों का औसत)

दीर्घावधि अग्रिम का ब्योरा:

संविदा/प्राप्त आदेश की कुल राशि और अवधि	प्राप्त किया जाने वाला कुल अग्रिम	अग्रिम की प्राप्ति का दिनांक	अवधि	ब्याज दर, यदि कोई हो	जारी साखपत्र/आपाती साखपत्र, यदि कोई हो, का ब्योरा

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

प्राधिकृत व्यापारी बैंक:

पता:

मुहर(Seal):

¹⁰¹ पहले इसे भूलवश हटा दिया गया था, अब जोड़ा गया है।

दीर्घावधि निर्यात अग्रिमों के उपयोग के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रगति रिपोर्ट

(31 मार्च 20-----को समाप्त वर्ष के लिए)

निर्यातक का नाम और पता:

उस पारदेशीय आपूर्तिकर्ता का नाम और पता जिससे दीर्घावधि अग्रिम लिया गया है:

भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय का नाम जिसे रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है:

दीर्घावधि निर्यात अग्रिमों के उपयोग का ब्योरा:

प्राप्त कुल निर्यात अग्रिम	31.3.20---- को समाप्त वर्ष के लिए प्रक्षेपित निर्यात निष्पादन (performance)	किया गया वास्तविक निर्यात निष्पादन	कमी के संबंध में टिप्पणी/ कारण	31.3.20--- को बकाया निर्यात	घरेलू ऋण को समायोजित करने के लिए निर्यात अग्रिम के उपयोग, यदि कोई हो, का ब्योरा

जारी बैंक गारंटी/आपाती साखपत्र कस ब्योरा:

कुल राशि जिसके लिए बैंक गारंटी जारी की गई	क्या उसे आहूत (invoke) किया गया	आहूत करने के कारण

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

प्राधिकृत व्यापारी बैंक:

पता:

मुहर(Seal):

इसे हटा दिया गया है।

¹⁰² डाइमंड डॉलर खातों (DDA) में जमा शेष संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट भेजने संबंधी अपेक्षा को अब [दिनांक 23 मार्च 2016 के एपी \(डीआईआर\) सीरीज़ परिपत्र सं. 54](#) तथा दिनांक 21 जनवरी 2016 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासियों के विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली 2015 के तहत 21 जनवरी 2016 से समाप्त कर दिया गया है।

फार्म ईएफसी

(निर्यातकों द्वारा भारत अथवा विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए आवेदन-पत्र)

अनुदेश :

1. आवेदनपत्र दो प्रतियों में भरा जाये और भारत में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले बैंक की नामित शाखा, जिसमें विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है/जो कि इन खातों के लेनदेनों पर निगरानी रखेगा, के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाए जिसके अधिकारक्षेत्र में निर्यातक रहता है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदनपत्र अग्रेसित करने से पूर्व प्राधिकृत बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदनपत्र विधिवत भरा गया है, उसकी अच्छी तरह से जाँच कर लें।

प्रलेखन :

3. निर्यातक द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान वसूल किए गए तथा नियत तारीख के बाद बकाया निर्यात बिलों का उल्लेख करते हुए घोषणापत्र जिसे लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो।
4. विगत 3 वर्षों के दौरान किये गये आयातों का देश-वार ब्योरा देते हुए लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र.
5. प्रस्तावित ऋण/ ओवरड्राफ्ट / ऋण सहायता सुविधा संबंधी शर्तों का उल्लेख करने वाले पारदेशीय बैंक द्वारा जारी पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
6. लिये गये विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में परिपक्वता पैटर्न का उल्लेख करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की प्रमाणित प्रतियां।

1.	निर्यातक का नाम व पता			
2.	आयातक-निर्यातक की कूट संख्या			
3.	बैंक/ शाखा जिसके साथ विदेशी मुद्रा खाता रखना प्रस्तावित है, का नाम व पता			
4.	उस स्थिति में जब कि भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है, भारत में उस बैंक/ शाखा का नाम व पता जो कि विदेशी मुद्रा खाते के जरिये किये जाने वाले लेनदेनों पर निगरानी रखेगा।			
5.	विगत 3 वर्षों के दौरान किये गये निर्यातों और वसूली तथा -----के अंत में बकाया	वित्तीय वर्ष	किया गया कुल निर्यात (रु.)	वसूल की गयी राशि (रु.) -----के अंत में बकाया(रु.)
6.	कैलेंडर वर्ष के दौरान किये गये आयातों का विगत 3 वर्षों का ब्योरा, देश-वार व राशि सहित दें।	वित्तीय वर्ष	देश	राशि (रु.)
7.	यदि विदेश स्थित बैंक में खाता खोलने का प्रस्ताव है तो उस बैंक, जिसमें खाता रखा जाएगा, से ऋण/ओवरड्राफ्ट /क्रेडिट सुविधा लेने के बारे में ब्योरे दें।			

8.	आगामी वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा खाते में जमा की जाने वाली निर्यात-प्राप्तियों और विभिन्न मदों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खाते से किये जाने वाले भुगतानों का तिमाही-वार पूर्वानुमान।	
9.	क्या कभी निर्यातक का नाम सतर्कता सूची में रखा गया है/था ?	
10.	निर्यातक द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण और उनकी परिपक्वता के पैटर्न के ब्योरे।	
11.	कोई अन्य जानकारी जिसे आवेदक अपने आवेदनपत्र के समर्थन में देना चाहे।	

स्थान : -----

दिनांक : -----

मुहर

स्टाम्प

आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

(प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान)

भारत में बैंक की उस शाखा के अभिमत जिसके पास खाता रखने का प्रस्ताव है अथवा जो विदेश में, यथास्थिति, किसी बैंक में रखे गये खाते के लेनदेनों पर निगरानी रखेगा।

स्थान : -----

दिनांक : -----

स्टाम्प

आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम: -----

पदनाम: -----

प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता-----

2) आयात

(ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक प्रति वर्ष जून तथा दिसंबर को समाप्त छमाही हेतु अर्ध वार्षिक आधार पर विवरण प्रस्तुत करेंगे। इन विवरणों में 100,000 अमरीकी डालर से अधिक के आयात हेतु किए गए सभी आयात लेनदेन के संबंध में ब्योरे दिए जाएंगे जिनमें विप्रेषण की तारीख से 6 माह में आयातकों ने आयात संबंधी उचित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में चूक की होगी। इसके लिए बैंक-वार आधार (<https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/>) पर ऑनलाइन एक्सटेनसीबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (XBRL) प्रणाली का उपयोग किया जाए तथा इसकी निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई RBI के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी। इस विवरण को दिसंबर 2017 को समाप्त छमाही तक संबंधित छमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए तथा बाद में बंद किया जाए।

(बी) ¹⁰³दिनांक 26 दिसंबर 2023 से एडी श्रेणी-1 बैंकों के प्रधान कार्यालयों/ उनके अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभागों से यह अपेक्षित है कि वे बैंक के CIMS (URL: <https://sankalan.rbi.org.in>) पोर्टल पर निम्नलिखित विवरणियाँ प्रस्तुत करें:

-

(i) ¹⁰⁴छमाही (मार्च अंत/ सितंबर अंत की स्थिति) आधार पर ईओयू एसईजेड/ईपीजेड में स्थित इकाइयों और नामित एजेंसियों (एचवाई) द्वारा स्वर्ण का आयात नामक विवरणी कोड- '**R133**' जिसमें रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के नामित बैंकों/ एजेंसियों/ ईओयू/ एसईजेड द्वारा आयात किए गए स्वर्ण की मात्रा और मूल्य का ब्योरा भुगतान-माध्यमवार दर्शाया गया हो। (अनुबंध VI)

(ii) ¹⁰⁵मासिक आधार पर ईओयू एसईजेड/ईपीजेड में स्थित इकाइयों और नामित एजेंसियों (एम) द्वारा स्वर्ण का आयात नामक विवरणी कोड- '**R132**' जिसमें रत्न एवं आभूषण क्षेत्र की नामित एजेंसियों (नामित बैंकों से भिन्न)/ ईओयू/ एसईजेड द्वारा आयात किए गए स्वर्ण की मात्रा और मूल्य का ब्योरा रिपोर्टिंग माह के लिए तो दिया ही गया हो साथ ही साथ उस वित्तीय वर्ष के पहले महीने से लेकर संचयी स्थिति भी दर्शायी गयी हो। (अनुबंध VII)

दोनों विवरणियों को, "शून्य" स्थिति होने पर भी, संबंधित माह/ छमाही के अगले माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना है।

(सी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रत्येक मर्चीटिंग अथवा मध्यवर्ती ट्रेड लेनदेन के संबंध में एक का एक से मिलान (one to one matching) करना चाहिए और किसी लेग में ट्रेडर द्वारा की गई चूक को रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को, छमाही आधार पर, संलग्न फॉर्मेट में रिपोर्ट करना चाहिए। अनुबंध VIII में दिए गए फॉर्मेट में

¹⁰³ दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के एपी (डीआईआर) सीरीज़ परिपत्र सं. 09 के अनुसार इसे जोड़ा गया है।

¹⁰⁴ दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के एपी (डीआईआर) सीरीज़ परिपत्र सं. 09 के अनुसार इसे जोड़ा गया है।

¹⁰⁵ दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के एपी (डीआईआर) सीरीज़ परिपत्र सं. 09 के अनुसार इसे जोड़ा गया है।

तैयार रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख प्रत्येक छमाही की समाप्ति अर्थात जून तथा दिसंबर के बाद 15 कैलेंडर दिवस होगी।

(डी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी बैंक OPGSP से साक्ष्य के रूप में इन्वाइस और एयर-वे बिल की प्रति प्राप्त कर प्रेषित करेगा जिसमें आयातक का नाम और लाभार्थी का पता रहेगा और NOSTRO (<https://www.rbi.org.in/upload/notification/pdfs/52215.pdf>) तथा VOSTRO (<https://www.rbi.org.in/upload/notification/pdfs/52216.pdf>) (के विदेशी मुद्रा भुगतान शीर्ष के अंतर्गत आर रिटर्न में (भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पाक्षिक आधार पर पखवाड़ा समाप्त होने के 7 दिन के भीतर) लेनदेन को रिपोर्ट करेगा।

(ई) ¹⁰⁶रफ, कटे और पॉलिश किए गए हीरों का आयात, शिपमेंट की तारीख से 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए निर्धारित अवधि/देय तारीख से अधिक 180 दिनों की अवधि के लिए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक ग्राहक-वार अनुमत ऐसे विस्तार की छमाही रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें। छमाही अवधि अप्रैल-सितंबर और अक्टूबर-मार्च होगी और संबंधित छमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(एफ़) ¹⁰⁷प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों को बिना किसी बैंक गारंटी के किए गए सभी अग्रिम प्रेषणों की रिपोर्ट या कच्चे हीरे के आयात के लिए अतिरिक्त साख पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जहां अग्रिम भुगतान की राशि 50000000 (पांच मिलियन अमरीकी डालर) अमेरिकी डॉलर के बराबर या उससे अधिक है। प्रत्येक छमाही की समाप्ति के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर, **अनुबंध IX** में दिए गए प्रारूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाए।

¹⁰⁶ दिनांक 31 मार्च 2016 के एपी (डीआईआर) सीरीज़ परिपत्र सं. 57 के अनुसार इसे जोड़ा गया है।

¹⁰⁷ दिनांक 01 अप्रैल 2014 के एपी (डीआईआर) सीरीज़ परिपत्र सं. 116 के अनुसार इसे जोड़ा गया है।

भाग IX अनुबंध VI

ईओयू, एसईजेड/ईपीजेड में स्थित इकाइयों और नामित एजेंसियों (एचवाई) द्वारा स्वर्ण का आयात-
विवरणी कोड- R133

बैंक का नाम:

भुगतान का तरीका		आयातित स्वर्ण की मात्रा (कि.ग्रा.में)		आयातित स्वर्ण का मूल्य			
		नामित बैंक/ एजेंसी	ईओयू/ एसईजेड	मिलियन अमरीकी डॉलर में		मिलियन रुपये में	
				नामित बैंक/ एजेंसी	ईओयू/ एसईजेड	नामित बैंक/ एजेंसी	ईओयू/ एसईजेड
(i)	किए गए भुगतान के आधार पर सुपुर्दगी						
(ii)	आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए उधार के आधार पर						
(iii)	परेषण के आधार पर						
(iv)	अनियत मूल्य आधार पर						

नोट: जिन मामलों में एक ही निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात का समग्र मूल्य 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो, वहाँ प्रत्येक लेनदेन का पूर्ण ब्योरा दिया जाए।

**ईओयू, एसईजेड/ईपीजेड में स्थित इकाइयों और नामित एजेंसियों (एम) द्वारा स्वर्ण का आयात-
विवरणी कोड- R132**

प्राधिकृत व्यापारी बैंक का नाम:-----

वित्तीय वर्ष----- के दौरान ----- माह के लिए गैर-बैंक नामित (Non-bank nominated)/अन्य एजेंसियों द्वारा स्वर्ण के आयात से संबंधित आँकड़े

क्रम सं.	नामित एजेंसियों का नाम	चालू माह के लिए		वित्तीय वर्ष के चालू माह तक		टिप्पणी, यदि कोई हो
		मात्रा कि.ग्रा. में	अमरीकी डॉलर में मूल्य	मात्रा कि.ग्रा. में	अमरीकी डॉलर में मूल्य	
I. गैर-बैंक नामित एजेंसियों द्वारा स्वर्ण का आयात						
1						
2						
3						
4						
5						
	उप-जोड़					
II. रत्न और जवाहरात क्षेत्र के ईओयूएस द्वारा स्वर्ण का आयात						
1						
2						
3						
	उप-जोड़					
III. रत्न और जवाहरात क्षेत्र के एसईजेडएस द्वारा स्वर्ण का आयात						
1						
2						
3						
	उप-जोड़					
	कुल-जोड़					

30 जून /31 दिसंबर 20..... को समाप्त छमाही के लिए मर्चेटिंग ट्रेड लेनदेनों में चूक संबंधी विवरण

बैंक का नाम और पता:

क्र म	ए.डी. कोड (भाग-I कोड)	ए.डी. संदर्भ सं.	मर्चेटिंग ट्रेडर का नाम और पता	विदेशी क्रेता का नाम और पता	विदेशी आपूर्ति कर्ता का नाम और पता	प्रारंभ होने की तारीख	पूरा होने की तारीख	निर्यात लेग (leg) (अमरीकी डालर के समतुल्य)		आयात लेग (leg) (अमरीकी डालर के समतुल्य)		विदेशी मुद्रा परिव्यय, यदि कोई हो (दिनों की सं.)
								वसूल राशि	बकाया राशि	अदा की गई राशि	बकाया राशि	

(एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 116 दिनांक- 1 अप्रैल 2014 का अनुबंध)

दिनांक -----को समाप्त अवधि के लिए बैंक गारंटी या स्टैंडबाय साख पत्र के बिना अग्रिम प्रेषण का विवरण जहां अग्रिम राशि समाप्त अवधि के लिए कच्चे हीरे के आयात के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर या अधिक है

एडी श्रेणी-I बैंक का नाम:

एडी कोड (14 अंकों वाला):

क्रम सं.	खनन कंपनी का नाम	आयातक इकाई का नाम और आईईसी नं.	बीजी / स्टैंडबाय एलसी के बिना हुए अग्रिम भुगतान की राशि	क्या आयात के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज प्रस्तुत किए गए
1				
2				
3				

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर :

तारीख :

मुहर :

¹⁰⁸ दिनांक 01 अप्रैल 2014 के एपी (डीआईआर) सीरीज परिपत्र सं. 116 के अनुसार इसे जोड़ा गया है।

भाग X: गारंटियाँ¹⁰⁹

1. [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(गारंटी\) विनियमावली, 2026](#) के विनियम 7 के अनुसार गारंटियों की रिपोर्टिंग की जाएगी-

(क) जमानतदार द्वारा यदि वह भारत का निवासी व्यक्ति है; या

(ख) मुख्य देनदार द्वारा जिसने गारंटी की व्यवस्था की है और जहां जमानतदार भारत के बाहर निवासी व्यक्ति है; या

(ग) लेनदार द्वारा जहां जमानतदार और मुख्य देनदार दोनों भारत के बाहर निवासी व्यक्ति हैं या जहां लेनदार ने गारंटी की व्यवस्था की है।

2. रिपोर्ट करने का दायित्व रखने वाला व्यक्ति, (क) गारंटी जारी करने, (ख) गारंटी की शर्तों में बाद में किसी भी के परिवर्तन, यथा - गारंटी राशि, अवधि का विस्तार या पूर्व-समाप्ति, और (ग) गारंटी के आह्वान, यदि कोई हो, की रिपोर्ट फॉर्म जीआरएन में करेगा।

3. गारंटी की रिपोर्टिंग, तिमाही आधार पर, संबंधित तिमाही की समाप्ति से पंद्रह कैलेंडर दिनों के भीतर, प्राधिकृत व्यापारी बैंक को की जाएगी ताकि उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जा सके।

4. प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस विनियमावली के तहत प्राप्त विवरणियों को भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तरीके और प्रारूप में संबंधित तिमाही की समाप्ति से तीस कैलेंडर दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा।

¹⁰⁹ [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(गारंटी\) विनियमावली, 2026](#) द्वारा जोड़ा गया।

फॉर्म – जीआरएन
(विनियमन 7 देखें)

(कैलेंडर वर्ष _____ के मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए)

भाग क: रिपोर्टिंग पक्ष का विवरण

1.	नाम *	
2.	पैन *	
3.	एलईआई	
4.	सीआईएन	

भाग ख: जारी की गई गारंटी की रिपोर्टिंग (प्रत्येक गारंटी के लिए भाग ख अलग से भरें)

5.	जमानतदार का विवरण	
i.	नाम *	
ii.	पैन	
iii.	एलईआई	
iv.	सीआईएन	
v.	आवासीय स्थिति *	निवासी/अनिवासी
vi.	जमानतदार और मुख्य देनदार के बीच संबंध *	(क) मुख्य देनदार के पेरेंट (ख) मुख्य देनदार की समूह इकाई (ग) जमानतदार का कोई संबंध नहीं है और वह एक बैंक है (घ) जमानतदार का कोई संबंध नहीं है और यह कोई अन्य वित्तीय संस्था है (ङ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____
vii.	प्रमुख गतिविधि *	एनआईसी कोड:
6.	मुख्य देनदार का विवरण	
i.	नाम *	
ii.	पैन	
iii.	एलईआई	
iv.	सीआईएन	
v.	आवासीय स्थिति *	निवासी/अनिवासी
vi.	प्रमुख गतिविधि *	एनआईसी कोड:
7.	लेनदार का विवरण	
i.	नाम *	

ii.	पैन	
iii.	एलईआई	
iv.	सीआईएन	
v.	आवासीय स्थिति *	निवासी/अनिवासी
vi.	लेनदार की श्रेणी *	(क) बैंक (ख) अन्य वित्तीय संस्थान (ग) मुख्य देनदार के परेंट (घ) मुख्य देनदार की समूह इकाई (ङ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____
vii.	प्रमुख गतिविधि *	एनआईसी कोड:
8.	गारंटी का विवरण	
i.	गारंटी का प्रकार *	(क) वित्तीय (ख) अन्य
ii.	मुख्य देनदार और लेनदार के बीच अंतर्निहित लेनदेन *	
iii.	गारंटी की राशि *	करेंसी: धनराशि:
iv.	जारी करने की तारीख *	__/__/__ (dd/mm/yyyy)
v.	वैधता तिथि *	__/__/__ (dd/mm/yyyy)
vi.	गारंटी कमीशन (करार के अनुसार) (करेंसी और राशि) *	करेंसी: धनराशि:
vii.	जहां जमानतदार एक एडी बैंक है, काउंटर गारंटी या संपार्श्विक जमा का विवरण, यदि कोई हो।	काउंटर गारंटर/जमाकर्ता का नाम: आवासीय स्थिति: निवासी / अनिवासी काउंटर गारंटी/ जमा की करेंसी: काउंटर गारंटी/ जमा की धनराशि:

भाग ग: संशोधन/पूर्व-समापन का विवरण (प्रत्येक संशोधित गारंटी के लिए एक भाग ग)

9.	पूर्व में रिपोर्ट की गई गारंटी लेनदेन संख्या *	
10.	क्या राशि में कोई बदलाव हुआ है? यदि हाँ, तो नई राशि बताएं	
11.	क्या वैधता अवधि बढ़ाई गई है? यदि हाँ, तो नई वैधता तिथि बताएं	
12.	क्या समय से पहले बंद की गई है? यदि हाँ, तो बंद होने की तिथि बताएं	

भाग घ: आह्वान का विवरण (प्रत्येक गारंटी आह्वान के लिए एक भाग घ)

13.	पूर्व में रिपोर्ट की गई गारंटी लेनदेन संख्या *	
14.	आह्वान की तिथि *	__/__/__ (dd/mm/yyyy)
15.	गारंटी के आह्वान और उसके पालन पर जमानतदार के प्रति उत्पन्न होने वाली देयता की राशि *	करेंसी: धनराशि:
16.	आह्वान का भुगतान *	(क) हाँ, आंशिक रूप से (ख) हाँ, पूरी तरह से (ग) नहीं
17.	भुगतान की तिथि	__/__/__ (dd/mm/yyyy)
18.	भुगतान की राशि	करेंसी: धनराशि:
19.	जमानतदार के प्रति परिणामी देयता को समाप्त करने के लिए सहमत अवधि (गारंटी के आह्वान की तारीख से)	(क) 1 वर्ष से कम (ख) 1 वर्ष या उससे अधिक व 3 वर्ष से कम (ग) 3 वर्ष या उससे अधिक

रिपोर्टिंग करने वाले पक्ष के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर				स्टाम्प/सील
प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम				
स्थान		दिनांक		
टेलीफोन नं.		ईमेल		
संलग्नकों की सूची				

फॉर्म भरने के अनुदेश

- 1) यह फॉर्म भारत में निवासी व्यक्ति, जिस पर इन विनियमावली के विनियम 7 के अंतर्गत रिपोर्टिंग दायित्व है, द्वारा प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 2) गारंटी जारी करने के लिए भाग क और भाग ख जमा किए जाएंगे। गारंटी में किसी भी बदलाव या उसका आह्वान करने की जानकारी भाग क और भाग ग या घ में भरकर दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। किसी भी भाग के लिए, जिन फ्रील्ड पर तारांकन (*) का निशान है, उन्हें भरना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों के एलईआई, सीआईएन, पैन जैसे सभी अन्य फ्रील्ड, जहाँ भी जानकारी उपलब्ध हो, भरे जाएंगे। एनआईसी कोड एनआईसी 2025 के अनुसार 2-अंक तक रिपोर्ट किया जाएगा।
- 3) यदि एक ही गारंटी के लिए एक से अधिक जमानतदार/ मुख्य देनदार/ लेनदार हों, तो उनमें से किसी को भी उस गारंटी की रिपोर्टिंग करने के लिए नामित किया जा सकता है।
- 4) पिछली अवधि में दी गई गारंटी की शर्तों में कोई भी परिवर्तन या उसके बंद होने की सूचना लेनदेन संख्या के साथ उसी फॉर्म में दी जाएगी। इस विनियमावली के लागू होने से पहले जारी की गई गारंटियों में परिवर्तन को संशोधन की तारीख से जारी गारंटी के रूप में दर्ज किया जाएगा।
- 5) यदि गारंटी एक ही रिपोर्टिंग अवधि के भीतर जारी और संशोधित की जाती है, तो इसे दो अलग-अलग गारंटियों के रूप में दर्ज किया जाएगा। पहली गारंटी संशोधन की प्रभावी तिथि से एक दिन पहले समाप्त मानी जाएगी और दूसरी गारंटी संशोधन की प्रभावी तिथि से शुरू मानी जाएगी। यदि गारंटी एक ही रिपोर्टिंग अवधि के भीतर जारी और समाप्त की जाती है, तो मूल गारंटी को भाग ख में वैधता तिथि के रूप में समाप्त होने की तिथि के साथ रिपोर्ट किया जाएगा।
- 6) भारतीय रिज़र्व बैंक यहाँ दी गई जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

110

111

112 इसे हटाया गया।

भाग X: अनुबंध 113 इसे हटाया गया।

¹¹⁰ दिनांक 7 जुलाई 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.1 द्वारा हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व इसका पाठ इस प्रकार था-“1. सेवा के आयात के लिए बैंक गारंटी/ आपाती साख पत्र को लागू करना : दिनांक 05 अक्टूबर 2009 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.11 के साथ पठित दिनांक 17 नवंबर 2006 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.13 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी को प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग(ईपीडी), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट मुंबई-400001 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख करना होगा जिनके चलते सेवाओं के आयात से संबंधित गारंटी को लागू किया गया।”

¹¹¹ दिनांक 7 जुलाई 2016 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.1 को जारी करने के पश्चात क्रम संख्या को अद्यतन किया गया।

¹¹² दिनांक 9 जून 2022 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.5 द्वारा हटाया गया। हटाये जाने से पूर्व इसका पाठ इस प्रकार था- “भारत में निवास करने वाले दो व्यक्तियों के बीच निधि तथा गैर निधि आधारित सुविधाओं के संबंध में जारी तथा लागू की गई अनिवासी गारंटियों की रिपोर्टिंग के लिए विवरण (अनुबंध I): कोई अनिवासी किसी एक निवासी द्वारा दूसरे निवासी से ली गई निधि तथा गैर निधि आधारित सुविधाओं की गारंटी दे सकता है। इस प्रकार जारी तथा लागू की गई गारंटियों का हिसाब रखने के लिए एक रिपोर्टिंग फ़ारमेट निर्धारित किया गया है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। बैंकों को तिमाही के दौरान अपनी सभी शाखाओं से इससे संबंधित ब्योरा प्राप्त करते हुए इसका समेकित विवरण अनुबंध में दिए गए प्रारूप में इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि वह अगले माह के 10वें दिन तक मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, ईसीबी प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 11वीं मंजिल, फोर्ट मुंबई-400001 को (एमएस-एक्सेल फ़ाइल में ई-मेल के माध्यम से) प्राप्त हो जाए।”

¹¹³ दिनांक 9 जून 2022 के एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.5 द्वारा हटाया गया।

भाग-XI: कंपाउंडिंग

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई आवेदक फेमा, 1999 की धारा 13(1) के अंतर्गत फेमा, 1999 के किसी भी प्रावधान के स्वीकार किए गए उल्लंघन की कंपाउंडिंग की मांग कर सकते हैं।

निर्धारित फॉर्म नीचे दिए गए हैं: -

- 1) आवेदन का फॉर्मेट **(अनुबंध-I)**.
- 2) अनियमितताओं का ब्योरा, चाहे वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार, पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश तथा शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय, जो भी लागू हो, से संबंधित हैं**(अनुबंध-II)**.
- 3) इस आशय का वचनपत्र कि आवेदक के विरुद्ध किसी भी एजेंसी जैसे प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आदि द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है, ताकि कंपाउंडिंग की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो सके **(अनुबंध-III)**.
- 4) उनके बैंक खाते का ब्योरा तथा प्राधिकार पत्र **(अनुबंध IV)**: यदि आवेदन को किसी कारणवश वापस करना है तो आवेदन पत्र के साथ प्राप्त किया गया आवेदन शुल्क ₹5000/- भी वापस किया जाता है। ऐसे मामलों में कंपाउंडिंग शुल्क की वापसी में शीघ्रता लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि शुल्क की राशि को NEFT के माध्यम से आवेदक के खाते में जमा किया जाए और इसलिए प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

आवेदन का फार्मेट

(नियम 4 अथवा 5 देखें)

(इसे दो प्रतियों में भरा जाए और जारी किए गए ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत किया जाए)

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. आवेदक का पूरा पता (फोन, फैक्स नंबर तथा ई-मेल आईडी के साथ)
3. क्या आवेदक भारत में अथवा भारत के बाहर निवास करता है [अधिनियम की धारा 2(v) देखें]
4. उस न्याय निर्णयन प्राधिकारी का नाम जिसके पास मामला विचाराधीन है
5. उल्लंघन का प्रकार [धारा 13 की उप-धारा (1) के अनुसार]
6. मामले के संक्षिप्त तथ्य
7. कंपाउंडिंग आवेदन के शुल्क के ब्योरे
8. मामले से संबंधित कोई अन्य सूचना

मैं / हम एतद्वारा यह घोषित करता हूं/करती हूं/करते हैं कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त दिए गए ब्योरे सही और तथ्यपरक हैं और मैं/हम मेरे/हमारे मामले की कंपाउंडिंग के संबंध में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के किसी भी निदेश/आदेश को स्वीकार करने का/की/के इच्छुक हूं/हैं।

दिनांक:

नाम:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

एफडीआई

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए
आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले ब्योरे

- ❖ आवेदक का नाम
- ❖ निगमन की तारीख
- ❖ आयकर स्थाई संख्या (IT PAN)
- ❖ कार्य-कलापों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड-1987 का उल्लेख करें)
- ❖ विदेशी निवेशक के बारे में संक्षिप्त विवरण
- ❖ निगमन की तारीख से आज (आवेदन) की तारीख तक आवेदक कंपनी द्वारा प्राप्त विदेशी आवक विप्रेषणों के ब्योरे

टेबल ए					
क्रम सं.	विप्रेषक का नाम	कुल राशि (भारतीय रुपये में)	प्राप्ति की तारीख	भा.रि.बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख*	विलंब, यदि कोई हो
	कुल				
* आरबीआई को रिपोर्ट करने की तारीख (न कि प्राधिकृत व्यापारी को रिपोर्ट करने की तारीख)					

टेबल बी					
निवेशक का नाम	शेयरों के आबंटन की तारीख	आबंटित शेयरों की संख्या	राशि जिसके लिए शेयर आबंटित किये गये	भा.रि.बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख*	विलंब, यदि कोई हो
	कुल				
* आरबीआई को रिपोर्ट करने की तारीख (न कि प्राधिकृत व्यापारी को रिपोर्ट करने की तारीख)					

टेबल सी

क्रम सं.	विप्रेषक का नाम	कुल राशि (भारतीय रुपये में)	प्राप्ति की तारीख	अतिरिक्त शेयर आवेदन राशि	शेयर आवेदन राशि वापस करने की तारीख	विदेशी मुद्रा में राशि	भा.रि.बैंक के अनुमोदन पत्र की सं. और तारीख
		कुल					

टेबल डी

प्राधिकृत पूँजी

क्रम सं.	तारीख	प्राधिकृत पूँजी	निम्नलिखित तारीख से	बोर्ड की बैठक की तारीख	आरओसी के साथ फाइलिंग की तारीख

ए=बी+सी

कृपया समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत करें

टेबल ए – एफआइआरसी की प्रतियां जिन पर भा.रि.बैंक में प्राप्ति की तारीख की मुहर हो

टेबल बी - एफसीजीपीआर की प्रतियां जिन पर भा.रि.बैंक में प्राप्ति की तारीख की मुहर हो

टेबल सी – शेयरों की वापसी/ आबंटन करने वाला पत्र – भा.रि.बैंक से प्राप्त अनुमोदन पत्र ए2 फार्म

- ❖ शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति और शेयरों के आबंटन की अवधि के तुलन पत्र की प्रतियां
- ❖ उल्लंघनों का स्वरूप तथा उल्लंघनों के कारण

ईसीबी

बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग
के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले ब्योरे

- ❖ आवेदक का नाम
- ❖ निगमन की तारीख
- ❖ आयकर स्थाई संख्या (IT PAN)
- ❖ कार्य-कलापों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड-1987 का उल्लेख करें)
- ❖ विदेशी उधारदाता के बारे में संक्षिप्त ब्योरे
- ❖ क्या आवेदक पात्र उधारकर्ता है?
- ❖ क्या उधारदाता पात्र उधारदाता है?
- ❖ क्या उधारदाता इक्विटी धारक है?
- ❖ ऋण करार के समय उनके शेयर होल्डिंग का स्तर क्या है?
- ❖ **बाह्य वाणिज्यिक उधार के ब्योरे**
- ❖ ऋण करार की तारीख
- ❖ राशि विदेशी मुद्रा में और भारतीय रुपये में
- ❖ ब्याज दर
- ❖ ऋण की अवधि
- ❖ चुकौती के ब्योरे
- ❖ किए जा चुके आहरण (ड्रॉडाउन) का ब्योरा

❖ एलआर एन का ब्योरा –	किए जा चुके आहरण की तारीख	राशि, विदेशी मुद्रा में	राशि, भारतीय मुद्रा में

आवेदन पत्र और प्राप्ति (receipt)

- ❖ प्रस्तुत की गयी ईसीबी2 विवरणी के ब्योरे; रिटर्न की अवधि; प्रस्तुतीकरण की तारीख
- ❖ ईसीबी के विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये में उपयोग के ब्योरे

- ❖ उल्लंघन का स्वरूप और उल्लंघन के कारण
 - ❖ सभी समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं
-

ओडीआई

पारदेशीय निवेश के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए
आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले ब्योरे

- ❖ आवेदक का नाम
 - ❖ निगमन की तारीख
 - ❖ आयकर स्थाई संख्या (IT PAN)
 - ❖ कार्य-कलापों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड-1987 का उल्लेख करें)
 - ❖ पारदेशीय कंपनी का नाम
 - ❖ पारदेशीय कंपनी के निगमन की तारीख
 - ❖ पारदेशीय कंपनी द्वारा किये जाने वाले कार्य-कलापों का स्वरूप
 - ❖ कंपनी का स्वरूप- पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम
 - ❖ भेजे गये विप्रेषण के ब्योरे-विप्रेषण की तारीख;विदेशी मुद्रा में और भारतीय रुपये में राशि
 - ❖ अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता के ब्योरे
 - ❖ आवेदित और प्राप्त यू.आइ.एन के ब्योरे
 - ❖ शेयर प्रमाणपत्र प्राप्ति की तारीख
 - ❖ यदि आवश्यक हो तो अन्य विनियामक का अनुमोदन
 - ❖ प्रस्तुत की गयी वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (APRs) के ब्योरे: -----को समाप्त अवधि के लिए; प्रस्तुतीकरण की तारीख
 - ❖ उल्लंघन का स्वरूप और उल्लंघन के कारण
 - ❖ सभी समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं
-

शाखा कार्यालय/संपर्क कार्यालय

भारत में शाखा/संपर्क कार्यालय के संबंध में उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए
आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले ब्योरे

- ❖ आवेदक का नाम
- ❖ निगमन की तारीख
- ❖ आयकर स्थाई संख्या (IT PAN)
- ❖ कार्य-कलापों का स्वरूप (कृपया एनआईसी कोड-1987 का उल्लेख करें)
- ❖ संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय खोलने के लिए अनुमोदन की तारीख
- ❖ अनुमोदन की वैधता अवधि
- ❖ संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय की आय और व्यय
- ❖ वार्षिक कार्यकलाप प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की तारीख
- ❖ उल्लंघन का स्वरूप और उल्लंघन के कारण
- ❖ सभी समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं

वचनपत्र

(आवेदक के लेटरहेड पर)

* मैं/ हम -----(आवेदक का नाम) एतद्वारा यह पुष्टि/ घोषणा करते हैं कि आवेदन की तारीख को मैं/ हम प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आदि जैसी किसी एजेंसी द्वारा किसी जांच/ छानबीन/ न्यायनिर्णयन के अधीन हैं/ नहीं हैं।

मैं/ हम आगे यह वचन देता हूँ/ देते हैं कि अब से लेकिन मेरे/ हमारे द्वारा फ़ाइल किए गए कंपाउंडिंग आवेदन के संबंध में कंपाउंडिंग आदेश जारी करने की तारीख को अथवा उसेसे पूर्व किसी भी समय मेरे/ हमारे विरुद्ध किसी एजेंसी द्वारा कोई जांच/ छानबीन/ न्यायनिर्णयन कार्यवाही प्रारंभ करने की स्थिति में उसकी जानकारी कंपाउंडिंग प्राधिकारी/ भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्काल लिखित रूप में दी जाएगी।

अथवा

* मैं/ हम -----(आवेदक का नाम) एतद्वारा पुष्टि/ घोषणा करते हैं कि मैं/ हम प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आदि जैसी किसी एजेंसी द्वारा किसी जांच/ छानबीन/ न्यायनिर्णयन के अधीन हूँ/ था अथवा हैं/ थे और उसके ब्यौरे अनुबंध में दिये गए हैं।

मैं/ हम आगे यह वचन देते हैं तथा इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैंने/ हमने फेमा, 1999 कि धारा 17 अथवा धारा 19 के अंतर्गत कोई अपील फ़ाइल नहीं किया है।

(*इसमें से एक को काट दें)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)

अधिदेश फॉर्म

1. पार्टी का नाम (लाभार्थी) -

2. पैन संख्या PAN-

3. बैंक खाता -

क. बैंक का नाम -

ख. शाखा का नाम -

पता:

टेलीफोन नंबर:

सी. खाते का प्रकार - बचत / चालू

डी. खाता संख्या -

(जैसाकि बैंक द्वारा जारी चेक बुक पर प्रदर्शित है)

ई. 9 अंकों का MICR कोड नंबर -

(जैसा कि बैंक द्वारा जारी चेक बुक पर प्रदर्शित है)

एफ. आईएफएससी कोड -

(जैसा कि बैंक द्वारा जारी चेक बुक पर प्रदर्शित है)

4. अनुलग्नकों के लिए जाँच-सूची:

पैन कार्ड की फोटोकॉपी

रद्द किए गए खाली चेक की फोटोकॉपी

5. मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेन-देन में देरी होती है या लेनदेन हो ही नहीं पाता, तो मैं/ हम उपयोगकर्ता संस्थान को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएँगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

आधिकारिक मोहर

तारीख:

जगह:

भाग XII: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II का लाइसेंस जारी करना

गैर बैंकिंग विनियमन विभाग की [दिनांक 16 अप्रैल 2019 की अधिसूचना गैबैविवि\(पीडी\) सीसी.सं.098/03/10/001](#) के अनुसार प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- निवेश और क्रेडिट कंपनियां (एनडीएसआई-एनबीएफसी-आईसीसी) जो कतिपय शर्तों को पूरा करती हों, उन्हें अब विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II लाइसेंस के लिए पात्र बनाया गया है।

पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली और फेमा के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II हेतु अनुमत गतिविधियों को संचालित करने की इच्छुक एनबीएफसी निर्धारित प्रपत्र (भाग XII-अनुबंध) में अपना आवेदन रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती हैं जिसके अधिकार-क्षेत्र में आवेदक एनबीएफसी का पंजीकृत कार्यालय आता है।

फेमा 1999 की धारा 10(1) के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के लाइसेन्स हेतु पात्र एनबीएफसी द्वारा रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्रारूप

1.	आवेदक एनबीएफसी का नाम (पूरा)	
2.	पंजीकृत पता (पूरा)	
3.	रिज़र्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय जहां आवेदक एनबीएफसी पंजीकृत है	
4.	क) कंपनी की स्थापना की तारीख बी) कंपनी के निदेशकों के नाम और पते ग) पीएमएलए नियमों के अनुसार नामित प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम और पता	
5.	क्या आवेदक ने फेमा 1999 के तहत किसी लाइसेंस के लिए पहले आवेदन किया था, यदि हां, तो उसका विवरण	
6.	वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत अनुषंगी / संबद्ध संस्थाओं का विवरण	
7.	फेमा के तहत एडी श्रेणी-II के लिए अनुमत गतिविधियों को संचालित करने हेतु निदेशक मण्डल के संकल्प के साथ-साथ एडी श्रेणी-II के रूप में किए जाने के लिए प्रस्तावित विदेशी मुद्रा व्यापार का एक संक्षिप्त विवरण।	
8.	विदेशी मुद्रा परिचालनों के संबंध में एनबीएफसी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ, लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए प्रस्तावित विवरण	
9.	स्थान/ स्थानों का पता/पते जहां आवेदक एडी श्रेणी-II के रूप में व्यवसाय करने का प्रस्ताव करता है।	
10.	एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) की प्रति	
11.	संस्था के बहिर्नियम (मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन) और संस्था के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) की प्रतिलिपि सहित एक पत्र जिसमें एमओए / एओए में उल्लिखित वह खंड उपलब्ध हो जिसमें कंपनी को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II के रूप में व्यवसाय करने का प्रावधान हो।	
12.	रेटिंग एजेंसी से दस्तावेज़ जो एनबीएफसी की 'निवेश ग्रेड रेटिंग' को प्रमाणित करता है	
13.	जोखिम प्रबंधन और ग्राहक शिकायत निवारण हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति	
14.	सीआईआर प्रारूप में आवेदक के बैंकों से गोपनीय रिपोर्ट	
15.	एनबीएफसी की पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस-शीट तथा लाभ-हानि खातों की विवरणियों की प्रतिलिपियाँ। साथ ही आवेदन की तारीख को उक्त एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधियों(एनओएफ) को प्रमाणित करने वाला सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र	
16.	इस आशय की घोषणा कि आवेदक कंपनी या उसके निदेशकों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) / राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) / या किसी अन्य विधि-प्रवर्तक एजेंसी / प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है / लंबित नहीं हैं या आवेदक कंपनी अथवा उसके निदेशकों को किसी मामले में दोषी ठहराया नहीं गया है।	

17.	इस आशय की घोषणा कि कंपनी में उचित केवाईसी/ एएमएल/ सीएफटी संबंधी नीति लागू है और वह भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय के बैंकिंग विनियमन विभाग, द्वारा इस संबंध में जारी 'मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निर्देश, 2016' तथा इस संबंध में अब तक दिये गए निर्देश और भविष्य में समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों के अनुसरण में है। इसके अलावा आवेदक एनबीएफ़सी को रिज़र्व बैंक की अधिसूचना प्राप्त होने पर अथवा वास्तविक परिचालन शुरू करने की तारीख से प्राधिकृत व्यक्तियों पर लागू होने वाले फेमा संबंधी निर्देशों का भी अनुपालन करना होगा।	
18.	एडी श्रेणी-II के लिए अनुमत व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु सक्षम व पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती संबंधी घोषणा	
19.	कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक अपनी ओर से प्रस्तुत करना चाहे।	

¹¹⁴ **भाग XIII: रिपोर्टिंग में हुई देरी, जहाँ भी लागू हो, के लिए
विलंब प्रस्तुतीकरण शुल्क (एलएसएफ) मैट्रिक्स**

1. वह व्यक्ति जो फेमा 1999 के प्रावधानों के अनुसार एलएसएफ का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, उसे निम्नलिखित मैट्रिक्स के अनुसार एलएसएफ का भुगतान करना होगा:

क्र.सं.	रिपोर्टिंग संबंधी विलंब का प्रकार	एलएसएफ की राशि (भारतीय रुपये में)
1	फॉर्म ओडीआई भाग-II/ एपीआर, एफ़सीजीपीआर(बी), एफ़एलए विवरणियाँ, फॉर्म ओपीआई, निवेश का साक्ष्य या कोई अन्य विवरणी, जो निधि प्रवाह को शामिल नहीं करती या कोई अन्य आवधिक रिपोर्टिंग	7500
2	एफ़सी-जीपीआर, एफ़सीटीआरएस, फॉर्म ईएसओपी, फॉर्म एलएलपी-I), फॉर्म एलएलपी-II), फॉर्म-सीएन, फॉर्म-डीआई, फॉर्म-इनवी, फॉर्म ओडीआई-भाग-I, फॉर्म ओडीआई-भाग-III, फॉर्म एफसी, फॉर्म-ईसीबी, फॉर्म-ईसीबी-2, संशोधित फॉर्म-ईसीबी या कोई अन्य विवरणी जो निधि प्रवाह को शामिल करती है अथवा ऐसी विवरणियाँ जिनमें गैर-निधि-आधारित लेनदेन की रिपोर्टिंग की जाती है या लेनदेन आधारित कोई अन्य रिपोर्टिंग	$[7500 + (0.025\% \times A \times n)]$

टिप्पणियाँ:

- (ए) "n" रिपोर्ट की प्रस्तुति में हुए विलंब के वर्षों की संख्या दर्शाता है, जिसे ऊपरी दिशा में निकटतम माह में पूर्णांकित किया गया है और जो 2 दशमलव बिंदुओं तक दर्शायी गई है।
- (बी) "A" विलंब से की गई रिपोर्टिंग में शामिल राशि है।
- (सी) एलएसएफ प्रति विवरणी देय राशि है। तथापि, फॉर्म ईसीबी-2 विवरणी की किसी भी संख्या के लिए, विलंब से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक एलआरएन को निश्चित घटक हेतु देरी की एक घटना माना जाएगा। इसके अलावा, किसी भी ईसीबी-2 विवरणी के लिए 'A' सकल अंतर्वाह या बहिर्वाह, जो भी अधिक हो (ब्याज और अन्य शुल्कों सहित) की राशि होगी।
- (डी) एलएसएफ की अधिकतम राशि "A" के 100 प्रतिशत तक सीमित होगी और वह निकटतम सौ तक ऊपरी दिशा में पूर्णांकित की जाएगी।
- (ई) जहाँ एलएसएफ के भुगतान संबंधी सूचना जारी की गई हो और ऐसे एलएसएफ का भुगतान एलएसएफ सूचना जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो उस सूचना को अकृत और शून्य माना जाएगा और इस अवधि के बाद प्राप्त किसी भी एलएसएफ राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदक बाद में उसी विलंबित रिपोर्टिंग के लिए एलएसएफ के भुगतान हेतु पुनः संपर्क करता है, तो ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख को "n" की गणना के लिए संदर्भ तारीख माना जाएगा।

¹¹⁴ दिनांक 30 सितंबर 2022 के एपी (डीआईआर) सीरीज़ परिपत्र सं. 16 के अनुसार इसे जोड़ा गया, जिसके माध्यम से एकसमान एलएसएफ मैट्रिक्स लाया गया।

- (एफ) एलएसएफ का विकल्प रिपोर्टिंग/ प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तारीख से तीन वर्ष तक उपलब्ध होगा। एलएसएफ की सुविधा [अधिसूचना सं फेमा 120/2004-आर.बी.](#) के तहत हुए रिपोर्टिंग/ प्रस्तुतीकरण संबंधी विलंब के लिए भी [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(पारदेशीय निवेश\) विनियमावली, 2022](#) की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष तक उपलब्ध होगी।
- (जी) कोई व्यक्ति यदि फेमा के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार के प्रस्तुतीकरण अथवा रिपोर्ट फाइल करने के लिए उत्तरदायी है और वह विनिर्दिष्ट समयावधि में न तो ऐसी फाइलिंग/प्रस्तुतीकरण करता है और न ही एलएसएफ के साथ ऐसी फाइलिंग/प्रस्तुतीकरण करता है तो वह व्यक्ति फेमा, 1999 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का भागी बनेगा।

2. यदि विवरणी (चाहे भौतिक रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक) अधूरी है तो विलंब की अवधि तब तक जारी रहेगी जब तक हर तरह से पूर्ण विवरणी प्राप्त नहीं हो जाती।

3. आवेदक एलएसएफ के रूप में पहले से जमा की गयी राशि के लिए किसी भी तरह के रिफंड का दावा नहीं कर सकता है।

4. एडी बैंकों से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि भरे हुए आवेदन रिज़र्व बैंक को अग्रेषित करने में उनकी ओर से कोई विलंब न हो। ऐसी कोई भी देरी करने पर एडी बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 11 (3) में निर्धारित कार्रवाई के लिए पात्र होगा।

5. एलएसएफ का भुगतान "भारतीय रिज़र्व बैंक" के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, और

- वह मुंबई में देय हो तथा उसे बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित लेनदेन के संबंध में अपेक्षित विवरणी(णियों) के साथ नामित प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक (एडी बैंक) के माध्यम से निदेशक, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी -9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400 051 को भेजा जाएगा।
- विदेशी निवेश से संबंधित लेनदेन के लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट अथवा एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से देय होगा। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश FIRMS के यूज़र मैनुअल में दिए गए हैं जो <https://firms.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।¹¹⁵
- पारदेशीय निवेश से जुड़े लेनदेन के लिए नीचे तालिका में दी गई यूआईएन मैपिंग के अनुसार "भारतीय रिज़र्व बैंक" के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय पर देय होगा:

क्र.सं.	उपसर्ग सहित यूआईएन संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम जिसके साथ यूआईएन को मैप किया गया है
1.	एएच	क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद
2.	बीजी	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु
3.	बीएल या बीवाई या पीजे	क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई
4.	बीएन या सीए या जीए या जीएच	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

¹¹⁵ दिनांक 10 अप्रैल 2023 से इसे जोड़ा गया है।

5.	सीजी या जेएम या जेआर या केए या एनडी या पीटी या डब्ल्यूआर	क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली
6.	एचवाई	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद
7.	केओ या एमए	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई